राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ९] चतुर्थ विधान सभा के नवम् सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या २

मंगलवार,

दिनांक ३ नवम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, यातायात, अकाल सहायता, शिक्षा, योजना, खाद्य, सिंचाई, वन, पंचायत, वित्त एवं परिवार-नियोजन विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री विजयसिंह !

मकराना अस्पताल में सर्जन की नियुक्ति

१. **श्री विजयसिंह (मकराना) :** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मकराना की आबादी को देखते हुए व वहां की खानों तथा कम्पनियों के कारोबार को देखते हुए सरकार वहां किसी सर्जन की नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

(२) क्या यह सही है कि यहां अत्यधिक एक्सीडेन्ट्स होते रहते हैं और अस्पताल में पूरे औजार न होने की वजह से जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(३) क्या सरकार उपयुक्त औजारों के लिये पूर्ण प्रबन्ध शीघ्रातिशीघ्र करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (१) जी नहीं। अभी भी वहां एम० बी० बी० एस० योग्यता-प्राप्त डॉक्टर कार्यरत हैं। एम० एस० योग्यता प्राप्त डॉक्टर उपलब्ध होने पर नियुक्ति का प्रयास किया जावेगा।

(२) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

(३) स्थानीय अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार मांग करने पर इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री विजयसिंह : आपने कहा है कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शिकायत तो अस्पताल के रेकार्ड से मालूम हो सकती है कि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, उससे आपने आप अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी खानें व कम्पनियां हैं, कितना धन्धा होता है। उसको देखते हुए सर्जन की अत्यन्त आवश्यकता है। उसको जल्दी से जल्दी लगाने की कृपा करें।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य का सर्जन से क्या अभिप्राय है। मैं समझती हूं कि एम० बी० बी० एस० पहले ही लगे हुए हैं।

Page No 2

श्री विजयसिंह : वहां बड़ा एक्सपर्ट आदमी होना चाहिये। एम० बी० बी० एस० सर्जन तो होता है लेकिन वह एक्सपर्ट नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है।

प्रश्न संख्या २

श्री ओमदत्त भाटी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री फतेहसिंह !

जवाजा के तालाब पर राहत कार्य

३. **श्री फतेहसिंह (ब्यावर) :** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पिछले दुर्भिक्ष (सन् १९६९-७०) के समय जवाजा पंचायत समिति में जवाजा तालाब पर राहत कार्य के लिये ५०,००० रुपए की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां तो किस विभाग द्वारा यह कार्य कराया गया ? इस पर कुल कितना व्यय हुआ और इस पर कितने मजदूरों ने कितने समय तक काम किया ?

(२) क्या यह बात सही है कि इस कार्य के लिये स्वीकृत धनराशि में से ही जवाजा डाक बंगले की पक्की चारदीवारी बनाई गई, डाक बंगले को बिजली फिटिंग कराई गई तथा हजारों रुपया खर्च करके डाक बंगले के लिये एक कुई खुदवाई गई ? यदि हां तो कृपया बतावें कि इन कार्यों पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ ?

उप-मंत्री, अकाल राहत (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां। दुर्भिक्ष सम्वत् २०२६ (१९६९-७०) के समय जवाजा पंचायत समिति में जवाजा तालाब पर राहत कार्य के लिये ५० हजार रु० की स्वीकृति दी गई थी और यह कार्य सिंचाई विभाग के अभिकरण से करवाया गया। इस पर लगभग ५० हजार रु० व्यय हुआ और औसतन २०० मजदूरों ने साढ़े तीन माह तक कार्य किया।

(२) जी हां। इस कार्य के लिये स्वीकृत धनराशि में से डाक बंगले में कुई खुदवाई गई जिस पर लगभग ४ हजार रु० व्यय हुआ। डाक बंगले की पक्की चार-दीवारी पर तथा डाक बंगले की बिजली फिटिंग पर स्वीकृत धनराशि में से व्यय नहीं किया गया।

श्री फतेहसिंह : कुई किसके आदेश से खुदवाई गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : राहत विभाग व सिंचाई विभाग ने अपना-अपना कार्य कराया। ये आदेश सिंचाई विभाग ने दिये थे।

श्री फतेहसिंह : क्या यह सही है कि प्रत्येक कार्य जो राहत के दौरान किया जाता है, उस पर राहत सलाहकार समिति की स्वीकृति ली जाती है ? क्या इस कुई को खुदवाने के लिये जिला सलाहकार समिति की स्वीकृति ली गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : अलग कोई आइटम कुई का नहीं है। जो सिंचाई के कार्य चल रहे थे उस पर पानी के लिये कुई खुदवाई गई। राहत सलाहकार समिति की राय अवश्य ली जाती है और स्वीकृति राज्य सरकार की ली जाती है। यह कार्य राज्य सरकार की स्वीकृति से लिया था और पानी

Page No 3

(श्री गंगाराम चौधरी)
की व्यवस्था के लिये सिचाई विभाग की स्वीकृति थी।

श्री फतेहसिंह : इस कार्य के लिये सलाहकार समिति ने ५० हजार रुपये की सिफारिश की थी और वह जवाजा तालाब पर खरंजा लगाने के लिये थी, कुई खुदवाने के लिए कोई मन्जूरी नहीं हुई। इस बारे में मन्त्री महोदय का क्या कहना है ?

श्री गंगाराम चौधरी : कुई का कार्य अलग से है, राहत कार्य नहीं था। यह कुई राहत कार्य पर काम करने वाले मजदूरों के लिए पानी की व्यवस्था के लिये खोदी गई। अलग स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

श्री फतेहसिंह : इस दुर्भिक्ष के दौरान उस डाक बंगले पर बिजली की फिटिंग कराई गई या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री फतेहसिंह : गलत उत्तर दिया है। बिजली की फिटिंग कराई गई है और चारदीवारी बनाई गई है। जसराजजी बैठे हैं, उनकी जानकारी में है। क्या बिजली की फिटिंग कराई गई ?

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या सलाहकार समिति की राय से काम हुआ ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि बिजली की फिटिंग या चारदीवारी ऐसा कोई कार्य ऐसे फंड्स से नहीं हुआ जो फेमिन से बाहर था।

श्री फतेहसिंह : मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि इसी अकाल के दौरान जब तालाब की पाल लगा रहे थे उस समय मजदूरों ने चारदीवारी लगाई, उसी दिन ब्यावर से कारीगर बुला करके बिजली की फिटिंग कराई गई और उस पैसे को इधर डाइवर्ट किया गया था। सब फर्जी कार्यवाही हुई है। इस सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ? मैं चुनौती देता हूं। अगर यह बात गलत निकल जाय तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं। इस प्रकार की बातें हुई हैं। सही बातों से इन्कार किया जाता है। बड़ा घोटाला हुआ है। इससे अधिकारियों और दूसरे व्यक्तियों को पेट भरने का मौका मिला है।

अकाल राहत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : जवाजा तालाब के लिये कुल ५० हजार की स्वीकृति हुई थी। अब तक कुल खर्चा ४६,१०० रु. हुआ है। यह सही है कि वहां डाक बंगले में बिजली लगाई गई लेकिन बिजली फेमिन के खर्चे से नहीं लगाई गई। सिचाई के मद ४४ के नीचे यह खर्चा किया गया है। रहा सवाल डाक बंगले की दीवार बनाने का, उन्होंने चारदीवारी न बना कर प्रोटेक्शन वाल बनाई है। यह आवश्यक थी।

जहां तक कुई खोदने का प्रश्न है, यह खराई का काम है, मजदूरों के पीने के लिए पानी नहीं था। इसलिये उस काम को कम्प्लीट कराने के लिये कुई खुदवाई गई।

श्री फतेहसिंह : प्रश्न यह है कि दीवार बनाई गई चाहे प्रोटेक्शन वाल बनाई गई हो और प्रोटेक्शन दीवार बनाने के लिये राहत सलाहकार समिति की स्वीकृति नहीं थी

(श्री फतेहसिंह)
ऐसी हालत में क्यों बनाई गई, क्या आवश्यकता थी ?

श्री उपाध्यक्ष : यह टेक्नीकल प्रश्न है कि वहां पर ऐसी दीवार बनाना जरूरी था या नहीं ?

श्री फतेहसिंह : टेक्नीकल प्रश्न नहीं है। पैसा किसी बात के लिये मन्जूर होता है, वह दूसरी जगह खर्च होता है, यह गलत परम्परा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी जानकारी के लिये मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि प्रोटेक्शन वाल तालाब की ओर बनाई गई या कम्पाउन्ड वाल बंगले के चारों तरफ बनाई गई ?

श्री परसराम मदेरणा : बंगले के चारों तरफ नहीं बनाई गई, प्रोटेक्शन वाल बनाई गई।

श्री फतेहसिंह : नहीं चारों तरफ बनाई गई, मैं चुनौती देता हूं।

(शोर गुल)

आप हम पर विश्वास नहीं करते।

श्री लक्ष्मणसिंह : You have been caught.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री फतेहसिंह : आपको गलत खबर दी जाती है। नारायणसिंहजी से पूछ लीजिये कि सड़क की तरफ बनाई गई या नहीं, दक्षिण व उत्तर की तरफ बनाई गई या नहीं ?

श्री लक्ष्मणसिंह : That is no protection wall. It is a compound wall. You have been caught.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is a complete wall.

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक मेरी सूचना है ...

श्री फतेहसिंह : आपको गलत सूचना मिली है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुन लीजिये। राज्य सरकार इस सदन को कोई गलत सूचना नहीं देना चाहती। मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है, उसके आधार पर मैंने सदन में सूचना दी। अब माननीय सदस्य इसको कान्टेस्ट कर रहे हैं कि पूरी दीवार बनाई गई है। हो सकता है कि दीवार बनाई गई हो, उस पर खर्चा किसी मद से किया हो। डिपार्टमेन्ट के रेग्यूलर बजट से खर्चा कर सकते हैं लेकिन जहां तक तालाब का खर्चा हुआ, उन्होंने कहा चारों तरफ दीवार बनाई गई है, उसका खर्चा फेमिन के मद से नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो ४६,१०० रु. का खर्चा किया गया है उसमें से यह खर्चा किया गया है, तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा और उसके बाद में माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

प्रश्न संख्या ४

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्रीमती मदनकौर !

केन्द्रीय सरकार द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये प्रावधान

५. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने वर्ष १९७०-७१ के बजट में सूखा क्षेत्रों के देहातों में रहने वाले अन-एम्प्लॉयड और अण्डर एम्प्लॉयड लोगों के विकास हेतु २५ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि राजस्थान के कुछ जिलों को इस कार्य हेतु चुना गया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से जिले हैं ?

(३) क्या उक्त जिलों से सम्बन्धित विभिन्न योजनायें इस हेतु तैयार कर ली गई हैं ?

(४) २५ करोड़ के प्रावधान में से कितनी धनराशि राजस्थान राज्य को अलॉट की गई है ? क्या यह धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो इस योजना से सम्बन्धित काम किस स्तर पर चल रहा है ?

उप-मन्त्री, योजना (श्री खेतसिंह) :

(१) जी हां।

(२) जी हां। ये जिले पाली, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर व बांसवाड़ा हैं।

(३) इन जिलों के लिये कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं।

(४) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में दो करोड़ रुपये प्रति जिले के हिसाब से धनराशि ऐसी योजनाओं के लिये मिलेगी। यह धनराशि भारत सरकार द्वारा योजनाएं स्वीकृत होने पर पर ही राज्य सरकार को प्राप्त हो सकेगी तभी खर्च किया जायगा।

श्रीमती मदनकौर : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत किस प्रकार के काम कराये जायेंगे ?

श्री खेतसिंह : इस योजना के अन्तर्गत एफॉरेस्टेशन, माइनर इरिगेशन, रोड्स, पास्चर डेवलपमेन्ट, सॉइल कन्जरवेशन आदि के काम किये जायेंगे।

श्रीमती मदनकौर : क्या पानी की समस्या हल करने का काम भी इस स्कीम के अन्तर्गत लिया जायगा ?

श्री खेतसिंह : राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जो मेमोरेण्डम भेजा था उसमें रूरल वाटर सप्लाई स्कीम को भी लिखा था लेकिन भारत सरकार ने इसको न मान कर जिनका उल्लेख मैंने किया उन पर खर्च करने के आदेश दिये हैं।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : यह योजना कब चालू होगी ?

श्री खेतसिंह : जैसा मैंने निवेदन किया, इस सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार हो गया है यहां से थोड़े ही दिनों के अन्दर भारत सरकार को भेज दिया जायगा।

Page No 6

श्रीमती मदनकौर : २५ करोड़ रुपये जो ७०-७१ के लिये रखा गया था इस साल के सात महीने समाप्त होने प्राये हैं अभी तक स्कीम भारत सरकार को नहीं भेजी गई । इस योजना को कब तक तैयार कर लिया जायगा, और कब इस पर काम शुरू कर दिया जायगा, निश्चित तारीख बता सकते हैं ?

श्री खेतसिंह : इस बारे में भारत सरकार के और राज्य सरकार के बीच में थोड़ा सा मतभेद इस बात का है कि राज्य सरकार ने रूरल वाटर सप्लाई, पास्चर डेवलपमेण्ट, डेयरी डेवलपमेण्ट की स्कीमें भेजी थीं। इन योजनाओं को भारत सरकार ने मन्जूर नहीं किया। अब उनको वापस सारा कार्यक्रम भेज रहे हैं। इस महीने के अन्दर भेज दिया जायगा, और इसी महीने के आखिर में काम शुरू कर दिया जायगा।

श्रीमती मदनकौर : क्या पीने के पानी की समस्या का हल इस योजना के अन्तर्गत कर लिया जायगा ?

श्री खेतसिंह : राज्य सरकार ने इस बात के लिये ज्यादा जोर दिया था, मुख्य मन्त्रीजी और वित्त मन्त्रीजी ने इस बात पर जोर डाला था और इस सिलसिले में प्लानिंग कमीशन से भी बातचीत की थी अन्त में जाकर इसको मन्जूर कर लिया गया है इसको भी कार्यक्रम के अन्दर भेज दिया जायगा।

श्री शंकरलाल : क्या इनकम्प्लीट वर्क्स को प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री खेतसिंह : जो हैड्स मैंने बतलाये हैं उनमें अगर कोई इनकम्प्लीट वर्क है तो उसको प्राथमिकता देने का सोचा जायगा।

श्रीमती मदनकौर : इसमें राजस्थान के १२ जिले शामिल किये गये थे ?

श्री खेतसिंह : यह सही है १२ जिलों के बारे में राज्य सरकार ने सुझाव भेजे थे लेकिन भारत सरकार ने दस ही जिलों की मन्जूरी दी है।

श्रीमती मदनकौर : २१ करोड़ का प्रावधान राजस्थान के लिये किस आधार पर किया है ?

श्री खेतसिंह : इसके लिये भारत सरकार ने १०० करोड़ का प्रावधान किया है उसमें से २५ करोड़ रुपये पहले वर्ष में खर्च करने का है। दो करोड़ रुपया प्रत्येक जिले के लिये खर्च किया जायगा इस तरह के अपने यहां दस जिले हैं।

श्रीमती मदनकौर : दो जिले कौन से भारत सरकार ने मन्जूर नहीं किये ?

श्री खेतसिंह : उदयपुर और अजमेर दोनों को नहीं लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

राज्य में मोटे अनाज की कीमतें

६. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष सावणू-खरीफ फसल अच्छी होने से कोर्स अनाज के भाव राजस्थान में बहुत नीचे गिरने की संभावना है? अगर हां, तो क्या सरकार निम्नतम कोर्स अनाज के भाव ५३ रु० प्रति क्विन्टल निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

Page No 7

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(२) क्या ज्यादा कोर्स अनाज के भाव नीचे गिरने से काश्तकारों की हालत दयनीय हो जाने का खतरा है ? अगर हां, तो इस स्थिति से काश्तकारों को बचाने के लिये सरकार क्या कदम उठाना उपयुक्त समझेगी ?

(३) क्या यह भी सही है कि सांचोर तहसील की मंडियों में कोर्स अनाज की कीमत राजस्थान में सब से नीची है ? अगर हां, तो क्यों ? निम्नतम अनाज की कीमत कायम रखने के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ? इस बारे में भविष्य में क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : (१) जी हां। लेकिन ऐसी संभावना का आभास होते ही राज्य सरकार द्वारा मोटे खाद्यान्नों के राजस्थान से निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को १२ अक्टूबर से ही समाप्त कर दिया गया तथा विभिन्न मंडियों में खाद्य निगम द्वारा मोटे अनाज की खरीद हेतु ५५ रुपये प्रति क्विन्टल के भाव निर्धारित करते हुए समुचित व्यवस्था कर दी गई।

(२) भाग (१) में दिये गये उत्तर के अनुसार व्यवस्था हो जाने से ऐसी स्थिति पैदा होना संभव नहीं है।

(३) जी नहीं। मोटे खाद्यान्नों की न्यूनतम कीमत रु० ४५ प्रति क्विन्टल "प्राइस सपोर्ट" योजना के अन्तर्गत घोषित की हुई है। जालौर जिले में खाद्य निगम द्वारा जालौर, भीनमाल एवं सांचोर मंडियों में मोटे खाद्यान्नों की प्रश्न के भाग (१) में अंकित भावों पर खरीद की व्यवस्था कर दी गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सांचोर में इस प्रकार से अनाज खरीदने की व्यवस्था नहीं हुई है। राज्य सरकार को चाहिये कि जल्दी से जल्दी इसके लिये व्यवस्था करे ताकि भाव ज्यादा नीचे न जायं ?

श्री रामदेवसिंह : व्यवस्था तो की जा चुकी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या एक्चुअली अनाज की खरीद शुरू करदी गई है ?

श्री रामदेवसिंह : यह जानकारी तो नहीं है लेकिन आदेश भेज दिये गये हैं।

श्री रघुनाथ मैं विश्नोई : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई है। इस व्यवस्था के अभाव के अन्दर कम कीमत पर भी लोग कोर्स अनाज लेने को तैयार नहीं हैं। ऐसी हालत में सांचोर, धोरीमाना और हाडेचा में सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या केवल कागजों में ही आपने व्यवस्था की है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया ने राजस्थान से मोटे अनाज को खरीदने की व्यवस्था की है ऐसी जानकारी उन्होंने हमें दी है। जोधपुर डिविजन में भी उन्होंने खरीदना आरम्भ कर दिया है, स्टाफ की नियुक्ति कर दी है। यह हो सकता है कि सरप्लस स्टाफ जो हरियाणा और पंजाब से यहां आने वाला था उनके पहुंचने में विलम्ब हो गया हो। उन्होंने हैण्ड बिल छपवाकर भेज दिये हैं। मेरी जानकारी के अनुसार सांचोर में भी स्टाफ पहुंच चुका है और

(श्री परसराम मदेरणा)
भी मैं दरियाफ्त कर लूंगा। मैं इस बारे में कलेक्टर से बात करना चाहता था लेकिन बात नहीं हो सकी। अगर स्टाफ वहां नहीं पहुंचा होगा तो भी दो-तीन दिन में पहुंच जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सांचोर में कोर्स अनाज के भाव सब से नीचे पहुंच गये हैं?

श्री परसराम मदेरणा : सांचोर में नीची दर हो गई है यह तो मैं नहीं कह सकता। ज्यादा अनाज के अराइवल्स दीवाली के बाद होते हैं। हो सकता है पहले अनाज आगया हो और भाव नीचे चले गये हों। वैसे सांचोर की जो भौगोलिक स्थिति है वह सुदूर भाग में स्थित है, वहां से ट्रान्सपोर्टेशन का खर्चा भी ज्यादा लगता है। व्यापारी जो खरीदता है वह ट्रान्सपोर्टेशन के चार्जेज निकाल कर खरीदना चाहता है। जैसा कि मुझे याद पड़ता है सन् ६५ में भी अनाज के भाव नीचे चले गये थे, उस समय भी सांचोर से अनाज खरीदा गया। राज्य सरकार इस बारे में सतर्क है। जल्दी से जल्दी अनाज के खरीद की व्यवस्था की जायगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या सरकार दो और नयी मण्डियां इस इलाके में कायम करने की कोशिश करेगी? एक तो मुकर्रर है, दो जगह और भी मुकर्रर करेगी।

श्री परसराम मदेरणा : जो मण्डियां डिक्लेअर कर रखी हैं वहां पर पहले स्टाफ पहुंच जाय। धोरीमाना में जो मण्डी डिक्लेअर नहीं हुई है उसको मन्जूर कर लिया है इसके साथ-साथ बालोतरा में मंडी है, भीनमाल में है। इस तरह से जो आसपास की मण्डियां है उनमें परचेजेज जारी रहेगी, भाव नीचे नहीं गिरने पावेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। क्या सरकार अहतियातन यह अनुभव नहीं करती कि किसान के हित में मोटे अनाज के न्यूनतम भाव निर्धारित करने चाहियें। खास कर इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि अनाज की फसल इस साल बहुत अच्छी पकी है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार खड़ी फसल के काटने से पहले ही काश्तकारों के हित को ध्यान में रखते हुए मिनिमम रेट का एलान करती है, भारत सरकार भी यही करती है। तो पहले भारत सरकार ने हिन्दुस्तान भर में बाजरा, ज्वार, मक्का के लिये ४५) रुपये की गारन्टी दी थी, पर आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी सवाल नहीं रह गया है। सरकार ने प्रोक्योरमेन्ट प्राइस फिक्स की है। २७ सितम्बर, ७० को चीफ मिनिस्टरों की कान्फ्रेंस में राजस्थान के मुख्य मन्त्री के सजेशन पर एग्रीकल्चरल कमीशन ने जो प्रोक्योरमेन्ट प्राइस ५२) की फीक्सड़ की थी उसे बढ़ाकर ५५) रुपये प्रति क्विन्टल किया था।

अब राजस्थान में इस तरह के अनाज की खरीद का टारगेट खाद्य निगम के लिये ५० हजार टन रखा गया, पर हम चाहते हैं कि यह टारगेट बढ़ाकर अधिक अनाज खरीदना चाहिये ताकि किसान को लाभ मिल सके। तो अब ५५ रुपया पर खरीदने का प्रश्न है ४५ पर नहीं।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या सरकार इस ५५ की प्राइस को भी उचित समझती है कि यह किसान के प्रोडक्शन कास्ट को देखते हुए और उसे इन्सेन्टिव देने के लिये भी उचित है, रेम्यूनेरेटिव है ? क्या यह ६० रुपये नहीं होनी चाहिये ?

श्री परसराम मदेरणा : किसान के कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखते हुए यह प्राइस रीजनेबल है और इन्सेन्टिव है। यह रेट फिक्स करते समय इन सब फेक्टर्स को एग्रीकल्चर कमीशन ध्यान में रखता है।

श्री लक्ष्मणसिंह : इनफ्लेमेशन आफ कमोडिटीज और चेन्जिंग प्राइसेज की घुड़दौड़ में क्या यह ५५ रुपये की प्राइस कम नहीं है ? गरीब काश्तकार के लिये क्या यह रेम्यूनेरेटिव है ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान में गये साल कई जिलों में भयंकर अकाल था। पर इस साल बहुत अच्छी बारिश होने से काफी अच्छी फसल सभी जगह हुई है। हाल ही में मैंने और मुख्य मन्त्रीजी ने पश्चिमी जिलों का दौरा किया था और काश्तकारों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज से हम मिले हैं। उनका भी यही कहना है कि अगर ५५ रुपया में सरकार खरीदती है, और ये भाव तय होते हैं तो यह रेम्यूनेरेटिव है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि एफ० सी० आई० के द्वारा अभी तक खरीद प्रारम्भ नहीं की गई है और इस बीच सरकार ने मोटे अनाज की निकासी के लिये अनुमति दे दी है जिसके कारण वहां का व्यापारी सस्ते में खरीद कर ऊंचे भावों में निकासी कर रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान में स्केअरसिटी कण्डीशन की वजह से मोटे अनाज की निकासी पर रोक लगाई गई थी पर आज वह कण्डीशन नहीं है इसलिये सरकार ने वह रोक उठा ली है। इस वजह से हो सकता है कुछ प्रोब्लम हो, पर एफ० सी० आई० ने अनाज खरीदना प्रारम्भ कर दिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : किस-किस जगह कितना-कितना खरीदा यह बता दीजिये ?

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : कितना-कितना खरीदा आज तक यह बता दीजिये ?

श्री परसराम मदेरणा : खाद्य निगम ने एक हैण्ड बिल निकाला है, जिसमें पीछे की तरफ मण्डियों के नाम लिखे हैं। मेरे पास अधिक प्रतिलिपियां नहीं हैं, हुई तो दे दूंगा। साइक्लोस्टाइल करा कर दे दूंगा ताकि आपको भी यह जानकारी रहे कि कौन-कौन सी जगह पर मण्डियां निर्धारित करदी गई हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न इसका नहीं है, आप तो यह बतलाइये कि कहां-कहां कितना-कितना खरीदा है ?

श्री परसराम मदेरणा : २८ तारीख को एफ० सी० आई० की कांफ्रेन्स थी। दो दिन से पश्चिमी राजस्थान से उनके पास सूचना आई है कि बहुत सी जगह तो एक-एक, दो-दो बोरी भी अनाज नहीं आ रहा है। पर यह स्थिति दिवाली से पूर्व की है, सम्भव है दिवाली के कारण किसान अनाज बाहर नहीं लाया हो, दिवाली के बाद लावे।

(श्री परसराम मदेरणा)
दिवाली से पूर्व अलवर की दो मण्डियों में कहीं ३०० बोरी परचेज की है तो कहीं ३५० बोरी परचेज की हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने किसान के ज्वार का भाव निर्धारित किया है और उसका ४५ रु० ते किया है। पर आपने यह भी ध्यान दिया कि आज किसान खाद खरीद रहा है वह कितना महंगा है, बीज कितना महंगा है और उस पर जो खर्चा आ रहा है पानी वगैरह का वह कितना ऊंचा है? इतने पर भी आपने यह मिनिमम रेट निर्धारित की है तो क्या इस रेट को देखते हुए किसान की माली हालत ठीक रह सकेगी?

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न पूछा जा चुका है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: यह ४५ का भाव निर्धारित करना किसान को कुचलने और बरबाद करने का षड्यन्त्र है और इन धन्ना सेठों को पनपाना है जिनके बल पर यह सरकार जिन्दा है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदनसिंह दांता!

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): आपने ४५ की प्राइस रिवाइज करके ५५ की। यहां तक तो ठीक है। पर क्या सरकार ने यह भी देखा है कि कन्जूमर्स को जिस भाव पर वह मिलता है उसमें कितना डिफरेन्स है?

श्री परसराम मदेरणा: माननीय सदस्य ने एक वजनदार मुद्दा उठाया है। प्रोक्योरमेन्ट प्राइस ते करते समय एग्रीकल्चर कमीशन को कई बातों के साथ यह बात भी ध्यान में रखनी पड़ती है कि कन्जूमर को भी उस पर ओवरहैड चार्जेज जो हुए हैं वे जोड़कर दे सकें, वह भी नाराज न हो, उसको भी भारी न पड़े, और किसान को भी इन्सेन्टिव कम न हो इसलिये ५५ की रेट निर्धारित की है, जो ठीक है।

श्री रोशनलाल शर्मा: गये साल ४८ के भाव में खरीद की और जनता को ७२ के भाव में बेचा। क्या इतना अन्तर ठीक था? फिर आज तो आप खरीदते ही नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा: मेरा निवेदन करना यह है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया ......

श्री रोशनलाल शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो पूरा सुनें मन्त्री महोदय। मेरा प्रश्न यह है कि ४८ में खरीद कर ७२ में बेचना यह सस्ता नहीं था क्या?

श्री लक्ष्मणसिंह: क्या सरकार भी इस तरह से काला बाजार करती है?

श्री परसराम मदेरणा: राजस्थान सरकार मुनाफा नहीं कमाती है। ४८ के भाव जो खरीदा वह तो ६७ में बेचा था। दूसरे प्रान्तों में जाकर जब बेचते हैं तो उस पर ओवरहैड एक्सपेन्सेज तो आते ही हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा: प्रश्न तो यह है कि खरीदा किस भाव और बेचा किस भाव?

श्री परसराम मदेरणा: वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। वह मक्का पंजाब से प्रोक्योर किया गया था। राजकीय प्राइस

(श्री परसराम मदेरणा)
५६/५७ पर खरीदा । फिर ओवरहैड एक्सपेन्सेज जोड़कर बिना मुनाफा बेचा ।

श्री रोशनलाल शर्मा : राजस्थान से जो मक्की खरीदी गई थी वह कितने हजार क्विन्टल थी और उसे किस भाव में बेची ? इसका जवाब दें ।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान में जो खरीदी गयी थी वह सेन्ट्रल पूल में खरीदी गई थी, राजस्थान सरकार ने नहीं खरीदी और जिस रेट में उनको पड़ता पड़ा था उसमें बेच दिया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक तरफ कहते हैं सस्ता अनाज देने के लिये यह निगम बना है, पर मेरी निश्चित मान्यता है कि आज राजस्थान सरकार ने निकासी खोल दी है तो मुनाफाखोर व्यापारी आज खरीद-खरीद कर ऊंचे से ऊंचे भावों पर बाहर भेजेंगे । यहां किसान को नीचे से नीचा भाव देंगे और फिर दो-तीन महीने के बाद यहां की निर्धन जनता को जब अनाज की आवश्यकता होगी तो किसी भाव में भी गल्ला प्राप्त नहीं होगा । एफ० सी० आई० के पास एक हजार बोरी गल्ला रोज आ रहा है पर आज तक एक बोरी गल्ला उसने नहीं खरीदा है, ज्वार नहीं खरीदी । दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि वह खरीद रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : दस-पन्द्रह रुपयों का खर्चा जोड़कर किसान से जो खरीदा उससे बहुत ऊंचे भाव पर जनता को वेचेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): काश्तकार ने जिस समय बीज खरीदा उस समय आज से तिगुना भाव था और आज उसके आधे से भी कम रह गया है । बाकी जो चीजें काश्तकारों को लेनी पड़ती हैं उनके भाव उससे भी ज्यादा हैं । बाजरा गिर रहा है तो क्या इस सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि उनको ठीक रेट दिलावे । जो किसान पिछले अकाल के सालों के कारण कर्जे में डूब गया है वह अपना कर्जा कैसे उतारेगा, अगर भाव इसी तरह से गिर गये तो ? ऐसी स्थिति में क्या मुख्य मन्त्री का और इस सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि किसान को पूरी कीमत दिलावे ? आज की कीमतों को देखते हुए उनका घाटा पूरा नहीं हो सकता, इस पर आपने क्या विचार किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं दिया । राजस्थान के गरीब किसानों का आज शोषण हो रहा है । समाजवाद का नारा लगाते हैं, किसानों का शोषण होता है, मेरी मान्यता है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गाड़ियाजी कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ....किसानों का शोषण हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण !

श्री सारण !

(श्री गाड़िया के बराबर बोलते रहने पर एवं कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

Page No 12

एक माननीय सदस्य : १५ क्विन्टल ज्यादा देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण !

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्षजी....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि...

श्री उपाध्यक्ष : श्री सारण !

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो न्यूनतम भाव तय करने का निश्चय किया है यह बताया जाय कि लागत मूल्य पर, उत्पादन खर्च पर और कुछ बातों पर ध्यान रखकर जो भाव तय किये जाते हैं उस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादन व्यय कितना शामिल किया गया है और कौन-कौन से आधार शामिल किये गये हैं ? उन सबको मिलाकर आपका क्या प्रतिशत बैठता है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं। प्रोक्योरमेंट प्राइस निर्धारित की जाती है वह एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन की रिकमन्डेशन हो रही थी उस समय मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेन्स में भी इस सम्बन्ध में विचार हुआ था कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, इकोनोमिक सिचुएशन, इनफ्लेशन की कन्डीशन और रीजनेबिल प्राइस पर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम पर वितरित किया जा सके। ये सब फेक्टर देखकर एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन अपनी रिकमन्डेशन करता है—भारत सरकार को। रिकमन्डेशन की थी वह ५२ रु० है लेकिन आज ५५ रु० है। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा था कि राजस्थान के अन्दर दो साल से सूखा था और किसानों ने इस सूखे की स्थिति में बीज महंगा खरीदा था। बीज के भाव एबनोर्मल थे और जब प्रोक्योरमेंट प्राइसेज एबनोर्मल रहती हैं तो कन्ज्यूमर खरीद नहीं सकता। मैं बारां से आने वाले माननीय सदस्य की राय से सहमत हूं कि किसानों का शोषण नहीं होना चाहिये और मोटे अनाज का भाव ठीक निर्धारित हो ताकि काश्तकारों को ठीक कीमत मिल सके, लेकिन मैं माननीय सदस्य से यह उम्मीद करूंगा कि जो शोषण करने वाले हैं, उनको पब्लिक में एक्सपोज कर दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं एक बात जानना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या राज्य सरकार इस बात को....

श्री उपाध्यक्ष : श्री सिंघवी !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार ...

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात अभी कही गई....

श्री उपाध्यक्ष : श्री सिंघवी !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या राज्य सरकार इस बात को बताने का कष्ट करेगी कि जो ५५ रुपया क्विन्टल का भाव तय किया गया है तो काश्तकार को वापस माल खरीदने के लिये क्या इसी भाव पर मिल जायगा ? उसको ऊंचे भाव नहीं देने पड़ेंगे। राज्य सरकार जब इस बात की गारन्टी दे देगी तो काश्तकार ज्यादा से ज्यादा माल बेचेगा क्योंकि उसे इस बात का विश्वास रहेगा कि वापस मुझे सही भाव से माल मिल जायगा। काश्तकार अपनी जरूरत की चीजें ....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य। इसका उत्तर दिया जा चुका है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ये सब प्रश्न आ चुके हैं।

(शोर-गुल, अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की हमेशा उपेक्षा की नीति रही है। सरकार ने जब भी गल्ले की निकासी खोली है तब-तब ही पूंजीपतियों ने...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आॅर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : तीन महीने बाद आम जनता को खाद्यान्न उस भाव पर नहीं मिलते हैं। ये सब पूंजीपति अनाज का स्टोरेज करते हैं। किसानों से सांठ-गांठ रखते हैं। क्या सरकार यह गारन्टी देती है कि अगली फसल तक यही भाव रहेंगे ?

श्री रामचन्द्र आर्य : किसान विरोधी सरकार है। किसानों के प्रति इनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय !

श्री रामचन्द्र आर्य : आज काश्तकार को कई वर्षों के बाद यह फसल देखने को मिली है। बाजार में जो माल बिकता है ...

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय !

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी कहा...

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : यह आध घंटे की चर्चा के लिये रख दिया जाय तो ठीक रहेगा। इसका सब गरीबों से सम्बन्ध है।

श्री लक्ष्मणसिंह : आज सरकार के सफेद पोश, तस्करी करके अनाज बाहर ले जाते हैं। मक्का ले जाते हैं स्टार्च फैक्ट्री के लिये और आदिवासी क्षेत्र की जनता भूखों मरती है। उसके लिये आपने क्या किया ? आप थोथी बातें करते हैं कि एक्सपोज करना चाहिये। एक्सपोज करके क्या करेंगे, आपके कानों तक आवाज जाती है और बोलने में आप गूंगे हो जाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस वर्ष मोटे अनाज की अच्छी फसल है और उसके फलस्वरूप कहीं पर भी आदिवासियों को भूखों मरने की नोबत नहीं है...

एक माननीय सदस्य : बणिये लूट रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार के कोई लगाम नहीं है (हां पक्ष की ओर से एक माननीय

Page No 14

(श्री लक्ष्मणसिंह)

सदस्य के बोलने पर) हमारी तो कोई बात नहीं, हम तो विरोधी पक्ष के हैं लेकिन आपके पक्ष वाले ही कहते हैं। यह तो उपाध्यक्ष महोदय, जन-हित की समस्या है। किसानों के प्रति सबको सहानुभूति है। आपके तस्कर जिन्होंने लाखों रुपये कमाये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री लक्ष्मणसिंह : आपको शर्म नहीं आती है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ! इस तरह चर्चा समाप्त नहीं हो सकती है।

श्री मदनसिंह : राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सही आवाज उठाई है। किसानों का मामला है, ६० रु० क्विन्टल का भाव हो जाय तो आपको क्या मुश्किल है...

श्री देवीदत्त गाड़िया : राज्य सरकार यह गारन्टी दे कि...

(शोर-गुल)

मदेरणा साहब यह आश्वासन दे दीजिये, आज जो भाव हैं, ये ही रहेंगे।

श्री मदनसिंह : ५ रुपये बढ़ा दिये जायें।

(शोर-गुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं बड़े विनम्र शब्दों में मंत्रीजी से यह आश्वासन चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

(शोर-गुल, अश्रव्य)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (जयपुर) :
श्री लादूराम सुलानिया (फागी) :
श्री देवीदत्त गाड़िया :
श्री मदनसिंह :
(एक साथ बोलते रहने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, ऑर्डर प्लीज !

(पुनः श्री मदनसिंह के बोलने पर)

ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानिया : इन दोनों में अन्तर कितना रहे यह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो मोटे अनाज का भाव है और जिस भाव से किसान बेच रहा है क्या साल भर तक यही भाव रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें। आसन अपने पैरों पर है। इस प्रश्न को आप अन्य किसी तरीके से उठा सकते हैं। आधे घंटे की चर्चा हो सकती है...

श्री मदनसिंह : इससे तो दो घंटे की चर्चा और बढ़ जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से प्रश्न बचे हुए हैं इसलिये यह उचित नहीं होगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं विशेष नहीं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मंत्री महोदय ने यह कहा, जो तस्करी काम करते हैं उनको एक्सपोज किया

Page No 15

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)
जाय तो क्या ऐसा करने पर सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : कानूनी मसला है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कानूनी मसला नहीं है। यह सरकार की गलत नीति है क्योंकि उनसे लाखों रुपयों का चन्दा मिलता है। मैं राज्य सरकार से यह आश्वासन चाहूंगा कि आज जो भाव हैं साल भर तक ये ही रहेंगे, ऊंचे नहीं चढ़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार के कानों में यह बात लाना चाहता हूं कि एक ओर तो राज्य सरकार कहती है कि हमने मिनिमम प्राइस फिक्स की है और दूसरी ओर राज्य सरकार कहती है कि ५५ रुपये का भाव तय किया है और तीसरी ओर उसी राज्य सरकार ने ४५ रु० के भाव पर व्यापारियों को इजाजत दे दी कि बाहर ले जायें। तो यह राज्य सरकार नहीं करती तो कौन करता है ? क्या राज्य सरकार अपनी इस नीति को बदलने के लिये तैयार है ? आपने ५५ रुपये क्विंटल का भाव तय किया और गारन्टी ४५ रुपये क्विंटल के भाव की दी और ५५ रु० ६० के भाव पर निकासी की इजाजत दे दो। क्या यह राज्य सरकार ही प्रबेटमेंट नहीं करती तो कौन करता है ? ५५ रु. के भाव पर अनाज नहीं खरीदा जाता और ४५ रु. के भाव पर बाहर निकाला जाता है...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : सबसे बड़ी तस्करी करने वाली तो राज्य सरकार स्वयं है और राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी नीति को बदलना पड़ेगा...

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री कन्हैयालाल !

श्री देवीदत्त गाड़िया : आज जो मोटा अनाज है उसके भाव साल भर तक यही रहेंगे यह गारन्टी चाहिए। इस प्रकार से गरीबों का शोषण है....

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि ५५ रु० पर जो भाव तय किया है आगे आने वाले साल तक यही भाव स्थाई रहेंगे और उसके साथ-साथ किसानों के खेती के जितने भी साधन हैं और जो उन पर उनका पैसा खर्च होता है और जो फैक्टरी और कारखानों का माल है उसके भाव भी क्या राज्य सरकार तय करने के लिये तैयार है या नहीं ? अगर तय करने के लिए राज्य सरकार राजी नहीं है तो किसानों के ऊपर वाकई कुठाराघात है और किसानों की फसल को लुटवाने का बड़े-बड़े साहूकारों और व्यापारियों को आप मौका दे रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री हीराभाई : भाषण नहीं होगा तो फिर आश्वासन दिला दीजिए। बड़े-बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार एकदम तुली हुई है। अगर आप किसानों के घरों पर पांच-पांच साल का कर्जा वसूल करने के लिए जायेंगे तो क्या सारी फसल इस भाव पर आप लुटवाना चाहते हैं ? यह

(श्री हीराभाई)
सरकार सेठों की दलाल है या यह सरकार जनता की सरकार है ? उसके लिए सरकार को बहुत सोच समझकर भाव तय करने चाहिएं और खेती के काम में जो चीजें आती हैं और जो फैक्टरी और कारखानों में बनती हैं क्या उसके लिए भी भाव तय किये जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकर्ता ने इस सम्बन्ध में आधे घन्टे की चर्चा चाही है इसलिए इसके लिए समय दे दिया जायेगा उस समय इसके ऊपर चर्चा माननीय सदस्य कर लेंगे। क्योंकि समय हो गया है और बहुत से प्रश्न बाकी है।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु.) : यह आधा घन्टे की चर्चा करने से समस्या हल नहीं होगी। राज्य सरकार आश्वासन दे दे कि यही रेट्स अगली साल भी रहेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : आधा घन्टे की चर्चा हो जायगी....

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो भाव निर्धारित किये गये यह दो बातों को लेकर किये गये है। पहली बात तो यह है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ...

श्री डूंगाराम राजोरिया: एक मिनट के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बाद में चर्चा हो जायगी।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक मिनट के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ....

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक सैकिण्ड के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : एक सैकिण्ड तो हो गया।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक मिनट के लिए।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि राज्य सरकार ने जो भाव तय किये हैं वह दो बातों को ध्यान में रखकर किये हैं। एक तो यह है कि किसानों की फसल कम दामों में नहीं जायेगी। दूसरी बात यह है कि जो गरीब तबका है उसको कम कीमत पर अनाज मिले। अब जो कमजोर किसान है वही गल्ला बेचेगा और वह बेचकर दूर हो गया। जो कमजोर वर्ग होगा वह खरीद नहीं सकता। याने कमजोर किसान और व्यापारी इसका कोई लाभ नहीं उठा सकता। आगे जाकर दो महीने के बाद जो रुपये पैसे वाली पार्टीज हैं, जिनको व्यापारी वर्ग कहते हैं वह अपने पास स्टॉक जमा कर लेंगे और बाहर उसकी निकासी कर लेंगे और काफी लाभ उठा लेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दो महीने के बाद यह नुकसान किसके ऊपर पड़ेगा इसका जबाब माननीय मंत्री महोदय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : कोई उत्तर नहीं दिया जायेगा। अगला प्रश्न ले लिया गया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जरूर उत्तर दिया जाना चाहिए। अगर राज्य सरकार यह आश्वासन दे दे तो यह सवाल यहीं पर समाप्त हो जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या राज्य सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि

Page No 17

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
एफ० सी० आई० ने राजस्थान के अन्दर मोटे अनाज को खरीदने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं ? और क्या राज्य सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि एफ० सी० आई० अपने लक्ष्य के अनुसार जो मोटे अनाज की खरीद करेगी उसको निकासी राजस्थान के बाहर नहीं होगी मैं इन दो प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर नहीं दिया जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी सदन को सूचित किया कि इस सम्बन्ध में आधे घन्टे की चर्चा का प्रस्ताव माननीय सदस्य से मिल गया है इसलिए इस सम्बन्ध में आगे विवाद नहीं किया जाये। क्या माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जान सकता हूं कि इस चर्चा को रखने के लिए जो प्रस्ताव आपके पास आया है, उसको आपने स्वीकार कर लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह है कि वह अस्वीकृत भी हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर अन्य किसी तरीके से भी उठाया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्षजी, यह चर्चा आधे घन्टे में समाप्त हो जायेगी इसमें मुझे सन्देह है। इसके लिए उचित होगा कि राज्य सरकार की ओर से एफ० सी० आई० ने कितना लक्ष्य निर्धारित किया है और अब तक कितना अनाज खरीद लिया गया है, इसका विवरण दे दिया जाय और इस साल राजस्थान के अन्दर प्रोडक्शन कितना होगा इसका भी एस्टीमेट बता दें और खाद्य मंत्रीजी कह रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी की राय से ५५ रुपये के भाव तय हुए हैं। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी बता दें कि ५५ रुपये के फीगर पर किस आधार पर पहुंचे हैं ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना माना है और आज की मंहगाई का इम्पेक्ट क्या रहा है यह सब जानकारी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह जानकारी उसी समय उपलब्ध कराई जा सकती है जब कि चर्चा हो आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी पहले दे दें तो चर्चा उस पर अच्छी तरह से हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न-श्री कन्हैयालाल

जमवारामगढ़ बंधे के पानी से सिंचाई

७. **कन्हैयालाल** (बस्सी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जमवारामगढ़ बंध से सिंचाई के लिये पानी नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और दिया जाता है तो गत पांच साल में किस-किस तहसील में किस-किस पंचायत क्षेत्र के काश्तकारों को सिंचाई के लिए पानी दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री कन्हैयालाल)

(२) क्या यह भी सही है कि सिंचाई के लिये पानी नहीं देते हुए भी नहरी लगान वसूल होता है जब कि राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि नहरी लगान छोड़कर लगान वसूल किया जावे ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (१) जी हां, जयपुर शहर के लिए पानी सुरक्षित रखने के कारण सिंचाई हेतु नहीं दिया जा रहा है वांछित सूची (अ) संलग्न है।

(२) नहरी लगान वसूल करने का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु) : सिंचाई विभाग क्या कर रहा है इसके लिए जिन किसानों को बीस-बीस साल से नहरी क्षेत्र होते हुए भी पानी नहीं मिल रहा है फिर भी बीस साल से सरकार वहां नहरी लगान वसूल कर रही है। तो सिंचाई विभाग का कर्तव्य है कि वह सोचे कि पानी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ? कई बार राज्य सरकार के सामने प्रश्न आया है कि जिन किसानों को २० साल से पानी नहीं मिल रहा है उनसे नहरी लगान वसूल करने का क्या औचित्य है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : उपाध्यक्षजी, अभी जो प्रश्न उठाया गया है कि रामगढ़ बंधे में अभी जयपुर शहर के पीने के लिए पानी सारा पानी सुरक्षित रहता है तो भी कमी पड़ जाती है इसलिए सिंचाई के लिए कोई पानी नहीं दिया जा रहा है। कुछ समय जब कि बंधे में पानी ज्यादा आया था तो पिछले सालों में किसी एक साल तीन हजार एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी दिया गया था, लेकिन जिनको पानी नहीं मिल रहा है, सेटलमेन्ट के समय वह नहरी जमीन होने से पानी मिलता हुआ होने से उस पर नहरी लगान कायम हो गया और अब पानी नहीं मिल रहा है इसलिए वह नहरी लगान नहीं रहना चाहिए, यह बात कही गयी है। वास्तव में यह उचित प्रतीत होता है कि जब सिंचाई के लिए पानी बांध से नहीं दिया जा रहा है तो जिस आधार पर नहरी लगान कायम किया गया था वह आधार ही नहीं रहता है तो वह नहीं लिया जाना चाहिए, इसके लिए मैं राजस्व विभाग को लिखकर उनसे इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कराऊंगा कि जिससे आगे चल कर यह विवाद न खड़ा हो।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह सिंचाई का पानी कब से नहीं दिया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रश्न में पांच साल का पूछा था तो उसका तो मैंने जवाब दे दिया कि एक साल तीन हजार एकड़ भूमि को दिया गया और बाकी को नहीं दिया गया पिछले सालों में जयपुर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पानी नहीं दिया जाता रहा है लेकिन कितने साल हुए यह याद नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार उचित नहीं मानती कि जब कमाण्ड से अन-कमाण्ड किया जाता है तो उस समय राजस्व विभाग को सूचित करें कि यह जमीन कमाण्ड नहीं रही है इसलिए अनकमाण्ड का लगान लिया जाये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कमाण्ड ग्रौर ग्रनकमाण्ड का प्रश्न नहीं है। इसमें पहले तो कुछ जमीन को पानी मिलता था ग्रौर धीरे-धीरे ग्रब यह पोजीशन ग्रा गई है कि बिल्कुल ही पानी नहीं मिल रहा है। इसलिये जब ऐसी कोई योजना इन्डिपेन्डेन्टली बन जायगी जो जयपुर की सारी ग्रावश्यकताग्रों को मीट कर सके ग्रौर सरप्लस पानी रह सके तब ही इनको पानी सिचाई के लिये दिया जा सकता है। ग्रभी तत्काल वह पोजीशन नहीं है। इसलिये ग्रब इसको नहरी लगान के बजाय जो ग्रार्डिनरी लगान होता है उसमें परिवर्तित करने के लिये ग्रावश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री दौलतराम सारण : ग्रब तक जो लगान वसूल किया गया है क्या राज्य सरकार उसको वापिस दिलाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह ग्रलग से प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : यह कई वर्षों से लिया गया है ग्रौर ग्रब क्या इसको वापिस देने की कोशिश नहीं करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लगान लेना या नहीं लेना यह राजस्व विभाग से सम्बन्ध रखता है। हमारे विभाग की ग्रोर से इन सारी परिस्थितियों को निवेदन कर दूंगा ग्रौर यह ग्रावश्यक कार्यवाही करवाऊंगा कि लगान लिया जाये या नहीं। इसके सम्बन्ध में सिचाई मन्त्री की हैसियत से ग्रभी कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री दौलतराम सारण : मैंने डाइरेक्ट प्रश्न पूछा है। सिचाई विभाग ने राजस्व विभाग को सूचना नहीं दी है इसलिये राजस्व विभाग बिना सिचाई विभाग की सूचना के लगान तय नहीं कर सकता है। इसमें सिचाई विभाग की जिम्मेदारी है। उसको चाहिये था कि वह स्थिति राजस्व विभाग को बताता।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज। इसमें वाटर रेट्स वसूल नहीं की गई है। लैण्ड रेवेन्यू वसूल की गई है।

श्री दौलतराम सारण : ग्राप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी-सु.) : मन्त्री महोदय ने बताया है कि पिछले साल ३००० एकड़ जमीन को पानी दिया गया है। इसमें उन्होंने सूची में बताया है कि २,६४१ एकड़ को पानी दिया है। इस प्रकार से इस जमीन का लगान जब तक निरस्त नहीं होगा वसूली होती रहेगी। हमारा कहना यह है कि जो गलत वसूली हो गई है क्या ग्राप उसको वापिस देंगे ? दूसरी बात यह है कि ग्रापने पिछले साल पानी दिया २,६४१ एकड़ जमीन को ग्रौर इस वर्ष नहीं दे रहे हैं तो क्या पिछले साल जयपुर में पीने का पानी पूरा मिला है, ऐसा ग्राश्वासन दे सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, जो ३,००० एकड़ जमीन को पानी दिया है वह ६८-६९ में दिया गया है। उस समय इसका पूरा भराव था ग्रौर वह ५५' से ऊपर चला गया था ग्रौर उसे डेन्जर हो गया था उस वक्त में यह पानी छोला गया था लेविल नीचा करने के लिये। उस वक्त पिलाई जमीन की की गई थी। दूसरी बात यह है कि जो नहरी दर्जा इस जमीन को दिया गया है वह सैटिलमेन्ट विभाग की ग्रोर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
से सर्वे होकर दिया गया था और उस दर से पानी के पर्चे बने हुए हैं और लगान वसूल किया गया है। इसका रिवीजन ऑफ सेटिलमेन्ट या और कोई तरीका हो उसको हम राजस्व विभाग से कहेंगे और उसके अनुसार आगे कार्यवाही होगी। यह कर सकते हैं। वैसे यह तालाब पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट के पास में है पीने के पानी की वजह से। लगान का ताल्लुक और दूसरी किसी बात का ताल्लुक मेरे से नहीं है। मैं अपनी जानकारी के अनुसार जवाब दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि सन् ६७ में रामगढ़ के किसानों ने विधान सभा के सामने प्रदर्शन किया था और राज्य सरकार ने उनको यह आश्वासन दिया था कि उन किसानों से सिंचित भूमि का लगान जो सैटिलमेन्ट द्वारा लगाया गया है वह वसूल नहीं किया जायेगा और इसकी क्षति-पूर्ति करने के लिये कुए खुदवाने में किसानों को सहूलियतें दी जायेंगी, तकावी का बन्दोबस्त किया जायेगा, बिजली दी जायेगी, किसानों को पम्पिग सैट्स खरीदने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। यह आश्वासन सरकार ने उनको दिया था, क्या सरकार ने उसको पूरा किया है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मुख्य-मन्त्रीजी जवाब दें ? यह उन्होंने कहा था ?

श्री भैरोंसिंह : यह मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था और मैं समझता हूं कि इतनी याददाश्त उनको खराब भी नहीं हुई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है और बड़ाबेड़ लोन दिया जा रहा है। जो लोन लेना चाहे ले सकता है।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी यहां पर यह कहा है कि कुछ दिनों में रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को रेफर करूंगा किस सीमा तक इस आश्वासन को पूरा करेंगे। कल जाकर आप इसको भी भूल जायेंगे। आखिर आश्वासन की भी कोई सीमा है कि आप उसको नहीं भूलेंगे ? जिस समय आपने यह आश्वासन दिया था उस समय भी इस हाउस में डिस्कशन हुआ था और मुख्य मन्त्री ने कहा था कि क्षति-पूर्ति के लिये कुए खुदवाने में प्रोत्साहन दिया जायेगा, आसान किस्तों पर तकावी दी जायेगी, किसानों को पंपिंग सैट्स खरीदने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा, तत्काल बिजली के कनेक्शन दिये जायेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था करने की घोषणा मुख्य मन्त्रीजी ने यहां सदन में की थी और सिंचित भूमि का लगान वसूल नहीं किया जायेगा उसका भी उल्लेख हुआ था।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक बात हुई। दूसरी बात इसमें यह है कि सिंचित भूमि का लगान लिया जाता है और पानी देने का और रुपया भी ये लेते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप और कन्फ्यूज कर रहे हैं। एक तो इरिगेशन का, पिलाई करने को है। और दूसरा चाही जमीन का लैन्ड रैवेन्यू का है। यह प्रश्न लैण्ड रेवेन्यू का, चाही जमीन का है, पिलाई के चार्जेज का नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने एक प्रश्न यह किया है कि जो आश्वासन दिया गया था कि उनको लोन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

दिया जायगा ताकि वे कुए खोद सकें, बिजली लगा सकें और सिंचाई के आल्टरनेटिव साधन को प्राप्त कर सकें ? मैं उनकी जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि कमाण्ड के किसानों को लगभग १२ लाख का लोन दिया गया है सरकार की ओर से।

श्री भैरोंसिंह : किस परपज के लिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसी काम के लिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जयपुर देहात कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार को एक ज्ञापन दिया गया था और उसमें यह मांग की गई थी, यह बात दोहराई गई थी कि जिन किसानों को नहर का पानी नहीं मिला उनसे चाही जमीन का लगान सेटिलमेंट की रेटस् में चेंज कर के और बारानी जमीन की हैसियत से लगान वसूली की जायेगी। उस समय भी राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेमोरेन्डम के वक्त कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में जो समाचार-पत्रों में छपा है क्या वे सरकारी आश्वासन नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप चीज को कन्फ्यूज कर रहे हैं। वह सारी लगान की प्रॉब्लम जिनका कि सैटिलमेंट ड्यू हो गया है किस एक्सटेन्ट तक बढ़े और किस एक्सटेन्ट तक नहीं बढ़े, तो उसमें एक जनरल पोलिसी का एलान किया गया था। वह जयपुर जिले के लिये और दूसरे जिलों के लिये भी है। हांलाकि यह प्रश्न उससे कवर नहीं होता है क्योंकि जब रिवीजन के तौर पर इसको सोचते हैं तो इस विषय का समावेश कर सकते हैं, किया जा सकता है और इस तरीके से इसमें जो कमी करनी है नहरी पार्ट की वह कमी की जायेगी।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : इस प्रश्न का जो दूसरा खण्ड है वह बिल्कुल ही स्पष्ट है। आपने बन्दोबस्त की वसूली से यह नहरी जमीन करार दी है। अगर नहरी जमीन को पानी नहीं मिलता है तो जो लगान आपने नहरी जमीन के नाम से वसूल किया है वह काश्तकारों को वापिस मिलना चाहिये। क्या सरकार ऐसा करने के लिए अपने नियमों के अनुसार बाध्य नहीं है ? इसमें क्या मुश्किल है ? यह तो सीधा सा प्रश्न है।

(१२ मध्याह्न)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बड़ी आसानी से जवाब दे दिया कि यही व्यवस्था करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बड़ा गोलमाल और डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि यह करेंगे और वह पूछेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नो डिप्लोमेसी। उनके अनुसार उसका वह पार्ट है।

श्री लक्ष्मणसिंह : आप सीधा-सीधा जवाब दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यही हम करेंगे।

Page No 22

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मन्त्री महोदय इस रूप में पहले सीधा जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री लक्ष्मणसिंह : कि जो नियम के विरुद्ध लगान लिया गया है वह वापिस दिया जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : रेवेन्यू मिनिस्टर यहां पर बिराजे हुए हैं...

श्री लक्ष्मणसिंह : उनकी नियत में फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। माननीय सदस्य।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्व मन्त्रीजी यहां बैठे हुए हैं तो क्या दिक्कत आती है स्पष्टीकरण करने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्षजी माननीय राजस्व मन्त्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वे यह एश्योरेन्स दें कि इस प्रकार से जो लगान लिया गया है वह वापिस दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री लाभचन्द बंब (सुजानगढ़) : उपाध्यक्षजी यह प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : सभी प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं ऑर्डर प्लीज।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो जमवारामगढ़ क्षेत्र में ३० हजार एकड़ भूमि थी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं मिला कि ३० हजार एकड़ जो २० साल....

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिये आसन पैरों पर है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर नहीं दिलाया जायगा इसका कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसका कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला है हमें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नों के अब उत्तर नहीं दिये जायेंगे, माननीय सदस्य।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं स्पष्ट कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज । प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसके कहने में क्या एतराज है । मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, आप सदन का समय ले रहे हैं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : २० साल से ३० हजार एकड़ जमीन को पानी नहीं देते हैं और बन्धे से जमीन केवल ३०० एकड़ ही सींची जाती है २० साल से ३० हजार एकड़ जमीन में पानी नहीं दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर नहीं दिया जायगा ।

एक माननीय सदस्य : इलेक्शन में कर देंगे ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

निगम की बसें पीपाड़ होकर जाने की व्यवस्था

२. श्री श्रोमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पीपाड़ क्षेत्र की जनता ने यह मांग की है जोधपुर से जयपुर कोटा व अजमेर चलने वाली राज्य पथ परिवहन निगम की बसें पीपाड़ होकर जानी चाहिए ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में निगम को आवश्यक निर्देश प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है । अतः निगम को निर्देश देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ । अब निगम को इस प्रश्न पर छानबीन करने के लिये कहा जायगा ।

पदोन्नति के आधार

४. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) शिक्षा विभाग में सैकिण्ड ग्रेड अध्यापकों को सीनियर टीचर्स के लिए प्रमोशन देने हेतु कौन से आधार हैं ?

(२) क्या सेकिण्ड ग्रेड टीचर्स की सीनियोरिटी लिस्ट तैयार करली गई और नहीं तो क्यों ?

(३) साल १९६८-६९ तथा १९६९-७० में किन-किन सैकण्ड ग्रेड अध्यापकों का सीनियर टीचर्स के पद पर प्रमोशन हुए तथा वे सीनियोरिटी में, किस-किन नम्बर पर आते थे ?

(४) क्या यह सही है कि इन प्रमोशन में आधारों का ध्यान नहीं रखा जाकर पक्षपात किया गया है तथा सीनियर पड़ने वाले अध्यापकों को छोड़ कर जूनियर पड़ने वालों का प्रमोशन किया गया है ?

उत्तर

१. सैकिण्ड ग्रेड के अध्यापकों को सीनियर टीचर्स के पदों पर प्रमोशन देने का आधार उनकी वरिष्ठता है, यदि वे उस पद को धारण करने की शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक शिक्षण उपाधि रखते हैं ।

Page No 24

(शिक्षा मंत्री)

२. सेकिण्ड ग्रेड टीचर्स की सीनियोरिटी लिस्ट दिनांक ३१-८-१६६१ तक की तैयार है इस तिथि से आगे की सूचियां तैयार की जा रही हैं ।

३. विषयवार सूचियां संलग्न हैं । वरिष्ठता क्रमांक उनके नाम के आगे अंकित है ।

४. यह सही नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

छात्रावास की व्यवस्था

१. श्री शम्भूराम (लालसोट) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील लालसोट व तहसील बामनवास के अनुसूचित जाति के छात्र मंडावरी सैकेण्डरी स्कूल में पढते हैं उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की जनता मकान बनवाने के लिये तैयार है ?

(३) क्या सरकार छात्रावास की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

१. जी हां, मंडावरी में छात्रावास की व्यवस्था नहीं है ।

२. सही नहीं है । इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

३. यह प्रश्न विचाराधीन है ।

परिवार नियोजन केन्द्र के लिए भवन

२. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) एक शहरी परिवार नियोजन केन्द्र के लिये भवन का स्टेन्डर्ड स्वरूप क्या है और उसमें क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए ?

(२) जोधपुर और जयपुर में इस प्रकार के केन्द्र कौन-कौन से अस्पतालों में हैं और उनके लिए स्टेन्डर्ड के अनुसार क्या-क्या कमरे, डाक्टरों के बैठने आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं ?

(३) क्या यह सही है कि जोधपुर में उम्मेद जनाना होस्पिटल में परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किया हुआ है, लेकिन वहां स्टेन्डर्ड के अनुसार भवन की व्यवस्था नहीं है ?

(४) क्या यह सही है कि लूप लगाने से पूर्व महिलाओं को पेशाब करना होता है और उम्मेद होस्पिटल में भवन की उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण महिलाओं को केन्द्र से काफी दूर जाना पड़ता है और इस प्रकार कई बार महिलायें लौट कर नहीं आने की घटनायें हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) शहरी परिवार नियोजन केन्द्र के लिये भवन का कोई निश्चित स्टेन्डर्ड राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है ।

Page No 25

(परिवार नियोजन मंत्री)

(२) जोधपुर में शहरी परिवार नियोजन निम्न अस्पतालों में स्थित हैं:—

१. एम० जी० होस्पिटल

२. उम्मेद अस्पताल

३. जसवन्त जनाना अस्पताल जयपुर में:—

१. सवाई मानसिंह अस्पताल

२. जनाना अस्पताल स्टेन्डर्ड राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है किन्तु यहां डाक्टरों के बैठने आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।

(३) उम्मेद जनाना अस्पताल में परिवार नियोजन केन्द्र स्थित है वहां समुचित व्यवस्था वर्त्तमान है। स्टेन्डर्ड का प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी हां। सामान्य तौर पर उम्मेद अस्पताल में जो पेशाब घर स्थित है वहां पर महिलाओं को जाना पड़ता है। पेशाब घर दूर होने के कारण महिलाओं के लौट कर नहीं आने की घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यदि ऐसी कोई कठिनाई है तो उसकी जानकारी की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भाखरा की अमरसिंह व जसाना ब्रान्चों में पानी की मात्रा

३. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या भाखरा की अमरसिंह व जसाना ब्रान्चों में पानी और बढ़ाया जावेगा?

(२) यदि हां, तो यह पानी कितने क्यूसेक बढ़ाया जावेगा और कब तक बढ़ाया जावेगा और इस बढ़े हुए पानी से कुल कितने एकड़ अधिक रकबे की सिंचाई हो सकेगी ?

(३) भाखरा नहर की किस ब्रान्च का पानी कम करके जसाना और अमरसिंह ब्रान्च में पानी बढ़ाया जावेगा।

उत्तर

१. विचाराधीन है।

२. विचाराधीन है।

३. भाखरा नहर की किसी भी ब्रान्च का पानी कम नहीं किया जायेगा।

ग्राम रोझान में तालाब बनाने की स्वीकृति

४. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम रोझान, पंचायत समिति, बकानी, जिला झालावाड़ में तालाब बांधे जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है ? यदि हां, तो कितना रुपया इसमें लगेगा ?

(२) क्या इसका कार्य इसी वर्ष शुरू होता है ? यदि हां, तो इस वर्ष में कितना रुपया खर्चा होने का प्रावधान है ? इससे कितनी जमीन सिंचित होगी और कहां-कहां की ?

उत्तर

(१) जी नहीं, यह योजना अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सिंचाई मंत्री)

(२) जी हां, यह कार्य इस वर्ष प्रारम्भ किया जाना निश्चित किया गया है। इस वर्ष कार्य पर ७४,०००) रु० खर्च करने का प्रावधान है। इस बांध से प्रति वर्ष लगभग ४१ एकड़ भूमि सिंचित की जायेगी जो कि पूर्णतया रीझाम ग्राम के अन्तर्गत है।

सीकर तथा झुंझुनूं जिले के लिए अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय

५. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सीकर तथा झुन्झुनूं दोनों जिले अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, अलवर के नीचे आने से इन दोनों जिलों की पूर्ण उपेक्षा हो रही है और कोई कार्य इन जिलों में नहीं होने पा रहे हैं ?

(२) क्या सरकार इस कठिनाई को मिटाने हेतु तथा सिंचाई कार्यों की प्रगति लाने हेतु सीकर, झुन्झुनूं जिलों के लिये अलग से अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय इन दोनों जिलों में से कहीं एक स्थान पर खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा शास्त्रियों की समिति द्वारा की गई सिफारिशें

६. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या राज्य सरकार ने शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार करने हेतु शिक्षा-शास्त्रियों की एक समिति का गठन किया था? यदि हां, तो उनके कौन-कौन सदस्य थे ?

(२) समिति द्वारा मुख्य-मुख्य क्या शिफारिशें की गई और क्या राज्य सरकार ने उन्हें स्वीकार किया ? समिति के प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१ व २) शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिये शिक्षा निदेशकों को ही किया गया था। इन्होने योजना के लिये एक प्रारूप के रूप में कई बिन्दु प्रस्तुत किये। प्रारूप को देखने से प्रतीत हुआ कि इसमें कई करोड़ों रुपयों का खर्चा करना पड़ेगा। परन्तु वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए इतना बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेना सम्भव नहीं था इसलिये उस पर कुछ निर्णय यहां लिया जायगा और वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना १९६९-७४ तक ही शिक्षा नीति बनाई गई है जो अभी प्रारूप के रूप में ही है, इस योजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात् सदन में प्रस्तुत किया जा सकेगा। शिक्षा नीति के लिये अभी कोई भी समिति कार्य नहीं कर रही है।

सांचोर तहसील के स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था

७. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला एवं सांचोर तहसील

Page No 27

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
की माध्यमिक पाठशालाओं में पूरे शिक्षक अभी तक नहीं लगाये गये हैं ? अगर हां, तो किस पाठशाला में अब तक कितने शिक्षकों का अभाव है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) उपरोक्त राजकीय शिक्षण संस्थाओं में पूरे शिक्षक कब तक लगा दिये जायेंगे ?

(३) क्या यह सत्य है कि सांचोर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक बहुधा जाना पसन्द नहीं करते और इसी कारण ऐसी जगहों पर पूरे शिक्षक कभी नहीं रहते ? अगर हां तो क्यों ? इस बारे में शिक्षकों को विशेष भत्ता देकर भेजने का क्या सरकार विचार रखती है ? अगर हां, तो क्या ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) यह सत्य है कि सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला एवं सांचोर तहसील की माध्यमिक पाठशालाओं में पूरे शिक्षक अभी तक नहीं लगायें गये हैं। निम्न शालाओं में अध्यापकों का अभाव है:—

१. रा. उ. प्रा. वि., भाव १ (III श्रेणी)
२. रा. उ. प्रा. वि., विश्नोइयों की ढाणी १ (III श्रेणी)
३. रा. उ. प्रा. वि., सांकड १ (III श्रेणी)
४. रा. उ. प्रा. वि., दाड़ेवा १ (II श्रेणी)
५. रा. उ. प्रा. वि., डुयरी १ (II श्रेणी)
६. रा. उ. प्रा. वि., सांचोर ३ (II श्रेणी)

(२) उपरोक्त राजकीय शिक्षण संस्थाओं में पूरे शिक्षक माह नवम्बर के द्वितीय सप्ताह तक लगा दिये जायेंगे ।

(३) आंशिक यह सत्य हो सकता है कि सांचोर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक बहुधा जाना पसन्द नहीं करते क्योंकि इस क्षेत्र में आवागमन के साधनों की कमी है। वहां अध्यापकों के निवास व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध नहीं है। इस वर्ष इस क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने में इसलिये विलम्ब हुआ है कि अनेक अध्यापक अपना स्थानान्तर करवा कर अन्य जिलों में चले गये हैं। सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

शिक्षण संस्थाओं को एडहॉक ग्रान्ट

८. श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में शिक्षा विभाग से किन-किन संस्थाओं को एडहॉक ग्रान्ट कितनी-कितनी दी गई ? स्वीकृति किस तारीख को हुई तथा भुगतान किस तारीख को किया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) इन संस्थाओं में से किन-किन को पिछले पांच सालों में एडहॉक ग्रान्ट दी जा चुकी है ? किस-किस संस्था को किस-किस साल में और कितनी धनराशि दी गई ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(१) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) प्रश्न में दी गई सूची में लिखे नामों के आगे अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

पीपाड़ में डिग्री कॉलेज

९. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पीपाड़ क्षेत्र की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वहां पर डिग्री कॉलेज होना अत्यन्त आवश्यक है?

(२) क्या यह सही है कि पीपाड़ में अब तक छात्रों की हायर सैकेण्डरी स्कूल व लड़कियों की सैकण्डरी स्कूल भी नहीं है?

(३) क्या यह सही है कि पीपाड़ से कम जनसंख्या वाले गांवों खकूड़िया व बोरूदा में हायर सैकेण्डरी स्कूल्स हैं? यदि हां, तो पीपाड़ में हायर सैकेण्डरी स्कूल न खोले जाने के क्या कारण हैं?

(४) भविष्य में वहां पर हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलने का राज्य सरकार का कब तक विचार है?

उत्तर

(१) पीपाड़ क्षेत्र की जनसंख्या को देखते हुए वहां पर महाविद्यालय चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(२) छात्रों की हाई स्कूल के सत्र ७०-७१ में हायर सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत कर दी गई है। छात्राओं के मिडिल स्कूल को सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने का प्रावधान नहीं था।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न के भाग (२) में उत्तर दिया जा चुका है।

अकाल के कारण बन्द की गई स्कूलें

१०. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गत वर्ष कई प्राथमिक स्कूलें अकाल के कारण बन्द कर दी गई थीं? अगर हां, तो कुल कितनी स्कूलें और उनमें से इस वर्ष कितनी वापिस खोल दी गई हैं और कितनी नहीं खोली गई, सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में एक भी प्राथमिक व माध्यमिक शाला नहीं खोली गई है? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं जब कि दूसरे जिलों में खोल दी गई हैं?

(३) क्या यह सही है कि जैसलमेर उच्चतर माध्यमिक शाला, भनसीयाना की शाला व पोकरण व रामगढ़ की शाला में अब तक अध्यापक कम हैं और क्या यह भी सही है कि उपरोक्त एक भी शाला ऐसी नहीं है जिसमें हर विषय के अध्यापक निर्धारित संख्या में न हों? अगर हां, तो भविष्य में कब तक अध्यापक पहुंच जावेंगे?

उत्तर

(१) गत वर्ष अकाल के कारण कोई प्राथमिक शाला बन्द नहीं हुई इससे पूर्व अकाल के कारण बन्द शालाओं में से ३१ शालाएं गत व इस वर्ष खोल दी गई हैं, सूची संलग्न हैं, ६ बन्द शालाओं की सूची संलग्न है।

(२) इस जिले में इस वर्ष कोई प्राथमिक व माध्यमिक शाला नहीं खोली गई।

(शिक्षा मंत्री)

(३) राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जैसलमेर व पोकरण तथा माध्यमिक शाला रामगढ़ व मणियाणा में हर विषय के अध्यापक निर्धारित संख्या में नहीं हैं, व्यवस्था की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

लेखालिपिकों का केडर

११. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लेखा सेवाओं के अन्तर्गत लेखालिपिकों का पृथक् से केडर बनाने से सरकार द्वारा विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

(२) यह कार्यवाही कब प्रारंभ कर दी जावेगी ? कृपया अनुमानित तारीख बतावें।

उत्तर

(१) राज्य सरकार ने लेखालिपिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के रूप में समावेश करने का सिद्धान्त रूप से निर्णय लिया है। निर्णय के विविध पहलू राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(२) उपरोक्त निर्णय के सभी पहलुओं पर विचार होने के बाद नियमों में संशोधन आदि आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अनुमानित तारीख के बारे में निश्चयपूर्वक तो कुछ नहीं कहा जा सकता है फिर भी इस बारे में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

लालसोट हॉस्पिटल का वार्षिक बजट

१२. श्री शम्भूराम (लालसोट) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) लालसोट तहसील के हॉस्पिटल के लिए वार्षिक बजट कितना है ? मरीजों की माहवारी औसत संख्या कितनी है ?

(२) क्या यह सही है कि आबादी को दृष्टिगत रखते हुए बजट की राशि कम है ?

(३) क्या यह सही है कि मंडावरी के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के लिए दस हजार रुपये की राशि आठ साल पहले जमा करा दी गई थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक भवन नहीं बनाये जाने के क्या कारण है ?

उत्तर

(१) राजकीय चिकित्सालय, लालसोट के लिये दवाइयों का सालाना बजट ७,००० रु० प्रति वर्ष है। इस चिकित्सालय में रोगियों की प्रति माह औसत उपस्थिति २५५० व्यक्ति है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां। भवन व्यवस्था के लिए धनराशि का प्रावधान चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में ही कर दिया गया है।

प्रसव के केसेज में मृत्यु

१३. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नीचे लिखे महिलाओं के अस्पतालों में जनवरी-१, १९६८ से ३१ दिसम्बर, १९६८ तक प्रसव के इतने केसेज भर्ती हुये व मृत्यु हुई:—

जनाना अस्पताल	नोर्मल प्रसव	मृत्यु	एबनोर्मल प्रसव	मृत्यु
१	२	३	४	५
अलवर	२९०	८	—	—
प्रतापगढ़	२३३	२	—	—
एस. आर. पी. रतनगढ़	२२८	×	२९२	४
जयपुर	४८५६	×	२५५०	२७

Page No 30

(श्री ओमदत्त भाटी)

१	२	३	४	५
एस. एच. के- झालावाड़	४४१	×	१२४	८
जोधपुर	३६८७	×	४२३	६
सिरोही	२२२	×	७६	२
उदयपुर	८७८	×	१०४०	२१

(२) इन मृत्युओं का विस्तृत में कारण बतलायें।

उत्तर

(१) प्रश्न के अंकित अस्पतालों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रसव के केसेज एवं मृत्यु के आंकड़ों की सूची संलग्न है।

(२) प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मृत्युएं अधिकतर एबनार्मल प्रसव के कम्पलीकेशन के कारण हुई हैं कारणों की विस्तृत सूचना संबंधित अधिकारियों से प्राप्त की जा रही हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अजमेर जिले में अकाल सम्बन्धी व्यय

१४. श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पिछले दुर्भिक्ष (सन् १६६६–१६७०) के समय अजमेर जिले में कितनी जनसंख्या प्रभावित हुई और अकाल सहायता कार्यों पर कितना व्यय हुआ ? कृपया पंचायत समितिवार आंकड़े देने की कृपा करें।

उत्तर

पिछले दुर्भिक्ष १६६६–७० के समय (अभाव वर्ष सम्वत् २०२५ में) अजमेर जिले की ८,६८,५५० जनसंख्या प्रभावित हुई। अकाल राहत कार्यों पर विभिन्न विभागों द्वारा जो खर्चा किया गया वह निम्न प्रकार है:—

१.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	४६,०५,७३७/–
२.	सिंचाई विभाग	५०,३५,६६२/–
३.	भू-संरक्षण	४३,६५,६५६/–
४.	वन विभाग	४,५४,८१०/–

इन विभागों द्वारा सहायता कार्यों का यूनिट सम्पूर्ण जिला होने के कारण पंचायत समितिवार हिसाब दिया जाना संभव नहीं है।

पंचायत समिति के अभिकरण से जो राहत कार्य कराये गये उन पर हुए खर्चे का विवरण इस प्रकार है:—

१.	पंचायत समिति, पीसांगन	३,२०,०००/–
२.	पंचायत समिति, श्रीनगर	३,२६,०००/–
३.	पंचायत समिति, केकड़ी	२,६२,०००/–
४.	पंचायत समिति, किशनगढ़	३,५०,०००/–
५.	पंचायत समिति, बाराई	२,१५,०००/–
६.	पंचायत समिति, भिनाय	५,३६,०००/–
७.	पंचायत समिति, जवाजा	६,०३,०००/–
८.	पंचायत समिति, मसूदा	१०,३०,०००/–
	य	३६,४५,०००/–

पाली की पंचायत समितियों के अध्यापकों एवं ग्राम सेवकों के बकाया वेतन का भुगतान

१५. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली जिले की कौन-कौन सी पंचायत समिति में कितने-कितने अध्यापक, ग्राम-सेवकों आदि कर्मचारियों की कितने-कितने महीनों की तनख्वाह ३१ मार्च, १९७० तक का भुगतान नहीं किया गया है ?

(२) उपयुक्त बकाया वेतन कुल कितने रुपयों का है और वह कब तक चुका दिया जायगा ?

(३) पाली जिले की प्रत्येक पंचायत समिति के दिनांक १-४-६९ से ३१-३-७० तक बजट के अनुसार एस्टेब्लिशमेन्ट पर कुल कितना-कितना खर्च स्वीकृत है और इसी अर्से में कुल कितने-कितने रुपयों का अनुदान व ऋण दिया गया ?

उत्तर

(१) किसी भी पंचायत समिति में वेतन का भुगतान बकाया नहीं है।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(३) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

खाद्य विभाग द्वारा पुराने बारदाने का बेचान

१६. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि खाद्य विभाग द्वारा पुराना बारदाना हर साल बेचा जाता है ? अगर हां, तो पिछले पांच वर्षों में कितना बारदाना बेचा गया ? सूची सदन की मेज पर वर्षवार रखें।

(२) किस वर्ष में बारदाना नीलामी द्वारा बेचा गया और किस वर्ष में बिना नीलामी बेचा गया ? इस प्रकार से अलग-अलग तरह से बारदाना बेचने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सही है कि बिना नीलामी बेचने से विभाग को पिछले वर्षों में नुकसान हुआ है ? अगर हां, तो कितना और इसका दोषी कौन है और राज्य सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की और नहीं की है तो उसके क्या कारण हैं ?

(४) क्या यह सही है कि १९६९-७० में बारदाना प्रति बोरी न बेचकर तोल पर दिया गया और जयपुर व जोधपुर से बारदाना एसोसियेशन द्वारा अधिक मूल्य देने को तैयार होने पर भी उन्हें न देकर कम कीमत पर दूसरी पार्टी को दिया गया ?

उत्तर

(१) जी नहीं खाद्य विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में केवल दो बार पुराना बारदाना बेचा गया है। दिनांक ७-१-६९ को ६, ५३, ५३५ बोरी तथा दिनांक २-२-७० को २,४५,००० बोरी।

(२) सन् १९६९ में नीलामी द्वारा बारदाना बेचा गया था। १९७० में निविदा आमंत्रित कर बारदाना विक्रय किया गया। पर्याप्त प्रचार के उपरान्त, नीलामी अथवा निविदा प्राप्ति द्वारा विक्रय करना, दोनों ही नियमानुकूल प्रणालियां हैं। दूसरी बार निविदा आमंत्रित कर बारदाना बेचने का कारण यह था कि नीलामी में व्यापारीगन जो स्वयं न आ सकें वे भी निविदा भेजकर

(खाद्य मंत्री)

भाग ले सकें तथा नीलामी में जो रिंग बनाकर विक्रय दर को उंचे बढ़ने से नियंत्रण कर लेते थे वो भी न कर सके।

(३) जी नहीं। प्रथम हानि न होने पर किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर्याप्त प्रचारोपरान्त निविदा प्राप्ति नियमानुकूल है तथा उससे नुक्सान होने का प्रश्न नहीं है।

(४) जी हां, जिन बोरियों के टुकड़े हो गये थे उनकी गिनती करना संभव नहीं था। अतः ऐसी बोरियों को तोल कर बेचा गया। निविदा की प्राप्ति पर जिस पार्टी ने उच्चतम दर दी थी उसके साथ अनुबन्ध किये जाने के पश्चात् दूसरी पार्टियों ने अधिक दर देने हेतु प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के प्राप्त होने पर एक बार निविदा द्वारा अनुबंधित बिक्री को स्थगित भी रखा गया परन्तु बिक्री विभाग को तय के अनुसार उक्त प्रस्ताव विधिवत् न होने से स्वीकार नहीं किया जा सका।

(१२:०५ म. प.)

सदन से अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदन को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा से एक निश्चित समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की।

श्री बरकतुल्ला खां, विधि मंत्री : २-११-७० से सत्र के अन्त तक।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा,** चिकित्सा मंत्री : दिनांक २-११-७० से १६-११-७० तक क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लीव विदाउट पे सेन्क्शन्ड।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति प्रदान की गई।

एक माननीय सदस्य : हमेशा के लिए दी जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेट इट बी मैडिकल, लेट इट बी मेटरनिटी।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्हाट एबाउट एडजोर्नमेन्ट मोशन ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद में।

सचिव, विधान सभा।

पारित विधेयकों का विवरण

श्री सचिव, विधान सभा : माननीय सदस्यों, मैं राजस्थान विधान द्वारा गत सत्र में पारित निम्नलिखित विधायकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिनकी राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त हो गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रख दें। पढ़ने की क्या जरूरत है।

(सतीशचन्द्र अग्रवाल)

It is generally laid on the table of the House. It may be taken as laid.

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सचिव, विधान सभा : राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त विधेयक:—

१. औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६९।

(२. राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९७०।

३. राजस्थान बालक विधेयक, १९७०।

४. मजदूरी संदाय (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९७०।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक:—

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९७०।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी।

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (अध्यादेश संख्या ४, सन् १९७०) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधि एवं न्याय-मंत्रीजी।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (विधि मंत्री की अनुपस्थिति में) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (अध्यादेश संख्या ५, सन् १९७०) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० (अध्यादेश संख्या ६, सन् १९७०) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : रखने की इजाजत नहीं दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष: सामुदायिक विकास मंत्री।

वन मंत्री (श्री नरपतसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (अध्यादेश संख्या ७, सन् १९७०) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: स्वायत्त शासन मंत्रीजी।

उप-मंत्री (श्री खेतसिंह): मैं राजस्थान नगर-सुधार (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (अध्यादेश संख्या ८, सन् १९७०) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (अध्यादेश संख्या ९, सन् १९७०) को सदन की मेज पर रखता हूं।

Page No 34

श्री उपाध्यक्ष : उद्योग मंत्रीजी ।

सिचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (उद्योग मंत्री की अनुपस्थिति में) : अध्यक्ष महोदय ;.........

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (अध्यादेश संख्या १०, सन् १९७०) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : विधि मंत्रीजी ।

सिचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (विधि मंत्री की अनुपस्थिति में) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक अनुबन्ध) अध्यादेश, १९७० (अध्यादेश संख्या ११, सन् १९७०) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी ।

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अध्यादेश, १९७० (अध्यादेश संख्या १२, सन् १९७०) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसको भी रखने की इजाजत नहीं दी जाय ।

प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : उद्योग मंत्रीजी !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश जारी करने के कारण भी सदन की मेज पर रखे जाते हैं वह कारण भी बता दिये जायें जिससे सहूलियत हो ।

एक माननीय सदस्य : वह उसमें है ।

सिचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन, १९६९-७० को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : उद्योग मंत्रीजी ।

सिचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (उद्योग मंत्रीजी की अनुपस्थिति में): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम के १४ वें वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (३१ मार्च, १९६९ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : उद्योग मंत्रीजी ।

सिचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (उद्योग मंत्री की अनुपस्थिति में) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाई-टैक प्रेसिजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर का ३०-९-१९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन तथा लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : समाज कल्याण मन्त्रीजी ।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री विशम्भरनाथ जोशी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की १८ वीं रिपोर्ट वर्ष १९६८-६९ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

अधिसूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ।

Page No 35

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) उपाध्यक्षजी...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कैसे रखा जा सकता है

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको तीन साल हो गये ये सदन के सामने क्यों नहीं आई। एक १६-१२-६७ की है और दूसरी २३-८-६६ की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : देरी हुई इसमें। मुझे अफसोस है कि इनमें इतना विलम्ब हुआ है। विलंब होने के लिए किस जगह देरी हुई है इसके बारे में जानकारी लेकर के मैं इसके बारे में आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि सदन में प्रस्तुत करने से पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी को कारण प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि यह तीन साल से अधिक से विलम्ब से आ रही है इसलिए कारण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही प्रस्तुत करने चाहिए थे। अब जांच का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री लक्ष्मणसिंह : बिलकुल ठीक है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ज्यादा टाइम क्यों लगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि कहां गलती हुई। इसकी जांच करूंगा और यह सदन समाप्त हो इससे पहले कहां कमी रही है इसकी जांच करके सदन को अवगत करूंगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या कारण थे विलम्ब के?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं नियुक्ति (क-४) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

(क) अधिसूचना संख्या एफ ८ (१) एपी. (ए-४)/६७ दिनांक १६-१२-१९६७

(ख) अधिसूचना संख्या एफ ३ (१०४) एपी. (ए-४)/६५ दिनांक २३-८-१९६९

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मंत्री।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

(क) अधिसूचना संख्या एफ १ (६) (१) परिवहन/६८ दिनांक २७ मई, १९७०

(ख) अधिसूचना संख्या एफ १ (३) (७) एच (बी. ग्रु)/६४ दिनांक २५ जुलाई, १९७०

(ग) अधिसूचना संख्या एफ १ (१) (३) परिवहन/६९ दिनांक २९ जुलाई, १९७०

(घ) अधिसूचना संख्या एफ १ (३) ३४/एल बी.-II/६२ दिनांक ११ अगस्त, १९७०

श्री उपाध्यक्ष : पंचायत एवं विकास मंत्री।

Page No 36

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:—

(क) अधिसूचना संख्या एफ १३६ (१६) (२) एडमि./पी.डी./७०/३६१५ दि. १३ मई, १६७०

(ख) अधिसूचना संख्या एफ ४/एल. पी. एस./ए./आर. /२/७०/१२८५ दिनांक ५ जून, १६७०

(ग) अधिसूचना संख्या एफ ४/एल. जे./ए.ए. १/७०/१४५२-५६ दिनांक १७ जून, १६७०

(घ) अधिसूचना संख्या एफ ४/एल. जे./३ (२)/७०—२८५७ दिनांक २३ सितम्बर, १६७०

(ङ) अधिसूचना संख्या एफ ४/एल. एस./पी.एस./ए.आर.-१/६६/३०३१ दि० ५ अक्टूबर, १६७०

(च) अधिसूचना संख्या एफ ४/एल. जे./ए.ए.-२७०/३०६४ दिनांक १२ अक्टूबर, १६७०

(छ) अधिसूचना संख्या एफ ४/एल. जे./ए.ऐ.-२/७०/३०६६ दि. १२ अक्टूबर, १६७०

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (सभापति, प्राक्कलन समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उद्योग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति, १६६७-६८, के चौथे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर जिनका सम्बन्ध राजस्थान विधान सभा की राजकीय उपक्रम समिति से नहीं है, शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति, १६७०-७१ के १५ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था !

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(१) श्री केसरीसिंह हाड़ा, सदस्य विधान सभा ने बूंदी में अवैध रूप से जंगल की कटाई के आदेश देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(२) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने बारां नगर पालिका के निर्वाचन अधिकारी द्वारा दो महिलाओं के सहवरण की तिथि को स्थगित कर देने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

(३) तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिनमें भूतपूर्व राजाओं की मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी राष्ट्रपति महोदय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा उस आदेश पर पूरी तरह से अमल न करने का उल्लेख किया है।

Page No 37

(श्री उपाध्यक्ष)

(४) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में विद्यार्थियों और नागरिकों के साथ पुलिस द्वारा किये गये दमन के सम्बन्ध में भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(५) श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य विधान सभा ने कोटा के खाद के कारखाने में दिनांक २१ अक्टूबर, १९७० को मालगाड़ी द्वारा नेफ्था नामक विस्फोट द्रव्य पदार्थ ले जाते हुए इंजिन के साथ डिब्बे उलट जाने से कई की मृत्यु हो जाने आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(६) श्री कृष्णकुमार गोयल द्वारा एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी गई है जिसमें कोटा में दशहरे के मेले के अवसर पर दिनांक १८-१०-७० की रात्रि को पुलिस द्वारा बिना पूर्व सूचना के अश्रु गेस व लाठी प्रहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर उनपर निर्णय लिया जाकर माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित किया जायगा।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

इनके अतिरिक्त और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रकार हैं:—

(१) श्री मदनसिंह दांता, सदस्य विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव में हरिजन व फौजियों को गलत भूमि आवण्टन से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है। इसमें हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं किया गया है।

(२) श्री हरजीराम बुरड़क व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव में राज्य में हाल ही में सम्पन्न हुए नगरपालिका चुनावों में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का उल्लेख किया है।

(३) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने कुछ माह से बारां मार्केटिंग सहकारी सोसायटी में चल रहे गबन व घोटाले के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, यह मामला पुराना है और इसका हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना से सम्बन्ध नहीं है।

(४) श्री देवीदत्त गाड़िया ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें बारां, उप-जिला क्षेत्र के सीसवाली, उदयपुरिया, रेलावन आदि गावों में कोटा के जिलाधीश व अधीक्षक, आरक्षी के संकेत पर पुलिस द्वारा हिन्दू जनता पर अत्याचार किये जाने का उल्लेख किया गया है। पुलिस की कार्यवाही अब भी जारी बतलाई गई है तथा इसमें किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं है।

(५) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने कस्बा नोहर में हाल ही में हुए नगरपालिका चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व

(श्री उपाध्यक्ष)
निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जावे । अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई है ।

श्री मदनसिंह : आपने हाल ही में फरमाया है । अभी हाल ही का सवाल है फौजियों को वापिस दी जा रही है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय जिन हरिजनों को....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको ध्यान पूर्वक देखा है यह स्थगन प्रस्ताव में नहीं आता है । न अन्य तरीके से किसी मे आता है जहां भी एलाटमेन्ट का प्रश्न आता है, सदन ने बहुत ही सहानुभुति से विचार किया है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय दो लाख रूपये के घोटाले का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य । शासन ने इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी है । अब आपके यह कहने का क्या मतलब है ?

श्री देवीदत गाड़िया :
श्री मदनसिंह :
(एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

(श्री मदनसिंह एवं श्री देवीदत गाड़िया के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : दो लाख रूपयों का घोटाला हुआ है जिसको पुलिस ने दबा दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें । इस पर चर्चा नहीं होगी । माननीय सदस्य । आर्डर आर्डर प्लीज

श्री देवीदत्त गाड़िया : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्थावों के सम्बन्ध में चर्चा नहीं होगी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पुलिस एस० पी० ने वहा के सरपंच को और महिलाओं को पकड़ पकड़ कर...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कलेक्टर ने इस प्रकार से रिश्वत खोरी करके....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने मुख्य मंत्री जी को तार दिया ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने होम मिनिस्टर को तार दिया ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्री का यह नैतिक कर्त्तव्य था कि उस इलाके का विधायक तार दे तो उस पर वह ध्यान दें । लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं देकर अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया, अपने नैतिक कर्त्तव्य को नही समझा । मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस प्रकार ध्यान न देकर अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते हैं । मुख्य मंत्रीजी इस सारे मामले की इन्क्वायरी

(श्री देवीदत्त गाड़िया) ... कराना जरूरी नहीं समझते हैं और मुख्य-मंत्रीजी चाहते हैं कि बहुसंख्यक जनता...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एस. पी. के दबाने से, कलेक्टर के दबाने से मर जाय। वहां पर औरतों को नंगा करके पीटा गया, लोगों को पीटा गया। इससे मुझे दिखाई देता है कि इस सारे मामले का राजनैतिक बैकग्राउन्ड है। आज इस बात को कहा जा रहा है कि जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाय। इससे मैं समझता हूं कि जो निर्दोष हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। कृपया माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री मूलचन्द डागा : व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्रीजी को तार दिया, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य!

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य!

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज। ग्रंकित नहीं हो।

श्री मूलचन्द डागा : ग्रॉन ए पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज। पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की ग्रराजकता ग्रौर ग्रव्यवस्था जो कायम कर रहे हैं गाड़ियाजी....

श्री देवीदत्त गाड़िया : ग्रराजकता की स्थिति तो मुख्य मंत्रीजी द्वारा बराबर पैदा की जा रही है। वह एस० पी० को ग्रौर कलेक्टर को इशारा करके ग्राते हैं ग्रौर निरपराध लोगों को पिटवाया जाता है ग्रौर इस प्रकार से ग्रौरतों को नंगा करके पिटवाया जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने जो तार दिया था, उस पर मुख्य मंत्रीजी ने क्या किया ? क्या उन्होंने मेरे तार का उत्तर दिया ? क्या उन्होंने यह ग्रादेश दिया कि इस प्रकार जो ग्रत्याचार होता है....

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, जो डागाजी ने पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर उठाया है वह पहले सुना जाना चाहिए....

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस प्रकार जो जनता के साथ ग्रन्याय होता है....

(श्री गिरधारीलाल व्यास ग्रौर श्री देवीदत्त गाड़िया के एक साथ बोलने के कारण ग्रश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल व्यास : जब पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर खड़ा किया गया है, जब पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर उठाया गया है तो उसको पहले सुनना होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या मुख्य मंत्री जी ने मेरे तार पर वहां के ग्रधिकारियों से पूछा, क्या उनसे जवाब तलब किया ? ग्राखिर ग्राप क्या चाहते हैं ? मुख्य मंत्रीजी इन्क्वायरी करना नहीं चाहते हैं ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर माननीय डागाजी ने उठाया है....

श्री देवीदत्त गाड़िया : वहां पर एस. पी. ग्रौर कलेक्टर जनता के साथ इस प्रकार ग्रत्याचार करें ग्रौर वहां ग्रौरतों को नंगा करके पीटा जाय, यह लोकतंत्र के ग्रन्दर ग्रन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

(श्री गिरधारीलाल व्यास ग्रौर श्री देवीदत्त गाड़िया के एक साथ बोलने के कारण ग्रश्रव्य)

× × × ग्रध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार भाषण ग्रंकित नहीं किया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह चमचागिरी कर रहे हैं।

(शोर-गुल, अश्रव्य)

(श्री देवीदत्त गाड़िया और श्री गिरधारीलाल व्यास एक साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कौन जीता ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका के चुनाव के सम्बन्ध में...

श्री उपाध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है। माननीय सदस्य, नियमों का थोड़ा ध्यान रखें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं सदन को जानकारी दे देना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। नियमों का ध्यान रखिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुख्य मंत्रीजी और बृजप्रकाश गोयल ने....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य!

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजो। आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका भाषण अंकित नहीं हो रहा है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल व्यास : चुनाव में हारने वाले यही कहते हैं। लोकतंत्र में जो विश्वास करने वाले हैं उन पर इसी प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं। चुनाव के बाद इसी प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय.....

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 42

श्री रामचन्द्र आर्य : गिरधारीलालजी के बोलने से क्या फायदा ? कोई पॉइन्ट ऑफ आॅर्डर नहीं है।

मैं मुख्य मंत्री को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप क्या इस प्रकार राजस्थान के अन्दर चुनाव प्रणाली को समाप्त कर देना चाहते हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विशेष कहना नहीं है। मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि लाउड स्पीकर पुराने नहीं हैं, नये लग गये हैं। इसका माननीय सदस्य ध्यान रख कर बोलें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने जो आरोप लगाये हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सलाह इधर क्यों दे रहे हैं, पीछे भी दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या आप इस प्रकार की हरकतों को बन्द करेंगे, क्योंकि राजस्थान....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा का दुरुपयोग माननीय सदस्य द्वारा किया जा रहा है। विधान सभा का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह प्रश्न यहां नहीं उठायें।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लाउड स्पीकर तो....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री मदनसिंह : लाउड स्पीकर तो नये हैं लेकिन हृदय के बटन नये नहीं हैं, हृदय तो पुराने हैं, हृदय की आवाज पुरानी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : चुनाव के अन्दर इस प्रकार की गड़बड़ियां मुख्य मंत्रीजी द्वारा जान-बूझ कर करवाई गई है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गलत नहीं, सही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : असत्य है।

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं मुख्य मंत्रीजी को चुनौती देता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
में छोटा सा मेरा निवेदन यह है, नगरपालिका चुनाव के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि चुनाव होते आये हैं, चुनाव लड़ते आये हैं, चुनाव में हारते हैं, जीतते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न बीच में कहां से आ गया। आप इसे उठाना चाहते हैं तो और किसी तरह से उठा सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : निराश हो गये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : निराश होने का सवाल नहीं है। चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। चुनाव में इस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, डिप्टी मिनिस्टर के पद का दुरुपयोग किया गया है, कर्मचारियों के द्वारा दबाव डलवाया गया है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह सदन के समय का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, जिस तरह से आप कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल भी नहीं पाया, आपने बीच में मुझे क्यों टोंका ? मैं क्या बोल रहा था। I am very serious about it.

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं, मैंने कई बार निवेदन कर दिया है कि जब स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे दी गई हो उसके पश्चात् उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्यों ने जो कुछ किया, वह आपके सामने हैं, करीब दस मिनिट माननीय सदस्य आसन के आदेशों की अवहेलना करके चले। उसके बाद दुबारा नगरपालिका के चुनाव का प्रश्न सदन के सामने लाना चाहते हैं, इसलिए मैंने कह दिया कि यह उपयुक्त अवसर नहीं है। (शोर-गुल) आॅर्डर प्लीज!

श्री रामचन्द्र आर्य : बिल्कुल उचित था। जो व्यवस्था आसन ने दी है उसको मैं मानता हूं लेकिन मैं इसके विरोधस्वरूप वाक आउट करता हूं कि जानबूझ कर इस तरह की कार्यवाही की जाती है, जानबूझ कर सत्ता का दुरुपयोग मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं।

(श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि मेरी बात पूरी सुने बिना....

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी खेद व्यक्त करने लगूं मेरी बात नहीं सुनते हैं तो, उसके सम्बन्ध में आपको क्या कहना है। मैं कितनी देर से निवेदन कर रहा था, माननीय सदस्य को....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिनसे आप निवेदन कर रहे थे, और जो आपकी बात नहीं मानते हैं वह अपनी बात मनवाने का तरीका भी जानते हैं। मुझे बड़ा खेद है....

श्री उपाध्यक्ष : आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मान लीजिये, मेरी मनःस्थिति आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार माननीय सदस्य कर रहे हैं। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। मैं आपकी मन:स्थिति को इतना कमजोर नहीं मानता कि दस मिनिट के अन्दर आप टेम्पर लूज कर दें और मुझे टोंक दें--यह मैं मान कर नहीं चल रहा था। मैं निवेदन कर दूं कि मैं नगरपालिका के चुनाव के सम्बन्ध में चर्चा उठाने की बात नहीं कर रहा था, इस सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही थी, उसमें जो गरमा-गरमी आ गई उसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता था, मुझे राज्य सरकार से कुछ बात नहीं कहनी है, मुझे आपसे यह कहना है कि सदन की इस सत्र की सारी कार्यवाही चलाने का सौभाग्य से सुअवसर प्राप्त हुआ है इसलिए आपको गुस्से में और जल्दी में न रहते हुए...

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी और गुस्से का प्रश्न नहीं है। आपको इतना गुस्सा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप गुस्से में कह रहे हैं, यह मैंने महसूस किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे दुःख इस बात पर हुआ कि आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं और बीच में ही अनुमान लगा लिया कि मैं क्या कहने जा रहा हूं आपके बिना आदेशों के, आदेशों की अवहेलना करके कोई १०-१५ मिनिट तक बोलते रहें, आप कुछ नहीं कर सकते....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं करते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि कोई शांति से अपनी बात कहना चाहें तो आप पसंद नहीं करते। क्योंकि मैं जोर से नहीं बोलना चाहता न जोर से बोलने की आवश्यकता है इसलिए सारे संदर्भ में जो बातें इन नगरपालिकाओं के चुनावों के सिलसिले में इन स्थगन प्रस्तावों या अन्य स्थगन प्रस्तावों में आई हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ गंभीर मसले हैं, यह कोई एक विशेष नोहर या भादरा का सवाल नहीं हैं लेकिन सामान्यतः और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है, उनमें कुछ महत्वपूर्ण मसले हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार से जानकारी प्राप्त करके, सरकार से वक्तव्य दिलाने के बारे में आप व्यवस्था दे रहे हैं. मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं है लेकिन गंभीर प्रश्न है और जिस प्रश्न के बारे में समर्थन मैं ही नहीं करता वह आरोप मैंने नहीं लगाया है लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक, गृह मंत्री के सुपुत्र, प्रगतिशील नागरिक मोर्चे की तरफ से श्री सुरेन्द्र व्यास हमारे नौजवान साथी ने अपने मोर्चे में एक प्रस्ताव पास करके आरोप लगाया है कि राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने जयपुर नगरपालिका के चुनावों में सांप्रदायिकता का जहर घोला। एक कांग्रेस पार्टी का सदस्य, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य पर ऐसा आरोप लगाये और जिम्मेदार व्यक्ति लगाए, समाचार-पत्रों में आया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव ११.५ पर आया है जब मैं सदन में उपस्थित हो गया था, अभी तक उस पर व्यवस्था नहीं दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विजयसिंह : मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : जब कोई प्रश्न विचाराधीन होता है तब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है।

श्री विजयसिंह : पिछली बार एक व्यवस्था का प्रश्न ११.३० बजे...

श्री रामानंद अग्रवाल : मैं तीन बार उठा हूं। क्योंकि दूसरे सदस्यों को मौका दिया था इसलिए मैं नहीं बोल सका। मुझे लंबी-चौड़ी बात नहीं कहनी है। क्योंकि स्थगन प्रस्ताव आपने जजमेंट के लिए रिजर्व रखा है उस बारे में माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत सूचना मिल जाय तो उस दिन वह उपस्थित हो सकें। पिछली बार देखा गया कि पीछे से घोषणा हो गई, माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हो सके तो व्यवस्था दे दी।

श्री भैरोंसिंह : यह तो व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी व्यवस्था कर दी जायगी।

विधायी कार्य—विधेयकों का पुर:स्थापन

श्री हरिसिंह (खाद्य उप-मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मीन क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान धर्म-स्वातन्त्र्य विधेयक, १९७०।

श्री विशम्भरनाथ जोशी (राज्य मन्त्री, समाज कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। यह धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक है या धर्म को रोकने का है, यह तो आगे पता चलेगा लेकिन क्या राजस्थान विधान सभा को अधिकार है कि धर्म सम्बन्धी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकती है जबकि यह केन्द्रीय विषय है। धर्म की स्वतन्त्रता संविधान में पहले ही है इसलिये इसको रखने का विधान सभा को कोई अधिकार नहीं है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : संवैधानिक प्रावधानों को सही रूप देने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है और संविधान की धारा ४६ के तहत राज्य सरकारों पर कान्स्टीट्यूशनल ऑब्लीगेशन डाला है कि वह अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों को खास तौर से इस प्रकार के शोषण से मुक्त करें, उनका प्रोटेक्शन करें, वह प्रोटेक्शन अफोर्ड करने के लिये यह लाया जा रहा है।

श्री मदनसिंह : इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन के बजाय अदालतों में जाकर बेचारे गरीबों को कुछ करवाना है वह करवायेंगे। मैंने अच्छे-अच्छे कान्स्टीट्यूशनल वकीलों से पूछा है। गरीबों से अदालत में जाकर दस्तखत लेंगे और गांव में धर्म परिवर्तन कर लेंगे। आज कम से कम समाज में तो रोक सकते हैं। इसमें धर्म स्वतन्त्रता का प्रयोग न करके रेस्ट्रिक्शन शब्द का प्रयोग करें ...

श्री विशम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य को पूरा मौका मिलेगा। आप प्रावधानों को गलत समझे हैं।

श्री मदनसिंह : यह हो चुका है मध्य प्रदेश में। मुझे मालूम है। यह विधेयक राजस्थान तक सीमित है। दूसरी जगह जाकर ५० आदमी ईसाई बनाये जाते हैं। इसलिये राजस्थान तक ही सीमित धार्मिक व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आज सरकार सैक्यूलर है, धर्म सम्बन्धी व्यवस्था नहीं कर सकती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन में हर बार इस बात की चर्चा आई है और अजमेर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों से कई माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की है कि इन तीन जिलों में लोभ या प्रलोभ, दबाव या आतंक ये गरीब लोगों को ईसाई करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और इसलिये बलात् धर्म परिवर्तन को रोकने के लिये इस प्रकार का कानून बनना चाहिये। यह मांग हम लोगों ने भी की थी। यह बात अलग है कि इस कानून में कई खामियां हों, इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, इस पर सदन गम्भीरता से विचार करे लेकिन राजस्थान में पिछले ८-१० वर्षों में जिस व्यापक पैमाने पर बलात् धर्म परिवर्तन की कार्यवाहियां और विशेषकर अजमेर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर तीनों जिलों में बेहद तौर पर लोगों को प्रलोभन देकर हिन्दुओं को फोर्सीबल कन्वर्जन किया गया है, उसको रोकने के लिए कानून की आवश्यकता है, इसको सरकार को पहले पूरा करना चाहिये था, खैर देर आयद दुरुस्त आयद लेकिन इसमें खामियों को दुरुस्त करने के लिये सदन विचार करे, सदन को अधिकार है।

श्री मदनसिंह : मैं कानूनी खामियों के लिये नहीं कहता। उनको शिक्षा देते हो कि तुम आजाद हो गये, राजस्थान सरकार ने आजादी दे दी है....

श्री उपाध्यक्ष : जब बिल विचारार्थ लिया जायगा....

श्री मदनसिंह : मेरी आपत्ति है कि क्या ऐसा विधेयक राजस्थान सरकार ला सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी !

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, कल और भी धर्मों के सम्बन्ध में यह घोषणा कर दें कि राजस्थान सरकार आज से धार्मिक सरकार हो गई है, अदालतों के अन्दर धर्मों की परिभाषा होगी। न तो सैक्यूलर सरकार न कोई विधान सभा धर्म के सम्बन्ध में कोई कानून बना सकती। भारत के संविधान में We are free to change our religoin. Restriction on changing of the Caste हो सकता है। मैं बहुत ही सीरियसली ले रहा हूं। क्या राज्य सरकार सेक्यूलर सरकार धर्म के सम्बन्ध में कोई कानून बना सकती है जो शंकराचार्य या मौलाना बना सकते हैं ? मैं इसका विरोध करता हूं। हजारों लोग जैनी हैं, हिन्दुओं को बना रहे हैं, यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन पहले ही है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं बिल को देख कर बाद में सदन में निवेदन कर रहे हैं कि इसमें क्या चाहा गया है ?

श्री मदनसिंह : फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलरेडी है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें यह है कि जबरन धर्म परिवर्तन को निषिद्ध किया गया है।

श्री मदनसिंह : उसका रेस्ट्रिक्शन रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में उठाया जा सकता है।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मन्त्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं। मैं राजस्थान निवारक

(विराम)

निरोध अध्यादेश, १९७० (अध्यादेश सं० ६, सन् १९७०) जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रामचन्द्र आर्य : अराजकता फैलाने वाले सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं। पुलिस के साथ मिल कर गुन्डागिर्दी करवाते हैं। सरे आम गुन्डागिर्दी होती है। इसलिये यह कानून नहीं आना चाहिये। इसका असेम्बली से सरोकार नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं ऐसे प्रस्ताव का तीव्र विरोध करता हूं और इस प्रकार के प्रस्ताव के पुरःस्थापन के लिये सदन की सहमति की आवश्यकता है और इसके लिये पहले सदन की सहमति लेनी चाहिये इसके पहले कि इसको पुरःस्थापित करें।

श्री मदनसिंह : आप नहीं आवेंगे, नक्सलवादी आवेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : इन्दिरागुट के लोग ये नक्सलवादी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस बिल का पहले पब्लिकेशन हो चुका है।

श्री मदनसिंह : ये नक्सलवादी नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : इस्लामवादी हैं।

एक माननीय सदस्य : आपका मतलब हरिदेवजी से है!

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री महोदय!

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नांकित विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ा दिया जाये।

"राजस्थान नगरीय भूमि कर अधिनियम, १९६४ में संशोधन करने हेतु विधेयक।"

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसके कारण क्या हैं? पहले इसके लिये सदन की राय ली जाय। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार कितनी ही बार समय बढ़ाने की इजाजत ली गयी है। वित्त मंत्री महोदय ने जब बजट प्रस्तुत किया था उस वक्त भी कहा था। पांच वर्षों के कर को मुक्त कर दिया। आयन्दा लगाने की नीयत नहीं है। अब जब कि सदन की कम से कम आप इजाजत लें तो इसके कारणों पर तो प्रकाश डालें कि इसको आगे लागू करने की नीयत है या नहीं और

Page No 48

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किस कारण से आपको आगे समय चाहिये। मैं भी इस सलेक्ट कमेटी का मेम्बर हूं लेकिन मिटिंग ही नहीं बुलायी जा रही है। एक सम्पत्तिशाली और सम्पन्न वर्ग को करों से मुक्त रखने के लिये विन्डो ड्रेसिंग के लिये इस बिल को सामने रख रखा है कई वर्षों से। इसलिये आप सदन की सहमति लेने से पहले इसके कारणों पर प्रकाश डालें।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सलेक्ट कमेटी के सदस्य हैं और सलेक्ट कमेटी में इस बिल पर पूरी चर्चा हो चुकी है। उनका यह कहना कि किन्हीं व्यक्तियों के लिये विन्ड्रेसिंग किया जा रहा है यह गलत है। यही बात पहले भी उन्होंने कही थी और उनकी इस बात को मैंने निराधार कर दिया था। राज्य सरकार की यह मंशा है कि इस बिल से सम्बन्धित अन्य दूसरे जो बिल हैं उन सब को कन्सोलिडेट करके रखा जाय। इस विषय पर सलेक्ट कमेटी में भी चर्चा हुई थी और उसको माननीय सदस्य भी जानते हैं। अब की बार सलेक्ट कमेटी की मिटिंग बुलायी थी लेकिन छुट्टी घोषित हो जाने से वह बैठक नहीं हो सकी और वह कैंसल हो गयी। इसको कन्सोलिडेट करने के लिये ही यह समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। अगले सत्र के प्रथम सप्ताह तक के लिये समय को बढ़ाने की मांग की गयी है इसलिये यह अगले सत्र में आवेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब आगे फिर तो समय नहीं बढ़ायेंगे मंत्री महोदय ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं समय बढ़ाने के लिये नहीं आता लेकिन दूसरे बिल इसे बिल के साथ लगे हुए हैं। सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पहले हो चुकी है इसलिये देरी लग रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनको करें इसलिये इसको स्थगित किया जा रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर अधिनियम, १९६४ में संशोधन करने हेतु विधेयक के सम्बन्ध में प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक के लिये समय में वृद्धि का जो प्रस्ताव किया गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया !

(विराम)

शासकीय संकल्प !

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल से संबंधित शासकीय संकल्प

श्री रामप्रसाद लड्ढा !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत मंत्री महोदय जो शासकीय संकल्प प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मैं इस सम्बन्ध में एक जानकारी करना चाहता हूं। आपने इस संकल्प में यह कहा है कि "२६ फरवरी, १९७० के पश्चात् किसी भी समय ऋण लेने की अधिकतम राशि को उच्चतर करके ५० करोड़ रुपये निश्चित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।" २६ फरवरी, ७० के बाद यह ऋण जारी करें

Page No 49

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिया या मंजूरी दे दी ? २६ फरवरी १९७० क्यों लिखा है ? एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी। उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया है आपने। २६ फरवरी, ७० से यह किया है इस पर आप प्रकाश डालें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, २६ फरवरी, १९७० इसलिये दर्ज किया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दस करोड़ तक की बोरोइंग्स के पावर्स हैं उससे अधिक बोरोइंग के चाहियें तो स्टेट गवर्नमेन्ट मैक्सिमम लिमिट प्रेस्क्राइब करती है और उसमें असेम्बली की एप्रूवल चाहिये। २६ फरवरी के बाद जो दस करोड़ से ऊपर रकम पहुँच गयी है इसलिये उसके लिये इस वक्त एप्रूवल चाही जा रही है। २६ फरवरी के बाद में दस करोड़ की बोरोइंग के पश्चात् एक-दो करोड़ की बोरोइंग की लिमिट पहुँच गयी है उसके लिये अनुमति हाउस से हो जाय....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कितना पहुँचा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लग-भग दो करोड़।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कब ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २६ फरवरी, ७० तक।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बता रहे हैं कि दो करोड़ की राशि पहुँच गयी है। यह स्टेट गवर्नमेन्ट की अनुमति से या बिना अनुमति से ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : है ही अनुमति से तो। लेकिन असेम्बली की अनुमति नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : मैं स्टेट गवर्नमेन्ट से यह जानना चाहूंगा कि अनुमति देने का अधिकार आपको किसने दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सैंक्शन में है, स्टेट गवर्नमेन्ट तो प्रेस्क्राइब करती है। असेम्बली की एप्रूवल से स्टेट गवर्नमेन्ट करती है। इसमें असेम्बली की एप्रूवल नहीं हो सकी। दो करोड़ रुपया मैक्जिमम लिमिट से अधिक बोरो हुआ है उसका समावेश करके आयन्दा के लिये अधिक देने की आवश्यता पड़ी है....

श्री भैरोंसिंह : एक्स्प्लेनेशन हम समझ गये हैं। आपने बिना स्टेट लेजिस्लेचर की सैंक्शन के इन्डिपेन्डेन्टली दस करोड़ से अधिक दो करोड़ की राशि बोरो करने के लिये स्वीकृति दे दी जो इल्लीगल है ..

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी इल्लीगेलिटी को ठीक करने के लिये यह किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। असेम्बली को इसके लिये पावर्स मिले हुए हैं आपको इस प्रकार के पावर्स नहीं हैं। उसके ऊपर पहले बहस होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इसी पॉइन्ट को रेज करना चाहता था। धारा ६५ की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट की :

"Power to Borrow—The Board may from time to time with the previous sanction of the State Government and subject to the provisions of this Act and to such conditions

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

as may be perscribed in this behalf, borrow any sum for the required purpose of this Act.

(2) Rules made by the State Government for the purposes of this Section may empower the Board to borrow by the issue of bonds or stock or otherwise and to make such arrangements with the Bankers, and may apply to the Board with such modifications as may be necessary to consistant with this Act, the provisions of the local authorities Loans Act, 1914 and the Rules made thereunder as if the Board were a local authority."

We are not very much concerned with this and I will read now Section 65 (3).

"The maximum amount which the Board may at any time have on loan in sub-section 1 shall be ten crores of rupees unless the State Government with the approval of the State Legislative Assembly fixes a higher maximum amount."

यह प्रस्ताव धारा ६५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत प्रतुस्त किया गया है जैसा कि इसमें उल्लेख है। ६५ (३) इस बात का प्रावधान करता है कि दस करोड़ से अधिक बोरो करने के लिये जब तक कि राज्य विधान सभा स्वीकृति प्रदान न कर दे तब तक राज्य सरकार कोई भी एप्रूवल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नहीं दे सकती है और उसके लिये प्रिविलेज और अधिकार इस सदन को है। यह सदन इस सम्बन्ध में पूरी चर्चा करने के बाद कि आया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पूरो इसके लिये इजाजत दी जाय या नहीं दी जाय या राज्य सरकार को इजाजत देना या न देना यह इस सदन का काम है और सदन की प्रिविलेज है, कानून है, विशेषाधिकार सदन को दिया गया है कि राज्य सरकार दस करोड़ से ऊपर विद्युत् मण्डल को स्वीकृति प्रदान करे या न करे लोन लेने के किये। यह सदन का अधिकार है और बिना सदन की अनुमति के, बिना सदन की इजाजत के और बिना सदन की स्वीकृति के राज्य सरकार द्वारा विद्युत् मण्डल को दस करोड़ से ऊपर लोन बोरो करने की स्वीकृति दी गई है तो यह सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है, सदन के विशेषाधिकार का हनन है, और कानून की अहवेलना है और इतना गम्भीर मामला है, उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं चाहूंगा कि सदन को इस विषय में जब तक विश्वास न हो जाय कि यह विद्युत् मण्डल की ओर से प्रस्ताव राज्य सरकार के पास कब आया और राज्य सरकार ने कब स्वीकृति दी, यह सब देख लिये जायं, इसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव विशेषाधिकार का विद्युत् मंत्री महोदय के खिलाफ प्रस्तुत करना चाहूंगा, आपकी अनुमति से, लिख कर मैं बाद में दे दूंगा, औरली भी मैं विशेषाधिकार भंग का आरोप लगाता हूं और प्रस्ताव यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि विद्युत् मंत्री महोदय ने इस सदन की अनुमति के बिना दस करोड़ से अधिक दो करोड़ का लोन लेने की स्वीकृति प्रदान करके विशेषाधिकार का हनन किया है और यह उनकी कार्यवाही गैर-कानूनी है और उसको रिट्रोस्पेक्टिवली स्वीकृति का प्रश्न नहीं होता है। यह राज्य सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। इजाजत दे दी थी वह दे दी। उसका दुबारा कुछ नहीं हो सकता।।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
सदन अपने अधिकारों की रक्षा के लिये इधर या उधर दोनों तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे कि इस संकल्प को सदन में प्रस्तुत करने की इजाजत देनी चाहिये या नहीं। और विद्युत् मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार भंग का मामला विशेषाधिकार समिति के सामने प्रस्तुत करना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक छोटा सा पोइन्ट है, वह मैं अर्ज कर देता हूं उसके बाद आपको इस पर बहस करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि गवर्नमेन्ट ने बोरोइंग की मेक्सिमम लिमिट प्रेस्काइब की है, दस करोड़ रुपया और उसके बाद बोरो हो तो लेजिस्लेचर की स्वीकृति ली जानी चाहिये। आप फिर ध्यान से सुन लें। मैंने बोरोइंग की परमीशन के लिये कहा था कि बोरोइंग की परमीशन गवर्नमेन्ट ने बोर्ड को दी लेकिन वह दस करोड़ तक की सीमा की परमीशन थी। उससे आगे बढ़ाने के लिये बोर्ड ने गवर्नमेन्ट को मूव किया और गवर्नमेन्ट ने अपनी स्वीकृति देकर बोर्ड को नहीं कहा है। उसके लिये यह मामला विधान सभा में आया है। बोर्ड ने अस्युमिंग परहैप्स यह स्वीकृति आजावेगी, डेवलपमेन्ट के कार्य तेजी से शुरू थे और रुपयों की जरूरत थी, जो रुपया उधार लिया वह दस करोड़ से ऊपर बढ़ गया इसलिये इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की बात है। गवर्नमेन्ट ने विदआउट एप्रूवल ऑफ दी लेजिस्लेचर दस करोड़ से ऊपर लिमिट करदी यह सही नहीं है। माननीय सदस्य ने ऐसा मान कर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने हाउस में कहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा बोरोइंग की परमीशन।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह नहीं कहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बोरोइंग की परमीशन दस करोड़ तक की है लेकिन उसके बाद मैक्सिमम लिमिट निर्धारित करने का सवाल है, वह राज्य सरकार ने अब तक नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा तो अच्छा यह होगा कि हाउस की प्रोसीडिंग्स में देख लिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो फैक्ट्स मैंने अभी कहे हैं वे सही हैं और पूरी जानकारी के साथ कहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो पहले जो बात कही वह सही नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले भी मेरा यही मकसद था।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : जो प्रश्न माननीय सतीशचन्द्रजी ने उठाया उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह संकल्प कम से कम टेक्निकली तो डिफेक्टिव अवश्य है।

जब प्रावधान है दस करोड़ तक की सीमा का तो आपने इन एन्टीसिपेशन ऑफ सेन्क्शन दो करोड़ भी अधिक खर्च किया तो प्रोसिजरल इश्यू को लेकर, मैं समझता हूं, यह डिफेक्टिव है और खास कर मंत्री से सम्बन्धित विषय है तो आपको चाहिये था

(श्री लक्ष्मणसिंह)

कि कम से कम एक दूसरा संकल्प आप लाते। उसके अन्दर वह उल्लेख करते कि लिमिट से एक्सेस दो करोड़ रुपया खर्च किया है उसकी सैन्क्शन मांगते तो मैं समझ सकता था कि इस डिफेक्ट को दूर करने के लिये यह संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके पश्चात् पचास करोड़ की सीलिंग होनी चाहिये थी। मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि यह कोई कन्ट्रोवर्शियल पोइन्ट नहीं है क्योंकि डेवलपमेन्ट का प्रश्न मुख्य है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो कहता हूं कि डेवलपमेन्ट के लिये सौ करोड़ दीजिये। जो सदन के विशेषाधिकार हैं उनको उल्लंघन करने की सरकार क्यों चेष्टा करती है।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह अवश्य प्रिविलेज का इश्यू है। सरकार ने दिदोशानिस्ता सदन का अपमान किया हो यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन यह संकल्प in its present form is defective. There is no doubt about it.

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो चेयरमैन ऑफ दी प्रिविलेज कमेटी हैं, आपके पास तो यह आवेगा ही।

श्री यशवन्तसिंह नहार : मैं क्या कह रहा हूं यह तो आपने पहले सुना ही नहीं और उससे पहले ही आपने फरमा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार ने यह स्वीकार किया है कि अब तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दस करोड़ से अधिक लोन लेने की परमीशन नहीं दी है। अब इस संकल्प के द्वारा उस लिमिट को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

हमारे हाउस का अपमान है या नहीं उससे ज्यादा रिलेवेन्ट प्रश्न यह है कि यह जो संकल्प है वह केवल इर्रेगुलर है या इल्लीगल है। केवल इर्रेगुलर है तो उसको रेगुलराइज किया जा सकता है और इल्लीगल है तो यह संकल्प भी उस इल्लीगैलिटी को दुरुस्त नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं, इसके अन्दर जो शब्दावली है जिसे माननीय सदस्य ने पढ़ कर सुनाया है और उसका इन्टरप्रिटेशन भी मैं उस तरह से करता हूं कि गवर्नमेन्ट की परमीशन आवश्यक है और गवर्नमेन्ट की परमीशन सदन की एप्रूवल के बाद हो सकती है और गवर्नमेन्ट ने अक्लमन्दी यह की है कि सदन की एप्रूवल के बगैर वह परमीशन बोर्ड को नहीं दी। मंत्री महोदय के घर से उठा कर चेयरमेन के घर में डाल दें। मामला कानूनी है। हम यह संकल्प पास भी कर दें और दो करोड़ का लोन संकल्प पास करने से पहले दे दिया गया जो बोर्ड के पावर्स से अलग है तमाम इल्लीगल है, उसके लिये बोर्ड की लायेबिलिटी नहीं हो सकती है और क्रेडिटर्स उसको वसूल नहीं कर सकते हैं और यह संकल्प भी उसको दुरुस्त नहीं कर सकता है। इसलिये इस पर एडवोकेट जनरल को ओपिनियन ली जानी चाहिये। अगर यह केवल इर्रेगुलेरिटी का सवाल है तो सदन में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की और सरकार की गलती कह कर इसकी एप्रूवल देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि डेवलपमेन्ट का कार्य रुके नहीं और मेक्सिमम लिमिट बढ़ायी जाय। उसमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कोई कन्ट्रोवर्शियल बात नहीं है। किसी भी लेजिस्लेशन में इस प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं कि जिस प्रकार गवर्नमेन्ट को बजट के लिये है कि उससे अधिक हो जाय तो एक्सेस अमाउन्ट के लिये पेश कर सकते हैं, और उसको पास करते हैं लेकिन उसके लिये कॉन्स्टीट्यूशन में प्रोविजन है और उस प्रोविजन के अनुसार सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी, ज्यादा खर्चा कर दे जितना बजेटेड अमाउन्ट है।

(१ म० प०)

मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट है उसमें इस प्रकार कोई सेविंग का प्रोविजन नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को यह सुविधा दी गई हो कि जहां भी एक्सेस खर्चा हो जाय, एक्सेस बोरोइंग हो जाय उसमें किस तरह से एप्रूवल कराई जा सकती है।

मैं समझता हूं की यह काफी विवादास्पद प्रश्न है और इल्लीगल भी है इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इसके बारे में एडवोकेट जनरल कि रांय ले ली जाय। उसके बाद यदि यह प्रोपर है तो इस लिमिट को बढ़ा दिया जाय।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि इसको प्रायर एप्रूवल होनी चाहिये या नहीं। यह इसमें कोई बाधक नहीं हैं। लेकिन जो संकल्प जिस रूप में आया है उस पर मुझे कुछ आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प अभी प्रस्तुत नहीं हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह करेक्ट है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जो बजट अपने यहां पर पेश होता है उस पर बहस होती है इस तरह से कई तथ्य प्रस्ताव पेश होने से पहले सामने आ जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्तर्गत तीन लॉज इनवोल्व्ड हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट और तीसरा लोकल अथोरिटीज लोन्स एक्ट। ये तीनों इनवोल्व्ड हैं। इसके पहले यह जानना आवश्यक है कि बोर्ड के सामने ऐसी क्या परिस्थिति है वह कितना लोन ले चुका है। आज के विकास की दृष्टि से यदि पचास करोड़ की बजाय सो करोड़ या पांच सो करोड़ का लोन भी लिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं होगी। यह भी मैं मान नहीं सकता कि जिस प्रकार की कल्पना लेकर विद्युत् बोर्ड चल रहा है उसी से हमारा कल्याण हो जायगा, उससे विकास हो जायगा। बजट का जो पहला पेज है उसी को देख लिया जाय तो उसी से पता चल जायगा कि विद्युत् मण्डल किस कल्पना को लेकर चल रहा है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो इस बारे में संकल्प लाया गया है वह इसके बजट पर बहस होने के पश्चात् पेश किया जाय ताकि सभी परिस्थितियां सामने आ जायें। इस संकल्प को लेकर यह कहना कि यह लीगल है या इल्लीगल है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Quite right I agree.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प विद्युत् मंत्री ने पेश किया है और उस पर जो एक्सप्लेनेशन

Page No 54

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दिया है ऐसी क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सामने इमर्जेन्सी पैदा हो गई ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर दूं संकल्प प्रस्तुत होने से पहले ही एतराज कर दिया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी क्या इमरजेन्सी अराइज हो गई जिसके कारण जो लिमिट प्रेस्क्राइब कर रखी है उसको क्यों बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई। वैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसमें सीनियर मेम्बर्स के रहते हुए जहां सरकार को लिमिट को बढ़ाने के अधिकार नहीं हैं उनके द्वारा यह गलती किस प्रकार हो गई ? इस तरह से उन्होंने अपने पावर्स को किस प्रकार से एक्सटेण्ड कर लिया ? जब तक असेम्बली की परमीशन न हो तब तक वे इस प्रकार से अपने कोष को बढ़ा नहीं सकते। उनको विधान सभा के पावर्स का भी खयाल नहीं रहा ? यह तो एक प्रकार से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। इस प्रकार सरकार को भी अधिकार नहीं है कि वह मन्जूरी दे दें। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार का संकल्प इल्लेगल है, इम्प्रोपर है। यह सदन में पेश नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं यह जो दो करोड़ रुपयों का लोन फ्लोट करने का प्रश्न है क्या उस दो करोड़ रुपये की गारन्टी दी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (विद्युत् मंत्री) : इसमें दो प्रश्न हैं एक तो यह कि राज्य सरकार ने गारन्टी दी है क्या ? दूसरा प्रश्न यह है कि यह इल्लीगेलिटी है जिसको सब्सीक्वेन्टली रेक्टीफाइ करना चाहिये ?

मैं सब से पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो १ करोड़ ६५ लाख का लोन है। यह रकम एल० आई० सी० से ली गई है। वह हाइपोथीकेशन और मोर्टगेज के बेसिस पर देता है। चूंकि यह असेट्स के अगेन्स्ट में लोन है इसके लिये गारन्टी की आवश्यकता नहीं है। एल० आई० सी० बिना असेट्स के मोर्टगेज किये लोन देता नहीं इसलिये बोर्ड द्वारा उसका रिपेमेण्ट नहीं होगा यह नहीं माना जा सकता।

दूसरा यह सदन जानता है कि कई बार ऐसे खर्चे हो जाते हैं जिनको सब्सीक्वेन्ट और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्रूव कर दिया जाता है। विकास के दृष्टिकोण से हम इसको देखें तो एक अवसर आया था लोन लेने का एल० आई० सी० से। इसके लिये उन्होंने गवर्नमेण्ट को मूव किया था...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब मूव किया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १.६५ लाख का लोन लिया गया अब आयन्दा और भी पब्लिक बोरोइंग कर सकते हैं It is not such which cannot be cured by the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे कृपया आप क्षमा करें, मैं आपको इन्टरप्ट कर रहा हूं। यह जो १ करोड़ ६५ लाख का लोन लिया गया वह कौन से महीने में लिया गया, इसके बारे में गवर्नमेण्ट को कब मूव कर दिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी एक्चुअल डेट तो मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Let us know the month.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जो लोन लिया गया वह २६ फरवरी के बाद या २७, २८ को लिया गया Either it is 27th or 28th.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मार्च के महीने में बजट सेशन था २०-मई तक वह सेशन चला है उसमें आपने इसको क्यों नहीं रखा ? इसी प्रकार से दस करोड़ का लोन जीवन बीमा निगम से कब मिला ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उन्होंने तो मूव कर दिया था। लोन लेते वक्त गवर्नमेंट लेवल पर इस बारे में फैसला होकर सदन के सामने नहीं आ सका। हाउस द्वारा इसको रैटिफाइ करने की आवश्यकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसकी ६६ की जो धारा है उस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्टेट गवर्नमेन्ट लोन लेती है उसमें राज्य सरकार ने गारन्टी दी है।

(श्री गिरधारीलाल व्यास और रामप्रसाद लड्ढा के आपस में बात करने पर)

आप इस तरह से बातें करते रहेंगे तो तो हमारा बोलना निरर्थक है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि विद्युत मण्डल ने जो १.६५ करोड़ का लोन लिया, २७, २८ फरवरी को उसके बारें में राज्य सरकार ने अनुमति दी थी ? क्या राज्य सरकार ने उसको स्वीकृति दी ? क्या इस लोन की गारन्टी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट की धारा ६६ के अन्तर्गत दी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गारन्टी जरूर दी है लेकिन जिसमें मोर्टगेज की बेसिस पर लोन लिया जाता है उसमें गारन्टी का प्रश्न नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि १ करोड़ ६५ लाख का लोन लिया गया है उसमें यह स्पेसिफिक कानून है, यह कि उनको लोन की सैंक्शन लेनी होगी। तो मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बोर्ड इस प्रकार का जो कर्जा ले रहा है १ करोड़ ६५ लाख का क्या उसकी गारन्टी सरकार ने उसको दी है या नहीं दी है और दी है तो कितने की दी है और कौनसी तारीख को दी है।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसके सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मन्त्री महोदय इस प्रश्न को भी सुन लें और दोनों प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे दें। मैं समझता हूं कि यह निर्विवाद बात है कि जिस तरह से यह संकल्प आया है, उस पर मैंने यह कहा है कि यह डिफेक्टिव है और इस तरह से आप एक बड़ी अस्वस्थ परम्परा इस सदन के सामने कायम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अनआथोराइज्ड रूप से, चाहे यह एक रुपया ही क्यों न हो, लोन लिया है तो उसको कुछ न कुछ रिपेन्ट करना चाहिये उनको यह कहना चाहिये था कि सरकार ने जो कुछ भी किया वह अनुचित है। परन्तु इसके बजाय मन्त्री महोदय कहते हैं कि मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि वे इसको हम से रेगुलराइज कराना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में यह एक गलत बात है और इसको आप फिर दोहराना चाहते हैं। एक तरफ तो

Page No 56

(श्री लक्ष्मणसिंह)

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की गन्दगी है और राजस्थान सरकार भी उसी गन्दगी की पुष्टि इस सदन से करवाना चाहती है। यह व्यवस्था ऐसी है, अगर यह कन्वेन्शन एडाप्ट कर लेंगे तो मेरे खयाल में आज राजस्थान सरकार और भविष्य में हर कोई इस तरह की बात कर के रेगुलराइज करवायेंगे। यह फाइनेंस का प्रश्न है इसमें एक-दो रुपयों की सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। आप इसको करेंगे, सैंक्शन क्यों नहीं लेते हैं और फिर रेगुलराइज करने की बात करते हैं तो यह बात गलत है। माननीय सदस्य ने यहां पर जो भावना व्यक्त की है वही मैं दोहराता हूं। आप एक गलती करते हैं तो उसको रिपीट क्यों करते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो २७, २८ को लोन दिया है क्या उसको गारन्टी दी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय कि यह जो ११ करोड़ ९५ लाख की बात आती है उसमें से हमने ६ करोड़ ३१ लाख की सैंक्शन दी है, गवर्नमेन्ट ने ५ करोड़ ६० लाख एल. आई. सी. से असेट्स की मोर्टगेज की बेसिस पर लिया है, जिसकी कि गारन्टी की जरूरत नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका स्टेटमेंट हाउस में रखा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आइ डोन्ट नो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You don't know, then who knows it ?

There is a provision in the Act. Section 66 says—

"The State Government may guarantee, in such manner as it thinks fit, for the payment of the principal and the interest of any loan to be raised by the Board or of either the principal or the interest:

Provided that the State Government shall, as long as any such guarantees are in force lay before the House of the State Legislature in every year during the Budget Session, a statement of the guarantees, if any..."

अब आपने स्टेटमेंट रखा है हाउस में कि किस-किस की कितनी-कितनी गारंटी दी है और कितनी की नहीं है और अपटू-डेट स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट ...

..."given during the current Financial year of the State and an uptodate account of the total sums, if any which have been paid out of such revenues by reason of any such guarantees or paid into such revenues towards re-payment of any money so paid."

So this House would like to know for how much the Government has given the guarantee and how much has been repaid. This House is entitled to know. If the Hon. Minister is not in a position to tell this to the House, it is highly contemptuous.

Shri Lakshman Singh : It is most contemptuous.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is highly contemptuous towards this House.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक साधारण सी बात को....

श्री लक्ष्मणसिंह : यह कोई साधारण बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You say it is "साधारणसी बात है" It is a matter of privilege. We are sitting here only for this purpose.

श्री लक्ष्मणसिंह : What for we are sitting here ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We are not concerned here about the electricity in a particular Gali or a Mohalla. We are here only for this purpose.

We are spending ten thousand Rupees per month on each Minister. And you say-"साधारण सी बात" You dont feel sorry even.

श्री भैरोंसिंह : यह स्पष्ट नहीं हुआ, इस सारे वाद-विवाद में कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है या राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है। माननीय मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने गलत प्रिजम्प्शन कर के १ करोड़ ९५ लाख की राशि उधार ले ली। लेकिन कानून की दृष्टि से यह मानकर चलें, और यह सदन यह मान कर चला है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है या राज्य सरकार की ओर से यह कहा जाये कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो १ करोड़ ९५ लाख की राशि उधार ली है उसको स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा प्रदान कर दी गई थी और उसको सदन में जो लाना था वह नहीं ला सके। तो अगर इस प्रकार की कोई अनुमति दी है तो मैं मंत्री महोदय से यह कैटेगोरिकली पूछना चाहूंगा कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस प्रकार से १ करोड़ ९५ लाख की राशि को उधार लेकर अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है या नहीं ? यदि उसने अधिकारों का अतिक्रमण किया है तो राज्य सरकार की ओर से इस अतिक्रमण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई ? क्या उनके विरुद्ध कोई एक्शन लेने की कार्यवाही की गई है ? इस सम्बन्ध में पहले मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण हो और उसके बाद कोई रूलिंग हो तो ठीक रहेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को मानने में मुझे कतई एतराज़ नहीं है। जब बोर्ड ने इसको गवर्नमेंट को मूव किया तो गवर्नमेंट लेविल पर इसका डिस्पोजल किया जाकर इसको असेम्बली में जल्दी लाया जाना चाहिये था और वह नहीं हो सका इसके लिये तो चाहे आप दोषी समझें विभाग को आई एम सोरी फोर दैट लेकिन बोर्ड ने लोन लेने के पहिले ही खासतौर से गवर्नमेंट को लिख दिया और उन्होंने गवर्नमेंट को एप्रूवल का इन्तजार नहीं किया क्योंकि लोन जल्दी ही एवेलेबिल हो रहा था और उसको वेस्ट नहीं करना था इसलिये उसने इस स्वीकृति का इन्तजार किये बिना ही लोन ले लिया। यह एक बात हो सकती है लेकिन एक बात यह भी हो सकती है कि बोर्ड ने सदुपयोग की दृष्टि से जल्दी ले लिया। इस तरह से एक तरफ लोन का सदुपयोग भी हुआ है।

Page No 58

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
फिर भी गवर्नमेंट को एसेम्बली की एप्रूवल के लिये जल्दी ही मूव करना चाहिये था और वह नहीं किया जा सका इसका मुझे खेद है।

श्री रामानंद अग्रवाल : Can the Board of Directors under the Company Law exceed their financial powers legally ? Whether the Financial Powers can be legalised lateron ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It is not like that. It is a question of consent of the Assembly. गवर्नमेंट ने क्यों नहीं जल्दी मूव किया और नहीं किया इसके लिये तो मैं खेद प्रकट कर चुका हूं। यह जो लोन लिया गया है उसके एग्रीमेंट में या लेने में किसी प्रकार की इल्लीगल कार्यवाही नहीं हुई है। इसमें सिर्फ प्रोसीजरल कमी रह गई है और इसके लिये मैं माननीय सदस्यों को यहां पर रिक्वेस्ट करने के लिये आया हूं कि इस कमी को इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर के दूर कर दें। यह सही है कि २६-२७ फरवरी के बाद जो १० करोड़ से राशि बढ़ गई है, १ करोड़ ६५ लाख की, उसको मंशा में कोई बुराई नहीं है। कानून की, रूल्स की, प्रोसीजर की इसमें जो कमी रह गई है उसके लिये मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि वे इस संकल्प का अनुमोदन कर दें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का इस बात की जानकारी मिल गई थी कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने १ करोड़ ६५ लाख का लोन बिना सरकार की अनुमति के ले लिया है ! क्या राज्य सरकार ने इस कानून के उल्लंघन के सम्बन्ध में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक्स्प्लेनेशन लिया है ? मैं यह जानकारी इस सदन के लिये देना चाहता हूं और यह सदन यह मान कर चल सकता है कि राज्य सरकार ने यह लिखा है कि राज्य सरकार की और से एसेम्बली की अनुमति करवाली जाये और एल० आई० सी० से इस मामले के लिये प्रोसीड किया जायेगा तो राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है तो बोर्ड इसको टेक्नीकली अनुमति मान सकता है। राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये। राज्य सरकार ने इसके ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की तो ये पर्याप्त कारण थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास कि यह अनुमति नहीं तो भी एल० आई० सी० को मूव किया जाये। यदि राज्य सरकार को आपत्ति थी तो उनका एक्स्प्लेनेशन क्यों नहीं लिया गया और एक्स्प्लेनेशन लिया है तो उसे हाउस की मेज पर रख दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि राजस्थान सरकार ने इस पर कोई स्वीकृति देकर बोर्ड को यह इन्फोर्म नहीं किया कि आप बोरोइंग दस करोड़ से ज्यादा का कर सकते हैं अथवा इस सीमा तक दस करोड़ का या अधिक का कर सकते हैं, इस तरह का कोई आदेश मेरी जानकारी में तो, मैंने मालूम किया, उससे होना नहीं पाया जाता।

श्री भैरोंसिंह : जब ऐसा आदेश सरकार ने दिया नहीं जिससे यह समझा जावे कि दस करोड़ से ऊपर की लिमिट का कर्जा लेने की अनुमति सरकार ने दे दी हो तो फरवरी से अनुमति चाहते हैं तो बोर्ड ने ऐसा क्यों किया ! इससे स्पष्ट है कि बोर्ड यह जानता था।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपत्ति उठाई गई इसके दो पक्ष हैं। आया यह लोन इल्लीगल

Page No 59

(श्री उपाध्यक्ष)

हैं एक । दूसरा यह कि सरकार ने बिना पूर्व स्वीकृति के १ करोड़ ६५ लाख रुपया बोर्ड ने जो कर्जा लिया, उसकी सूचना इस सदन को समय पर नहीं दी ।

दूसरी बात के लिये माननीय मन्त्री महोदय ने सदन के सामने रिग्रेट एक्सप्रेस किया है। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त है। इसलिये अब प्रश्न एक ही रह जाता है कि आया यह लोन इल्लीगल है ? यह एक प्रकार से कन्ट्राक्ट है जिसमें इल्लीगेलिटी नहीं होती, वोइड हो सकता है, जिसमें दूसरे पक्ष को अधिकार है कि वह माने या न माने। इसके लिये माननीय सदस्य स्वयं वकील हैं, समझ सकते हैं कि इसके भी कुछ कारण हुआ करते हैं कि कन्सीडरेशन न हो या माइनर हो सामने वाला या जिस परपज के लिये लोन लिया गया है, वह इल्लीगल हो। यह प्योरली एक संस्था से एक शख्स से रुपया दूसरी संस्था ने या व्यक्ति ने लिया है। इसमें सिर्फ प्रश्न आता है एप्रूवल का। तो प्रिन्सिपल और एजेण्ट का सवाल है। एप्रूवल देना या नहीं, यह भी आपस में विश्वास की बात है। पहले लिया और बाद में प्रिन्सिपल ने एप्रूव कर दिया तो इसलिये मान्य हो जाता है। और उसकी स्वीकृति से है तो टण्टा है ही नहीं।

इसलिये मैं समझता हूं कि यह मंशा भी अगर होती कि असेम्बली की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं लिया जावेगा तो शायद एप्रूवल शब्द होता। पर एप्रूवल शब्द ही रखा है। यह इसीलिये होगा कि शायद सदन छः महीनों में मिले या जिस समय लोन की जरूरत हो उस समय न मिले तो बाद में भी एप्रूवल ली जा सकती है।

अब मैंने प्रश्न यह है कि अगर सदन इसको एप्रूव कर देता है तो फिर इल्लीगल कौनसा बचता है ? इसलिये अन्ततोगत्वा सदन के सामने प्रश्न आवे-सदन विनिश्चय करे वही होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक सेकण्ड। ऐसा है जो आपने इसका इन्टरप्रीटेशन लगाया उसके लिये तो मुझे कुछ नहीं कहना पर इसमें शब्द है बोर्ड में "time to time with the previous sanction of the State Government" इसमें "Previous" शब्द है। वैसे बोर्ड को बिना अनुमति के बिना पूर्व अनुमति के एक धेला भी लेने का पावर नहीं है। एक पैसा भी लेना चाहता हो तो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ दी गवर्नमेंट के बिना नहीं ले सकता। "प्रीवियस सैंक्शन" वर्ड यहां यूज किया गया है। यह सैंक्शन पहले स्टेट गवर्नमेन्ट से लेनी होगी। जो इसमें ली नहीं। तो यह इल्लीगेलिटी कमिट की है बोर्ड ने। प्रीवियस सैंक्शन वर्ड है, सब-सैक्शन एक में।

श्री उपाध्यक्ष : may be पर यह तो कन्ट्रेक्ट है एक तरह से। वह "प्रीवियस सैंक्शन" वर्ड वहां है तो स्टेट गवर्नमेन्ट से तो सैंक्शन लेना जरूरी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो लोन उसने बिना प्रीवियस सैंक्शन लिये लिया है तो गवर्नमेंट की तो कन्सेन्ट है ही नहीं।

"The Board may from time to time with the previous sanction of the State Government" इसलिये बोरोइंग विदाउट दी प्रीवियस सैंक्शन ऑफ दी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे अब आप चाहे वोइड मानें या इल्लीगल मानें, कुछ भी मानें।

श्री उपाध्यक्ष : इल्लीगल तो हो नहीं सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें मैं नहीं जाता । यह तो ये दोनों लेने वाले और देने वाले जानें । पर प्रिन्सिपल और एजेन्ट का जो इसमें उल्लेख है तो यह साधारण बात नहीं है जैसा मानते हैं कि उससे ले लिया उसने दे दिया और इसने ले लिया ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रिन्सिपल और एजेन्ट का जहां तक प्रश्न है । इसमें बादशाह और गरीब हो सो भी यही कानून है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसकी इजाजत से लेंगे । आप चाहें तो ले सकते हैं । अब चाहे आप घरवाली से पूछकर लें या न लें, यह अलग बात है, यह कानून में नहीं लिखा है । पर इसमें लिखा है । यहां घरवाले और घरवाली का सवाल नहीं है । कानून का मामला है । बिना मन्जूरी के एक पैसा नहीं ले सकता यह बोर्ड ।

आज के बाद आप ले सकते हैं । अब अगर यह इल्लीगल नहीं है तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मन्जूरी लेने की जरूरत क्या है सदन से ?

श्री उपाध्यक्ष : बजट सेशन में आना चाहिये, इसमें यह लिखा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब अगर बजट सेशन में नहीं पेश करेंगे तो क्या बाद में नहीं हो सकता । सेक्शन ६६ में है ।

श्री उपाध्यक्ष : इस वक्त व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई व्यवस्था दे भी नहीं सकते आप ।

श्री लक्ष्मणसिंह : पहले ही सैंक्शन लेकर संकल्प लाते तो समझ सकते हैं पर अब संकल्प लाना ऐसा ही है जैसा पुटिंग दी कार्ट बिफोर दी हॉर्स । पहले तो गुनाह करते हैं फिर रेगुलेराइज करने की बात करते हैं । यह तो मोस्ट ओब्जक्शनेबल प्रोसीजर है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : "मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विद्युत् अधिनियम, १६४८ की धारा ६५ (३) के अधीन विद्युत् मण्डल के द्वारा २६ फरवरी, ७० के पश्चात् किसी भी समय ऋण लेने की अधिकतम राशि को उच्चतर करके पचास करोड़ रुपये निश्चित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है ।"

श्री उपाध्यक्ष : अगर सदन की अनुमति हो तो आय-व्ययक संकल्प और यह दोनों साथ ही ले लिये जावें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसी आपकी मर्जी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अन्त में "मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), १६७०-७१ को, जो दि. १३ अप्रैल, १६७० को सदन की मेज पर रखा गया था, विचारार्थ लिया जावे ।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें भी वही गारन्टी का सवाल आवेगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १३ अप्रैल, १६७० को रखा गया था पहले ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गारन्टी कहां है ? आपकी मर्जी है, कुछ भी करो । लाये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
जाग्रो, पीये जाग्रो, मौज किये जाग्रो। वी हैव इन ग्रवर जोब।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात की खुशी है कि राजस्थान सरकार ग्रब जगी है। पर मुझे मालूम हुग्रा है कि हरियाणा ग्रापके पास एक स्टेट है, ग्रापसे भी छोटी, वहां के मुख्य मन्त्री का एक वक्तव्य था कि उस स्टेट के हर गांव में १४ नवम्बर तक बिजली पहुँच जावेगी। १६ नवम्बर तक पहुँच जावेगी।

पर खेद है कि राजस्थान सरकार कितनी जागरूक है, कितनी सजग है, यह उनके खुद के कारनामे बतलाते हैं।

बिजली तो नहीं पहुँचा पाये, पर लोन लेने जरूर ग्रा गये हैं। ग्रापके जो ग्रांकड़े हैं, उनसे मालूम होता है कि राजस्थान सरकार विद्युत् के मामले में भी धीमे-धीमे चलती है पर धीरे-धीरे चलने वाले देश ग्रौर प्रदेश पिछड़ जाते हैं समय की दौड़ में।

जितनी बिजली ग्राप पैदा करेंगे क्या ग्राप यह बता सकेंगे कि वह सब कहां किस तरह से कन्जूम होगी ? ग्रापके पास कोई फेज्ड प्रोग्राम है इसका ? ग्रापका विद्युत् विभाग सोया हुग्रा है, सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। ग्रगर राजस्थान पिछड़ा रहा तो उसका सारा दोष इस विभाग पर होगा।

ऐसे ग्रवसर पर स्वर्गीय कैरो की बात याद ग्राती है। वह कहते थे कि इनडिसीजिव पर्सन मस्ट हैव टू सफर। वे जहां निकल जाते थे तो जिस काम को करना होता था तो वे उसके लिये तारीख मुकर्रर कर देते थे कि फलां तारीख तक यह काम हो जाना चाहिये, यहां बिजली लग जाना चाहिये, फिर ग्रगर नहीं लगती है या वह काम नहीं होता है तो निश्चित था कि वह ग्रधिकारी या इन्जीनियर कितना ही बड़ा हो, ग्रपनी नौकरी नहीं बचा सकता था, वह नौकरी से बर्खास्त ही होता था।

श्री रामचन्द्र ग्रार्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी बिजली तो इनकी कोठियों में खर्च होती है, उनकी ढाणियों में खर्च होती है, उनके ऐश-ग्राराम में खर्च होती है। ग्राम जनता के लिये कोई बिजली नहीं है। कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं, लोगों को ग्रौर सालों खम्भे लगाये हुए खड़े रहते हैं, पर उन पर बिजली के तार नहीं डाले जाते, बिजली नहीं दी जाती।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय मेरी बात पर ग्राप जागरूक हुए। मुझे ग्रच्छा लगा ग्राप मेरी बात का समर्थन करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। कैरो के मामले में यह बात कही जाती है कि पंजाब में फलां जगह बिजली पहुँचाई जाय ग्रौर फलां तारीख तक बिजली पहुँचाई जाय।

(१.३१ म० प०)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

ग्रगर नहीं पहुँचती है तो उस इन्जीनियर को बर्खास्त किया जाय। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सम्बन्धित मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं—ग्राज तक मैं करप्शन की बात सुनता हूं ग्रौर देखता हूं ग्रौर मुझे यह कहना नहीं चाहिये....

(श्री रामचन्द्र ग्रार्य के व्यवधान करने पर)

(ग्रश्रव्य)

(श्री मूलचन्द डागा)

....ईमानदारी से बतायें कि आपने कितने इन्जीनियरों को चार्जशीट दी, कितनों को सस्पेन्ड किया, कौन नौकरी से बरखास्त हुआ ? एक भी नहीं हुआ। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज बिजली विभाग किस हद तक सोया हुआ है। मैं जानता हूं लेकिन मैं कहने को तैयार नहीं हूं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं राजस्थान के विद्युत् विभाग से कि काश्तकार कितना परेशान है और हम लोग कन्ज्यूमर भी कितने परेशान हैं, क्या इसका आपको पता है ?

मुझे बड़ा दुःख है, यह सरकार का जो कुनबा है वह अपने आप को अलग समझता है। सरकारी कर्मचारी को मालूम हो जाना चाहिये कि काश्तकार और वे बराबर है। जिस तरह आपका इन्जीनियर पेश आता है, जिस तरह आपका मैकेनिक पेश आता है, वह नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्जीनियर को मालूम हो जाना चाहिये– इन्जीनियर उस काश्तकार से बहुत छोटा है, चीफ इन्जीनियर बहुत छोटा है। अगर उसका यह विचार नहीं है तो आने वाला समय उसको बता देगा। कितना पैसा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आटोनोमस बॉडी बनने के बाद गया है, आप बतायें—कोई उत्पादन का काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं चल रहा है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इतना बड़ा खर्च करने के बाद, इतने इन्जीनियर्स को लेने के बाद कितनी मुस्तैदी से काम करता है, यह एक देखने की बात है। आपको दूसरी स्टेट्स से सबक लेना चाहिये, आपको दूसरी स्टेट्स से मुकाबला करना चाहिये। बड़े शर्म की बात है १००-१०० मील दूर बिजली ले जाते हैं, जहां उत्पादन बढ़ता नहीं है। आपने ऐसे कौनसे गांव में बिजली दे दी जिससे उत्पादन बढ़ा हो, अगर यह बात कहते हैं तो आपके कान चौकन्ने होते हैं।

बान्डी के किनारे एक हजार कुए हैं और उन सब कुओं में गहरा पानी है लेकिन आप वहां बिजली देना नहीं चाहते। अगर आप बिजली दें तो वहां हजारों मन अनाज पैदा हो सकता है, लेकिन मेरी बात का उत्तर क्या है ? यह उत्तर है कि हम १००-१०० मील दूरी पर बिजली ले गये हैं और ३३ के. वी. की लाइन ले गये हैं। आपका उत्तर हमें सन्तोष नहीं देता है। आप जानते हैं जमाना कितनी तेजी से बढ़ रहा है। उसमें इस प्रकार का उत्तर कि हमारे पास साधन नहीं हैं, हमारे पास इन्जीनियर नहीं हैं, हमारे पास ये नहीं, ये सारे आपके उत्तर तरीके के नहीं हैं। चार घंटा आपका इन्जीनियर बैठा रहे लेकिन फील्ड पर नहीं जाय। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के काम करने के तरीके बदलने होंगे, अगर तरीके नहीं बदले तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चलने वाला नहीं है। हरियाणा की मिसाल देखिये। बिजली का बिल आता है उसका आदेश होता है फौरन पेमेन्ट कर दीजिये। जिस दिन रीसीट होता है उस दिन पेमेन्ट होता है। गलती आप करें और सजा हम भुगतें, यह कब तक होगा। मैं यह बात समझ नहीं पाया कि आपके बिल के पेमेन्ट का झगड़ा क्या है। ठीक दीवाली के दिन किस प्रकार का काम हो रहा है। हजारों इन्जीनियर काम करने पर भी २० प्रतिशत जनता के पास बिजली नहीं पहुँची।

बिजली वहां नहीं पहुँची, जहां उत्पादन बढ़ सकता है। मैं कहता हूं आपको ऑफिस में बैठकर काम करना होगा। ऊंचे

(श्री मूलचन्द डागा)

आकाश में बैठकर काम नहीं करना होगा, आकाश से उतर कर आपको धरती पर आना होगा। आकाश से तो बिजली गिरती है टूट कर। इसलिये मेरा कहना है कि धरती पर बैठकर काम करें, आकाश में नहीं घूमें।

मैं आपसे बड़े शब्दों में कहना चाहता हूं और पूछता हूं कि आपके कितने इंजीनियर काम नहीं करने पर सस्पेन्ड हुये तो कहते है कि हमें मालूम नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक आटोनोमस बॉडी है। यह आपका क्या तरीका है? शहरों में बैठे इंजीनियर मस्त हैं। आपका समाजवाद का तरीका बिलकुल गलत है। यह क्या गवर्नमेंट की नीति है कि डी० सी० एम० को तीन पैसे यूनिट पर बिजली दे दी जिसको करोड़ों का लाभ है। कन्ज्यूमर को आप बिजली सस्ती नहीं देते और जिनको करोड़ों का लाभ है उनको आप बिजली सस्ती दे देते हैं, यह आपका कौनसा समाजवाद का तरीका है? उससे बिजली पैदा करने का खर्च भी नहीं लिया जाता है–क्या तरीका है आपका? आप समाजवादी नारा दें और काम करें इसके बिलकुल विपरीत। हम समाजवाद लाना चाहते हैं और आप पूंजीपति को और पूंजीपति करना चाहते हैं। दुनिया कहती है प्रिविपर्स बन्द होने चाहियें, सीलिंग होना चाहिये। मैं पूछता हूं आप क्या करना चाहते हैं? क्यों देते हैं डी० सी० एम० को तीन पैसे यूनिट मे बिजली? कितने करोड़ों को लाभ आपने उनको दे दिया? आने वाला इतिहास पढ़ेगा, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी और कहेंगी कि कांग्रेस में इस प्रकार की बातें होती थीं। आपका यह उत्तर कि हमने इतने इंजीनियर बढ़ा लिये, इतना रोजगार दे दिया–इस उत्तर से हमारा काम होने वाला नहीं है। यह उत्तर हमें सेटिसफाई नहीं करता है। अब भाषण से लोग नहीं समझते हैं, अब लोग बातों से नहीं समझते हैं–अब तो लोग काम से समझते हैं। मैंने इंजीनियर साहब को तीन-चार बातें कहीं कि आपका पहला तरीका तो यह हो कि उत्पादन बढ़ता हो वहां बिजली पहले दी जाय। काश्तकार को आपका बिजली का फार्म भरने में कितनी परेशानी होती है, मैं कहता हूं अगर इंजीनियर खुद फार्म भर दें तो क्या हो जाय–क्या किसान का फार्म भरने में उसके हाथ की घिसाई होती है। उसे अपने रेडियो से फुर्सत नहीं है, अपने कमाने से फुर्सत नहीं है। उसे खुद को फार्म भरना चाहिये। उसे खुद को आगे होकर कहना चाहिये कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, मेरा सहयोग चाहिये तो मैं सहयोग देने को तैयार हूं। उसे हर किसान से पूछना चाहिये कि किस-किस को उसका सहयोग चाहिये लेकिन आज इंजीनियर के दिमाग में यह बात नहीं है। उसके दिमाग को बिलकुल परिवर्तित करना होगा।

मैं कहना चाहता हूं बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन आपका फेयर नहीं है, आपका डिपार्टमेंट सजग नहीं है। आपके पास इन बातों का उत्तर नहीं है। एक दूर गांव में बिजली दे दी और पास वाले गांव में बिजली नहीं दी और अगर किसान कहता है कि मेरे कुए को बिजली दी जाय तो आपका उत्तर होता है, आपका गांव इलेक्ट्रिफाई स्कीम में नहीं आया है इसलिए बिजली नहीं आयेगी। कौनसा उत्तर है यह आपका? नाइन्टीन सिक्स्टी फाइव का उत्तर है। आप चाहते हैं राजस्थान भी बंगाल हो जाय, अगर ऐसी स्थिति हो गई तो इंजीनियरों

(श्री मूलचन्द डागा)

को पकड़ लिया जायगा। सभापति महोदय, मुझे इस बात का दर्द है कि बिजली के मायने में राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है और आज इस बात की मांग है कि आर० एस० ई० बी० को लोन लेना चाहिये लेकिन आपके इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यह दिमाग बन जाना चाहिए कि हर गांव इलेक्ट्रिफाई होगा और जल्दी से जल्दी होगा लेकिन हो कैसे आपका चीफ इंजीनियर आधा घंटे सोये और डिप्टी चीफ इंजीनियर ५ घंटे सोयें। मैं कहता हूं उनको रात दिन काम करना चाहिये, रात-दिन काम करें, गांव गांव घूमें तब मालूम होगा कि बिजली को वहां कितनी कीमत है। लेकिन आपके यहां तो जवाब है, ठीक है, देखेंगे साहब। अब ये बातें पसन्द नहीं आती हैं। पेन्ट में हाथ डालकर यह कहे, सोचेंगे साहब। अब सोचने से काम चलने वाला नहीं है। काम करें, तुरन्त करें और फुर्ती से करें और बिजली का काम बिजली की तरह करें। आपका यह जवाब कि बिजली १००-१०० मील दूर चली गई है, कुछ नहीं है। उत्पादन आपका कुछ नहीं बढ़ा है। आप सोचेंगे, देखेंगे इससे काम चलने वाला नहीं है। कहीं फाइनेन्सेस ठीक हो जाते हैं, कहीं नहीं होते हैं, कहीं पेमेन्ट करने का तरीका ठीक नहीं, लेने का तरीका ठीक नहीं। किसी इंजीनियर को चार्ज-शीट नहीं–सब दूध के धुले हुए हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस राज्य में तो मंत्री रिश्वत लेते है इनका क्या कर सकते हैं आप ? जब मंत्रीजी की रिश्वत लेना बन्द करोगे तब जाकर यह प्रशासन ठीक होगा। वह शक्ति आपमें नहीं है और वह शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक राजस्थान का प्रशासन ठीक नहीं हो सकता।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो उनको बिगाड़ने में हो। सभापति महोदय, इसलिए मैंने जो भी बातें कहीं बिजली के मामले में, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जब मैं अपनी बात को समाप्त करूं आप दें तो यह दें कि आपकी बिजली कहीं मध्यप्रदेश और गुजरात में तो नहीं चली जायेगी। मुझे डर लगता है कि कहीं हमारी बिजली दूसरे प्रान्तों को न चली जायें और हमारा प्रान्त कहीं पीछे न रह जाये। मध्यप्रदेश और गुजरात वाले तैयार बैठे हैं। आंकड़ों का जाल तो धरा रह जायेगा। मेरे दिमाग में जो-जो बातें आईं आपके आंकड़े पढ़ते-पढ़ते वह मैंने कह दिया लेकिन मैं यह कहूंगा कि आपको बिजली पहुँचानी चाहिए। सीधा काम होना चाहिए, गरदन झुकाकर आपको काम करना चाहिए तब तो काम बन जायेगा नहीं तो सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के उप-मंत्री श्री खेतसिंह-जी हैं भगवान जाने यह भी क्यों नहीं इन्ट-रेस्ट लेते हैं। इनसे मेरी रिक्वेस्ट है। अभी इनसे कुछ कहा जायेगा तो कह देंगे कि यह आटोनोमस बाडी है, इस पर हमारा क्या अधिकार है लेकिन मैं कहूंगा कि हमारा सब अधिकार है। विधान सभा में जो मेम्बर कह रहा है वह बहुत बड़ा अधिकार है और हमने देखा कि पावर का तरीका होगा तो चेयरमैन भी इलेक्टेड होगा और फिर देखेंगे कि इन्जीनियर्स कितना आराम करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : हारे हुए मंत्री ही चेयरमैन होते हैं राजस्थान में, इसलिए यह सारा भ्रष्टाचार घर का बना हुआ है।

श्री सभापति : स्थान स्थान पर आप ही चेयरमैन बनना चाहते हैं। पार्टी में

Page No 65

(श्री सभापति)

भी बन गए और दूसरी जगह भी बनना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुख्य मंत्रीजी, जो पुर्जे ढीले हो गये हैं उनको कस दो तो सारे राजस्थान का प्रशासन ठीक हो जायेगा।

श्री सभापति : श्री मदनसिंह !

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, इस बात में किसी का भी विरोध नहीं हो सकता कि ५० करोड़ तक की राशि का अधिकार उनको होगा। यह निश्चित बात है कि भूतपूर्व झालावाड़ हिज हाईनेस जिस समय विद्युत् विभाग के मिनिस्टर थे तो वास्तव में जैसे राजस्थान में काश्तकार को बिजली की जरूरत थी, जैसे गरीबों को बिजली की जरूरत थी उन्होंने वास्तव में वैसा ही चमत्कार हमारे डिस्ट्रिक्ट में बताया कि रात-दिन एक करके वह स्वयं भी पधारते थे और जो इन्जीनियर्स थे उनका उनके साथ एक टीम वर्क इतना अच्छा हो गया था कि जैसी सरकार की नीति थी उसके मुताबिक ही काम चलता था। उसके बाद में निश्चित है कि अभी भी जहां-जहां गांवों के अन्दर बिजली देनी चाहिए मन्शा होने के बावजूद भी, गवर्नमेंन्ट की मन्शा और इन्जीनियर्स एक तरह से टेक्निकल हैड हैं, वैसे तो ठीक है आपने इन्जीनियर्स के संबंध में कुछ कहा। आज प्रजातंत्र में आप कुछ भी कह सकते हैं लेकिन जैसा कि इन्जीनियर्स के लिए कहा वैसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा डिफेक्ट है वह लो लेवल पर है। बिजली विभाग की लेबर इतनी निकम्मी है कि उनकी नीयत नहीं है काम करने की। जहां उनको पैसा मिल सकता है वहीं काम करते हैं। यह निश्चित बात है कि बिजली विभाग में नीचे के स्तर पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरे इलाके में ट्रान्सफार्मर्स दांता रामगढ़ के लिए थे, उनको सीकर में और सीकर में मंत्रियों के और कांग्रेस के लोगों के कहने पर वह ट्रान्सफार्मर्स उनके वहां पहुँच गये और जहां जिनका पैसा पड़ा हुआ है वहां आज भी बिजली नहीं पहुँचती। हालत यह है कि अनाउन्समेन्ट जरूर हो जाता है। दांता रामगढ़ को सीकर से बिजली की लाइन गयी है और वह हर खेत में से होकर सभापति महोदय, गयी है और केवल एक तार खींचने से बिजली कुओं पर जा सकती है, बिजली के पोल कुओं से दस–दस गज के फासले पर हैं लेकिन वहां पर तार नहीं लगाकर दो मील दूर सीकर से कोई नेता हो, मंत्री हो तो वहां बिजली लग सकती है लेकिन एक गरीब हैं उनके कुओं पर बिजली नहीं लगती है। मैं कहता हूं कि नीचे के स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी राज्य कर्मचारी हैं वे आज भ्रष्टाचार के आरोप में आ सकते हैं यदि इन्क्वायरी हो तो। जो भी नीचे के स्तर पर इन्चार्ज हैं वे ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि जहां वे रहते हैं वहां पर बिजली लेने के लिए दूसरे गांवों के सर्किल को बिजली काट देते हैं। इसलिए यह निश्चित है कि जो भी बिजली विभाग के मंत्री हैं, उनसे कहूंगा कि अभी हमारे इस एडमिनिस्ट्रेशन में हमें काफी सुधार लाने की आवश्यकता है। जिनको जरूरत है उनको बिजली नहीं दी जाती है। सभापति महोदय, जितने भी कनेक्शन्स लग रहे हैं सब गलत लग रहे हैं। जिनकी दरख्वास्तें नहीं हैं, जिनको बिजली नहीं मिल सकती उनके बिजली लगी हुई है क्योंकि वहां पांच-पांच सौ

(श्री मदन सिंह)

और हजार-हजार रुपये रिश्वत देकर दूसरों के नाम से बिजली ले ली है और जहां बिजली लगानी चाहिए वहां आज भी तार मौजूद हैं लेकिन बिजली के कनेक्शन्स नहीं दिये जाते हैं। उसके लिए शिकायतें भी की हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिकायतें रुक जाती हैं। जिनकी दरख्वास्तें हैं उनके नियम होने चाहिएं, दो-तीन नियम, इस विभाग के अन्दर हमने एप्रोच किया और खुद मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा नियम कर दिया है कि पंचायत लेवल से प्रस्ताव पास हों, वहां से वे तहसील में जायें और फिर जिला परिषद् में जायें और जिला परिषद् हमें सजेशन दे तो बिजली हम लगा देंगे। मैं समझता हूं कि इसमें दो राय नहीं हो सकती कि पार्टियों की आज राजनीति इतनी गिरी हुई है कि वे पंचायतों में ही प्रस्ताव पास नहीं करते हैं। जिला परिषद् से पास नहीं करवाते हैं और इसलिए वे दरख्वास्तें यों ही पड़ी रहती हैं। मेरे ख्याल से इस मामले में बिलकुल बैंकों का सा सिस्टम होना चाहिए कि डाइरेक्ट एप्रोच ऐसी हो कि काश्तकार अपने कुए के कृषि पट्टे ले जाकर बिजली के लिए दरख्वास्त देता है तो उसी के ऊपर सैंक्शन हो जानी चाहिए। लेकिन आपने वेही लिटीगेशन्स रखे हैं और वेही तरीके हैं जो नहीं देने के लिए अपनाये जाते हैं। वैसे ही दरख्वास्तें बरसों तक पड़ी रहती हैं और आधी से ज्यादा इलाके में ऐसी दरख्वास्तें हैं कि जो पांच-पांच और छः-छः साल से पड़ी हुई हैं और जब उनका नम्बर प्रायोरिटी में आता है तो उनको दबाकर दूसरा कानून निकाल देते हैं कि वापस पंचायतों से ये दरख्वास्तें आयें।

सभापति महोदय, साथ ही साथ नीचे के स्तर पर और भी ऐसी ही चीजें चल रही हैं, कुछ एजेन्ट्स ऐसे हैं कि उनके द्वारा ही यदि दरख्वास्तें दी जायें तो बिजली मिलती है वरना नहीं मिलती। उनके द्वारा ही सारे काम कराये जायें तो ऐसी चीज हो सकती है। मैंने लिखकर इस विभाग को ऐसे लोगों को पकड़ाया कि जो एजेन्ट काश्तकारों से एडवान्स में रुपया ले जाते हैं और कहते हैं कि हम बिजली दिलायेंगे और मशीनें दिलायेंगे। ऐसे एजेन्ट्स रुपया खाकर चले गये हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में मंत्री लेविल पर जब तक कदम नहीं उठाये जायें तब तक कुछ नहीं होगा। तो यह निश्चित बात है कि हमारे जितने भी अधिकारी हैं वे इसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि आज लोग सही रूप से दरख्वास्त लिख सकते हैं या नहीं। ऐसा गलत तरीका बना रखा है कि जब तक जो दुविधायें हैं उनको इन्जीनियर्स चैक-अप नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि अरबों रुपया चाहे सैंक्शन कर लें जिनके पास बिजली पहुंचनी चाहिए उनके पास नहीं पहुंच रही है इसलिए मैं आपसे मेरे इलाके की चीज कह सकता हूं। मैं राजस्थान में तो नहीं घूमा हूं। दांता रामगढ़ के अन्दर जो लौसल और सीकर की तरफ लाइन जाती है वह ३३ के वी० की गई हैं। वहां पर एक को भी बिजली नहीं मिली है पूरे इलाके में। आज फूड से दांता रामगढ़ का कनेक्शन हो जाता है तो आधे से ज्यादा दांता रामगढ़ है वह पूरी बिजली प्राप्त कर सकता है। खाटू तक बिजली आ गई है लेकिन आगे नहीं गई है। इसका कारण न इन्जीनियर है और न मंत्री है। नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं उनकी जो खुशामद करता है,

(श्री मदनसिंह)

उनको पेमेन्ट कर सकता है, उनको रुपये दे सकता है उनको फौरन बिजली मिल जाती है। पहले आपने ऐसा भी नियम किया था कि दो हजार रुपये जमा करायेंगे तो तत्काल बिजली देंगे। मेरी तहसील के अन्दर भी इस तरह के कई व्यक्ति हैं जिन्होंने दो हजार रुपये एडवांस कर रखे हैं लेकिन उनको आज तक बिजली नहीं दी जा रही है। इसलिए जब तक हार्ड एण्ड फास्ट नियम न बनें या बड़े ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में घूम-घूमकर न देखें जब तक यह मिट नहीं सकता। सभापति महोदय, जितना भ्रष्टाचार बिजली विभाग में है मैं समझता हूं उतना किसी भी डिपार्टमेन्ट में नहीं है। आज दांता रामगढ़ के लिए पोल आते हैं और वे पोल चले जाते हैं लक्ष्मणगढ़ के लिए या फतेहपुर के लिये। यहां के लिए ऑर्डर किया हुआ है लेकिन जो राज्य कर्मचारी हैं वहां पर वे पोलिटिकल लीडर्स हैं कांग्रेस के सीकर के उनसे दबे हुए हैं या वहीं का मंत्री है या जहां से उनका केन्डीडेट जीता हुआ है उनकी जगहों पर वे चले जाते हैं। इसलिए पंचायत की रिपोर्ट या डिस्ट्रिक्ट लेवल की रिपोर्ट पर वह हो तो क्या वे अन्धे हैं। वे क्या अब सर्वे करते हैं। सर्वे तो सारे गांवों का मौजूद है। कहां-कहां गई हुई है बिजली यह सब को मालूम है। इसलिए अपनी तरफ से ही वे यह सब चीजें करते हैं।

सभापति महोदय, मैं सब से दर्दनाक चीज सुनाऊंगा। पहले काश्तकारों को यह पता नहीं था कि पंचायतों के मारफत दरख्वास्त देनी चाहिए। फूड के रहने वाले व्यक्तियों के लिए पोल आये थे लेकिन सीकर डिस्ट्रिक्ट के राज्य कर्मचारियों ने चार-चार वर्ष से पड़े हुए पोलों को वापस भेजा है, उन्होंने तार वापस भेजे हैं और उन किसानों से कह दिया है कि गलत दरख्वास्तें दी हैं। क्या किसानों को सपना आता था कि राजस्थान सरकार चार साल बाद दूसरा ऑर्डर कर देगी। पोल गाढ़ चुके हैं, तार लगा चुके हैं और अब जाकर यह ऑर्डर होता है कि यह गांव इस पंचायत में नहीं आता है इसलिए पोल वापस उखाड़े गये हैं। पोल उन गरीब लोगों के उखाड़े गये हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स को पैसा नहीं दे सकते थे। आज भी मैं बता सकता हूं कि रामगढ़ में जिन्होंने पैसा दिया है उनके पोल आज चार-चार वर्ष से उखाड़े नहीं गये हैं। जो गरीब हैं और पैसा नहीं दे सकते हैं उनके पोल उखाड़े गये हैं तीन-चार वर्ष पहले की सैंक्शन के। मंत्रियों के पास और इन्जीनियर्स के पास रिपोर्ट ले गये तो वे कहते हैं कि एक कागज लिख दिया है। यह निश्चित बात है जैसा कि मेरे प्रिवियस वक्ता ने कहा है कि आप मजबूर कर रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं को, आपके वर्कर्स को जो इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको पोलों से बांध दिया जाय। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। हमारा पैसा जाता है, अनाज खराब होता है, टाइम पर बिजली मिलती नहीं है। गेहूं की फसल पकने का टाइम आता है उस समय उसको पानी देना चाहिए लेकिन बिजली मिलती नहीं है टाइम पर। जिस गांव के लोग इन्जीनियर को पैसा देते हैं उनके यहां चार-चार घन्टे तक बिजली चलती है और जहां पर पैसा नहीं देते हैं उस गांव में नहीं चलती है। उनका कुछ ऐसा फ्यूज सिस्टम है। मैं टेक्निकल हैड नहीं हूं कि उसको जान सकूं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि दो-दो दिन तक गांवों में बिजली नहीं पहुंचती है और अनाज

(श्री मदनसिंह)
खराब हो जाता है और उसका हमें खमयाजा उठाना पड़ता है।

सभापति महोदय, जिस समय अकाल-राहत कार्य हो रहे थे उस समय लोगों को कुए खोदने के लिए बैंकों से पैसा दिया गया, बैंक से मशीन लेने के लिए पैसा दिया गया लेकिन वहां पर आज तक बिजली नहीं दी जाती है। यह अब कसूर किसका होगा ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नहीं होगा तो किस का होगा ? या तो उनको एनाउन्स कर देना चाहिए था कि गवर्नमेन्ट को ऐसा एलान नहीं करना चाहिये था, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, अच्छे कार्यकर्त्ता नहीं हैं, भ्रष्ट कार्यकर्त्ता हैं जो कि पूरी तैयारी से लोड उठा नहीं सकते। अगर ऐसा एलान कर देते हैं और अगर हमारे पैसे का पूरा उपयोग हो तो मैं समझता हूं कि पैसा सैन्क्शन करने में बुराई नहीं मानूंगा। आपके स्टेप ऐसे हैं, आपकी गतिविधियां ऐसी चल रही हैं। ईमानदारी इन्जीनियर महोदय में है और गवर्नमेंट की मन्शा है लेकिन वैसा काम होता है क्या गांवों में ?

गरीब हरिजन बस्तियों के लिए बिजली देने का एनाउन्समेन्ट किया जाता है और सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट से पैसा मिलता है लेकिन फिर भी दांता रामगढ़ के हरिजनों के मोहल्लों में बिजली नहीं लगाई जारही है। पोल उठकर सीकर चले गये। हरिजन बस्तियों के अन्दर बिजली लगाने के लिए पोलों के लिए पैसा जमा हो गया, गवर्नमेन्ट एनाउन्स कर देती है लेकिन पोल चले जा रहे हैं सीकर, क्योंकि वहां के मंत्री है, दूसरे अच्छे कार्यकर्त्ता हैं वे जाकर छाती पर चढ़ जाते हैं। अगर इस तरह से काम करेंगे तो छाती पर चढ़ने के तरीके जनता भी अपनायेगी।

श्री मोहनलाल मोदी : आप कमजोर थोड़े ही हैं। क्यों जाने देते हैं पोल ?

श्री मदनसिंह : यह ठीक नहीं है। रात में गाड़ी में उठाकर ले जाते हैं आपकी तरह।

श्री मोहनलाल मोदी : वे तो आपकी सलाह से उठते हैं।

श्री मदनसिंह : सलाह तो मोदीजी की होती है। चोर की दाढ़ी में तिनका। यह स्वप्न में भी नहीं हो सकता है कि दांता में आये हुए पोल मेरी सलाह से उठ जायें। आप देखें स्कूल भी उठा लेते।

श्री मोहनलाल मोदी : स्कूल उठाने की चीज थोड़े हो है, पढ़ने की चीज है।

श्री मदनसिंह : आपने कोशिश तो की थी कि नहीं खुले, लेकिन खुल गया। आप सी० एम० से पूछ लें कि किसने क्या किया था। ठीक है कि यदि आपने रखवाया है तो यह शोभा की बात है।

इसलिए, सभापति महोदय, वास्तविक चीज है कि इन्जीनियर पर छींटाकशी करने से कोई फायदा नहीं है। वाकई में खराबी क्या है जो खराबी है वह नीचे के स्तर पर है।

दूसरा मेरा आरोप है, अगर जांच करें मंत्री महोदय, तो। मैं पहले गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो उप-मंत्री हूं। मैं क्या कर सकता हूं। मेरे में क्या ताकत है। अब तो आप में ताकत है कम से कम २० दिन के लिए तो ताकत है, एक महीने के लिये ताकत है। इस ताकत से

(श्री मदनसिंह)

आप एक काम करें कि आप मेरे साथ सीकर चलें तो वहां पर इन सामानों की दुकानें लगी हुई हैं वहां से आप ये खरीद सकते हैं— पोल है, तार हैं और पोल की भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके नाम मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, जैसे फ्यूज हैं। इनकी दुकानें लोगों ने खोल रखी हैं, आपके आफिसरों के एजेन्टों ने। वहां पर पोल व तार बिक रहे हैं। उसकी हमने दरख्वास्तें दी हैं। उसकी एन्क्वायरी होती है तो बाहर जाकर उनको बुला कर एन्क्वायरी हो जाती है। कांग्रेस के लोग बीच में पड़कर छुड़ा देते हैं। अगर निष्पक्ष जांच करना हो तो हमारे पास भेज दें उनको १० दिन के लिए मुझे देदें तो दांता रामगढ़ के अन्दर वह करिश्मा बता दूंगा, वे चीजें बता दूंगा जो कि गवर्नमेन्ट की चीजें हैं वे उन्होंने लगा रखी हैं। वे मिट नहीं सकती हैं। एक ईमानदार आदमी पैसा खर्च करके बिजली लेना चाहता है लेकिन उसको नहीं मिलती है और दूसरे आदमी को कनेक्शन चला जाता है। आज हरिजनों को छोटे-छोटे उद्योगों के लिए बिजली देने के लिए दांता रामगढ़ की कितनी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। प्रायोरिटी होती है कांग्रेस के नेताओं को। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जैसे दिल्ली के अन्दर दो दिन का या ७ दिन का भिश्ती का राज्य हो गया था, और उसने सिक्के चलाये थे उसी तरह से आप भी अपना सिक्का चलायें। एक महीने के लिए आप मंत्री हैं तो जिस एरिया की दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं उनके लिए निष्पक्ष आफिसर भेजकर देखेंगे तो इसमें आपका नाम होगा और अगर राजस्थान का विद्युतिकरण होता है तो गवर्नमेन्ट का नाम होता है। इसलिए कम से कम रुपये का दुरुपयोग न हो और नीचे के स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ऊंचे के स्तर पर इस तरह की बात हो सकती है, अगर है तो गलत बात है।

(२ म. प.)

हम भी जांच करते हैं। यह भी तो है, भ्रष्टाचारी अफसर देखते हैं। ६-९ वर्ष से भयंकर काम हो रहा है। बिजलियां बन्द कर दी जाती हैं। वहां जाकर कहते हैं कि हमको भी बुलाओ तो होगा। तो यह चीजें हैं; इन को बन्द करना होगा। सभापति महोदय, वाटर वर्क्स की स्कीम हो जाती है। टोंटियां लग जाती हैं पर बिजली वहां आती नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए यह निश्चित बात है, रुपया सैंक्शन कराया। नीचे के जो लोग हैं, हरएक आदमी को पकड़ लेते हैं न जिसको बिजली का ज्ञान है, न स्विच का ज्ञान है। अन्धाधुन्ध दे देते हैं। रात को भी खम्भों पर चढ़ चढ़ कर बिजली कटआॅफ की जाती है। मैं भी अब मानने लगा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी).

इसमें गवर्नमेन्ट की बदनामी है। मैं मेरे इलाके के जो किसान हैं, अगर आप किसी अफसर को भेजें तो मैं बताऊंगा कि उनमें से किस किस की दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। आप महीने दो महीने में जब भी हो, राजस्थान के गरीब किसान और हरिजन हैं, उनको बिजली का लाभ दिलाइये।

श्री सभापति : श्री अमीलाल।

श्री रामचन्द्र आर्य : यहां तो सिर्फ सुखाड़िया जी की चलती है। उन्हीं की यह नौकरी करते हैं।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय विद्युत् मण्डल को दी जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विद्युत् पर जितनी धनराशि और स्वीकृत की जाये, उसमें ज्यादा से ज्यादा काम हो ऐसा प्रयत्न होना चाहिये क्योंकि विद्युत् गरीब किसान से लेकर एक इण्डस्ट्रियेलिस्ट तक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मेरे पूर्व-वक्ताओं ने काफी कहा है भ्रष्टाचार के बारे में, काम के बारे में कि क्या-क्या सुधार आने चाहिएं। अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं हाउस का ज्यादा समय न लेकर कुछ निवेदन करूंगा। वास्तव में राजस्थान प्रदेश का विद्युतिकरण होना चाहिए। हमारे अड़ोस-पड़ोस में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब है वह अपने सभी गांवों का विद्युतिकरण करना चाहते हैं। मैं खासतौर से बहरोड़ क्षेत्र से जहां से मैं आता हूं वहां की पड़ोसी रियासत के उधर के गांवों के लोग कहते हैं कि २६ जनवरी के बाद वहां कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां कि बिजली न हो। लेकिन हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ है। बिजली के लिए जो धन दिया जाये वह तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसका क्राइटरिया क्या फिक्स किया जाये। ये मुद्दे हैं। वास्तव में जहां पर पानी हो, कुएं हों, खेती वहां अच्छी हो, लैण्ड फर्टाइल हो, उस एरिया को अवश्य प्राथमिकता देनी चाहिए, यह ठीक है। वैसे प्राथमिकता देते हैं, लेकिन देश की उन्नति के लिये, किसान की तरक्की के लिये अधिक ध्यान देना चाहिये। जिस प्रकार फौज देश की रक्षा करती है, उसी प्रकार बिजली देश की प्रगति को ऊंचा उठाती है। गलती होने पर जैसे फौज के सिपाही को वहां का कमाण्डेण्ट सजा देता है उसी प्रकार बिजली विभाग के लोगों को भी सजा मिलनी चाहिये, यदि समय पर कोई ऑफिसर कनेक्शन देने में गड़बड़ी करे या और कोई गड़बड़ी करे तो उसे सजा मिलनी चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसको सजा देनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री अमीलाल यादव : मतलब यह है कि हम जो खर्च करें वह देश की पैदावार बढ़ावे। जो स्कीम है उसमें थोड़े से पैसे के लोभ से या किसी कारण से अगर उसको नहीं संभाला जाता है और यह सारा नुकसान होता है, नेशनल वेस्टेज होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको पनिशमेन्ट मिलना चाहिए। इसलिए जो करप्शन की बात कही है, जब तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता तब तक यह मात्र चर्चा के रूप में रहता है, और उसके ऊपर अमल नहीं होता है। यह तभी हो सकता है जब कि हम उसको नेशनल प्रॉब्लम मानकर चलें, तब तो यह हो सकता है। इसलिए करप्शन के बारे में आप कहें, वास्तव में करप्शन हरएक महकमे में है। इस महकमे का पब्लिक के साथ ज्यादा डीलिंग होता है, इसलिए अधिक नजर आता है और डायरेक्टली वे किसान को हिट करता है। इसीलिए वे भी कहते हैं। इससे सारे देश का नुकसान होता है। इसलिए इसके बारे में मेरा एक निवेदन है, सभापति महोदय, इसके अन्दर जो भी एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं या असिस्टेण्ट इन्जीनियर हैं, जो कार्यों को देखते हैं,

(श्री अमीलाल यादव)

उनकी अधिक जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये।

दूसरा प्वाइन्ट है, कनेक्शन देने का। प्रॉयोरिटी में गड़बड़ होती है। उसमें यह कायदा बना देना चाहिए कि जितनी एप्लीकेशन्स आती हैं, जितना लोड खींचा जा सकता है, उतनों को कनेक्शन देने की मंजूरी दे देनी चाहिए। एक गांव में हो या दूसरे गांव में हो। दूरी के हिसाब से एक मील या डेढ़ मील की दूरी हो। वेरीफाई करने की जो टैक्टिक्स है वह दूर हो जाएगी या एजेन्ट के जरिये से पैसा तय कर ले। इनको सब को एक साथ तय कर लेना चाहिए। जहां तक वहां की कण्डीशन का प्रश्न है, वहां जाकर उन्हें देखना चाहिये कि जो रिपोर्ट की गई है, वह सही है या गलत है, और भी कोई कमी है तो उसे दूर कर देना चाहिए अन्यथा काम में देरी होती है।

तीसरी बात है, जो बड़ी अजीब बात है। यह बात सही है कि जो पैसा दे देता है उसका काम जल्दी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा एक तरीका और निकाल रखा है कि जो पोल और मेटीरियल होता है वह हैडक्वार्टर से काश्तकार उठा कर कनेक्शन के स्थान पर लाये तो ही कुए का कनेक्शन लगेगा, गांवों में कनेक्शन लगेगा, वरना नहीं लगेगा। यह कहीं भी कायदा नहीं है, रूल्स में यह कहीं नहीं है कि गांव वाले या काश्तकार हैडक्वार्टर से पोल्स या मेटिरियल उठा कर अपने गांव या कुए पर लायें और फिर उसके बाद में विद्युत् का काम या कनेक्शन का काम शुरू हो। उदाहरण के रूप में बताऊं कि इसी कारण भवराडिया, बहरोड, भोजा इन गांवों का विद्युतिकरण नहीं हुआ यह कहा गया कि मेटीरियल और खम्भे गांव वाले उठा कर लायेंगे। जो भी दो, तीन, चार कुएं वाले कनेक्शन चाहते हैं वे अपनी गाड़ी में या ट्रक में या किराये की गाड़ी में खम्भे और मेटिरियल लाकर उस स्थान पर डाल देंगे जहां कनेक्शन चाहते हैं तो उनको कनेक्शन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मेरी ओपिनियन में ऐसा कोई कायदा नहीं है कि वे कहें कि इस प्रकार मेटिरियल लाने पर ही कनेक्शन मिलेगा। मेरा निवेदन है कि यह तो डिपार्टमेंट के पास अपने ट्रक होते हैं उनके द्वारा मेटिरियल लाना और डालना उनका कर्त्तव्य होता है। यही कारण है कि काम में देरी होती है। यह बात सही है कि दो, तीन, चार कनेक्शन लगाने में जो खर्च होता है वह पैसा काश्तकार के द्वारा देने का जरूर प्रावधान है, लेकिन यह प्रावधान नहीं है कि ट्रक या गाड़ी में मेटीरियल लाकर खुद काश्तकार डाले। यह छोटी छोटी बातें हैं, जिनके सम्बन्ध में थोड़ा ध्यान देकर इंजीनियर, असिस्टेन्ट इंजीनियर या जो आथोरिटीज हैं वे समय-समय पर गाइड करें तो जो चर्चा चलती है इसके सम्बन्ध में वे चर्चायें बन्द हो जायेंगी और जो गरीब काश्तकारों को बिना किसी बात के तकलीफ होती है वह भी दूर हो जायगी। यह प्रशासन से सम्बन्धित बात है इसलिए इस सम्बन्ध में आपको सतर्क रहना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि भाखरा के आसपास....

श्री श्रवणलाल : क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि जिस प्रकार माननीय सदस्य ने....

श्री अमीलाल यादव : जो छोटे-छोटे गांव हैं....

Page No 72

श्री श्रवणलाल : छोटे-छोटे किसानों से पैसा खाया है और पैसा खाकर यहां बैठे हैं, उसी तरह वे भी खाकर बैठे रहें।

श्री अमीलाल यादव : मैं यह समझता हूं कि गांवों से जो भी यहां पर आये हुए महानुभाव हैं वे सभी किसानों से पैसा खाकर नहीं आते हैं, किसानों को कुछ न कुछ फायदा पहुँचाने के लिए वे यहां आते हैं इसलिए जो मेरे दोस्त कहते हैं, यह खाने-पीने की बात सदस्यगणों में होगी तो फिर दूसरों को, मशीनरी को, क्या कहेंगे ?

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी तरह जनता को धोखा नहीं देते हैं।

श्री अमीलाल यादव : यह बात गलत है।

श्री श्रवणलाल : यह कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने पैसा खाया वैसे ही इंजीनियर करें। आप यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह छोटे छोटे किसानों से पैसा आपने खाया है वैसे ही वे राज्य सरकार का पैसा खायें।

श्री अमीलाल यादव : मेरा निवेदन यह है कि बोर्डर एरिया के जो गांव हैं, उन सभी गांवों के पास भाखरा की बिजली आई हुई है। जैसा कि बोर्ड ने डिसिजन भी लिया था कि बोर्डर के पास जितने पॉवर स्टेशन हैं, जैसे पाली में है और मलेडा, भरनोल में है, तो जो राजस्थान के लिए कोटा रिजर्व है तो कम से कम उस कोटे से, रिजर्व कोटे से जो एडजेसेन्ट विलेजेज हैं उनको बिजली जल्दी से जल्दी दिलवाने की व्यवस्था करवाई जाय तो काफी गांव जो आसपास के हैं उन गांवों में विद्युतिकरण बहुत सुन्दर ढंग से हो सकता है।

एक दूसरी जो स्कीम है जो आपने करतारपुरा बहरोड़ से जोड़ने वाली ३३ के०वी० लाइन की स्वीकृति दी है, वह दो साल से इस बात के लिए पड़ी हुई है कि ठेकेदार साहब ने काम शुरू नहीं किया है। इसमें सरकार का दोष नहीं है, सरकार के द्वारा धन स्वीकृत हो गया है, सैंक्शन हो गई है, सारी बातें हो गई हैं, लेकिन काम इस कारण से रुका पड़ा हुआ है कि ठेकेदार इस प्रकार का मिल गया या वहां पर काम करने वाले आफिसर ऐसे हैं जो दो साल से खम्भे रोपने में देरी कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में जो बिजली का महकमा है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसको इसी प्रकार से काम करना चाहिए जिस प्रकार से फौज के अन्दर, फौजी तरीके से, डिसिप्लीन से देश की रक्षा के लिए काम किया जाता है। इस प्रकार से इसमें सतर्कता के साथ में काम करना चाहिए।

तीसरा पाइन्ट जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि अभी एक लाइन से जयपुर को दिल्ली से मिलाया जा रहा है। उसमें अलवर बीच में पड़ता है, अलवर बीच में पड़ता है तो वहां पॉवर स्टेशन बनाना चाहिए, और इस प्रकार की दूसरी जो लाइनें है, उनके साथ अलवर को जोड़ने से, जो अलवर सब तरह से पिछड़ा हुआ है, जहां पर किसी प्रकार की न तो कोई बड़ी नहर है, न बड़ा बांध है और न वहां पर कोई नहर जाने की सम्भावना हैं, इसलिए वहां के किसानों की तरक्की किसी तरह से हो सकती हैं तो वह केवल बिजली से हो सकती है। वैसे वहां का पानी बहुत अच्छा है पूरे जिले का, वहां की जमीन फर्टाइल है, इसलिए कम से कम जिलावाइज इस

(श्री अमीलाल यादव)

प्रकार से सम्पूर्ण रूप से काम किया जाता है, और एक जगह इस प्रकार सम्पूर्ण काम हो जाता है तो फिर दूसरे जिले को लिया जाय। इस प्रकार एक जिले को पूर्ण रूप से सही तरीके से बिजली दे दी जाती है तो वह तीन, चार, पांच जिलों को, जहां पर अकाल की स्थिति रहती है, खाद्यान्न दे सकता है। इसलिए कम से कम जहां पर काम शुरू किया जाय वहां पर वह जरूर पूरा करना चाहिए—यह भी आपको क्राइटेरिया रखना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कार्य और धनराशि स्वीकृत की जाती है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि जो भी कार्य स्वीकृत किये जायं उनके एक्जीक्यूशन में डिले नहीं होनी चाहिये। एक्जीक्यूशन के अन्दर डिले होती है उसमें और कोई बात नहीं है, केवल प्रशासन जो देरी करता है, उस देरी के कारण ही करप्शन होता है, देरी ही इस करप्शन का कारण बनता है। इसलिये प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाय तो रोज-रोज की जो प्रॉब्लम है करप्शन-करप्शन की वह दूर हो सकती है और जनता का भला हो सकता है। अन्त में मेरा यही निवेदन है कि जो भी काम किये जायं, उनमें जो भी दोषी हों उनके खिलाफ ड्रास्टिक एक्शन लिया जाय ताकि किसानों का भला हो सके।

श्री रामचन्द्र आर्य : दलबदलुओं का ही दोष है, वे ही गन्दगी राजस्थान में फैला रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : बिहत्तर छेद की छलनी दोष लगाने चल रही है।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बान्सूर) : सभापति महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि बहुत अर्से के बाद....

एक माननीय सदस्य : अब मिल जानी चाहिये बिजली।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विधान सभा में हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाने का कानून बना उस समय भारत सरकार के अन्दर नन्दाजी इस डिपार्टमेन्ट के मिनिस्टर थे। उन्होंने सन् १९५५ में सारे भारतवर्ष के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर्स की एक कान्फ्रेन्स बुलाई। उसमें इस बात की चर्चा की कि सब जगह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनने चाहियें और इसको उन्होंने ठीक तरह से काम करने के लिये, एफिशियेन्टली काम करने के लिये बहुत जरूरी बतलाया। उस कान्फ्रेन्स में, क्योंकि मैं उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट का मिनिस्टर था, मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय सभी स्टेट गवर्नमेन्ट के मिनिस्टर्स ने इस बात को अपोज किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस तरह बनाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसके बाद भी क्योंकि नन्दाजी ने प्रेस किया इसलिये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बन गये। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने अर्से के बाद भी, जब कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सब जगह बना दिये गये हैं, जिस प्रकार की आशा उस समय करते थे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनने के बाद में एफीशियेन्टली और अच्छी तरह से काम होगा, वह नहीं हो सका है। उस समय हम लोगों ने, जो इस

Page No 74

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

डिपार्टमेन्ट के मिनिस्टर थे और दिल्ली कान्फ्रेन्स में गये थे, नन्दाजी के सामने यह बात कही थी, वही बात आज विद्यमान है। बड़े अफसोस के साथ मुझे यह बात कहनी पड़ती है। इसका मूल कारण मेरी समझ में आता है वह यह है कि यहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बन गया। इसमें सीनियर मेम्बर रखे गये लेकिन राजस्थान की सरकार अब भी इस बोर्ड के काम में पोलिटिकल तरीके से काम करती है और इन्डिपेन्डेन्टली इनको काम नहीं करने दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बन गया है और उसमें सीनियर मेम्बर हैं, और उसमें सब तरह के तजुर्बेकार और सब तरह के नुमाइन्दे मौजूद हैं तो उनको इन्डिपेन्डेन्टली काम करने का अख्तियार होना चाहिये, और उसमें गवर्नमेन्ट की तरफ से किसी तरह का इन्टरफियरेन्स नहीं होना चाहिये। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि जयपुर के अन्दर कोई आन्दोलन करना चाहते हैं या किसी तरह की बात होती है और वह चीफ मिनिस्टर को एप्रोच करते हैं तो मुख्य मन्त्री उनको सन्तोष दिलाने के लिए कह देते हैं कि इस जिले के लिये दो करोड़ रुपये देता हूं, तुम्हारे यहां यह खर्च किया जायगा। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है कि जयपुर को दो करोड़, तीन करोड़ रुपये क्यों दे दिये। लेकिन जब बोर्ड बना हुआ है और उसमें सीनियर मेम्बर बैठे है तो वे अपना खुद का टार्गेट फिक्स अप करके क्यों काम नहीं करते हैं। गवर्नमेन्ट की ओर से इनाम के तौर पर, आन्दोलन को दबाने के लिए, सन्तोष दिलाने के लिए या पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए कार्यवाही की जाय, यह उचित नहीं है, यह उनके काम में इन्टरफियरेन्स है। मै निवेदन करूंगा कि इसमें सरकार का इन्टरफियरेन्स नहीं होना चाहिये।

मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपना प्रोग्राम तय करके काम करें। जिस प्रकार हरियाणा ने किया है कि १९ तारीख के पहले हरियाणा के प्रत्येक गांव को वह इलेक्ट्रिफाई करना चाहते हैं। हम भी कोई डेट तय कर दें कि इन गांवों को बिजली दी जानी है या दी जाने वाली है, क्योंकि यह पता नहीं लगता है कि कब बिजली दी जाने वाली है। इसलिए प्रोग्राम तय करके यह बता देना चाहिये कि हम इन इन गांवों को इस टाइम तक इलेक्ट्रिफाई कर देंगे चाहे कितने ही फाइनेन्सेज हों, कितनी ही दिक्कतें हों। हरियाणा वालों के सामने भी दिक्कतें होंगी लेकिन वहां की सरकार ने इसको टॉप प्रॉयोरिटी देकर प्रत्येक गांव को इलेक्ट्रिफाई किया। लेकिन राजस्थान में इस प्रकार का कोई नक्शा नहीं है। मेरे इलाके में भी बिजली गई हुई है। लाइन जा रही है, बीच में गांव पड़ते हैं, उनको इलेक्ट्रिफाई करने के लिये कई बार पंचायत समितियों और गांव वालों ने कहा, सदन में भी यह बात सामने आई, मुख्य मन्त्री ने भी कहा है लेकिन यहां तो पोलिटिकल बात चलती है जहां राजनैतिक प्रेशर होता है वहां इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। वे गांव मौजूद हैं जिनमें बिजली न देकर हमारे अलवर जिले के बाहर कोटपूतली में लाइन डाली गई है, लेकिन जहां से बिजली होकर गई है, वहां के रहने वालों को अभी तक बिजली नहीं दी गई है, इतने साल हो गये।

(२.२१ मं० प०)

(श्री रामनारायण चोधरी, सभापति, पदासीन)

क्राइटेरिया क्या है ? अभी अमीलालजी कह रहे थे कि कई गांव हरियाणा के

Page No 75

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अलवर से लगे हुए हैं जैसे तीन तहसीलें लगती हैं: तिजारा, किशनगढ़ और बहरोड़। सभी हरियाणा के साथ लगी हुई हैं। हरियाणा के हरेक गांव में बिजली गई हुई है। वहां के लोग कहते हैं कि राजस्थान कितना बेकवर्ड है हम सबको बिजली मिली हुई है और हमारे गांवों के ऊपर से लाइन जा रही है फिर भी राजस्थान में बिजली नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड व सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कम से कम राजस्थान को शान बताने के लिए, हैसियत बताने के लिए, इतना खयाल रखें कि जिन गांवों के ऊपर से लाइन गई है वहां बिजली दें। बिजली मौजूद है लेकिन उसका पॉवर वितरण न होने से वह सप्लाई नहीं की जा रही है। यह ज्यादा दुःख की बात है, बिजली न होती तो दूसरी बात थी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस बात का क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। पॉवर हरेक डिस्ट्रिक्ट चाहता है, हरेक आदमी चाहता है और यह सही है कि बिना पॉवर के किसी देश की तरक्की नहीं हो सकती। पॉवर सप्लाई करने में सबसे ज्यादा फायदा उत्पादन बढ़ाने में होता है। इस बात का खयाल रखना चाहिए और जैसे घनी आबादी वाले एरियाज हैं वहां रोजगार के धंधे नहीं हैं, पानी आसानी से मिल सकता है, खेती की पैदावार हो सकती है, वहां आप बिजली न देकर न मालूम कहां कहां देते हैं। तो क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़े, ज्यादा पैदावार हो। जो दिन-रात देखते हैं कि हमसे जो मिले हुए गांव हैं हरियाणा में, एक फर्लांग का फर्क नहीं है, वे समझते हैं कि उनकी कोई नहीं सुनता है। इसलिए क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चाहिए कि प्रोग्राम बना लिया जाय और हमें बताया जाय कि कितने समय में राजस्थान में कितने गांवों में बिजली मिलेगी।

राजस्थान एक बेकवर्ड स्टेट है। उसको प्रोग्रेसिव बनाने का या इकोनॉमी की तरक्की देने का सिवाय बिजली के और कोई उपाय नहीं है। इसलिए बिजली दें ताकि खेती की पैदावार बढ़े और नए उद्योग-धन्धे स्थापित हो सकें। इस विभाग में जो गड़बड़ियां हैं उस तरह की बहुत से अन्य विभागों में भी हैं, इस बारे में सरकार के सामने कहना बेकार है। ये सब बातें रेग्यूलराइज हो जाती हैं। सरकार के सामने शिकायत करने से कुछ नहीं होता है। इसको नहीं मिटाया जा सकता। थोड़े दिन पहले डागा साहब भी शिकायत कर रहे थे, नीचे के इंजीनियरों के बारे में। मैं यह निवेदन करूं कि यह शान-शौकत की बात है नीचे के अफसरों की। लेकिन मंत्रिमंडल में बैठकर कितने आदमी हैं जो इस बात को महसूस करते हैं। मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार मैं पालियामेंट में एक स्पेशल कमेटी का सदस्य होकर गया और राजस्थान के बहुत से मंत्री वहां मौजूद थे। सभापतिजी, आप भी उस कमेटी के सदस्य थे। राजस्थान का एक मंत्री भी वहां गया और उनके साथ एक सरकारी आदमी और नौकर भी गया वह मंत्रीजी के जूते खोल रहा था और बांध रहा था। यह पालियामेंट एन्क्वायरी ऑफिस की बात है, बहुत से विधायकों ने देखा कि यह सरकारी आदमी है, मंत्री के साथ है और फिर भी शान शौकत के साथ कहते हैं कि वे गांधीजी के चेले हैं।

एक माननीय सदस्य : वह मंत्री कौन था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चेयरमेन साहब जानते हैं, वह भी पार्लियामेंट में मोजूद थे। कांग्रेस के बहुत से सदस्य मौजूद थे। हम सब लोगों का लज्जा से सर झुक गया। राजाओं के शान की बात हो रही थी, यह कहा जा रहा था कि प्रिवीपर्सेज खत्म किए जायं, वहां राजस्थान का एक मंत्री अपने साथ चपरासी को इसलिए ले गया कि वह मंत्रीजी के जूते खोलने व बांधने का काम करे। डागा साहब कह रहे थे कि मिनिस्टर साहब जो इस तरह की बातें करते हैं और छोटे-छोटे अधिकारियों पर अपना रोब जमाते हैं, वह बरदाश्त करने वाले नहीं हैं। डागा साहब आपने बरदाश्त किया है, आप करेंगे और आपसे कुछ नहीं हो सकता। आप मशीन के पुर्जे बन चुके हैं, आपकी शक्ति खत्म हो गई है। आप में वह शक्ति नहीं है कि बरदाश्त कर सकें। आपकी सेवा की भावना खत्म हो गई।

यह सही है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में करप्शन है लेकिन कौनसा ऐसा विभाग है....(श्री मोहनलाल मोदी के खड़े होने पर) आप डिप्टी मिनिस्टर बनने को उत्सुक हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं डिप्टी मिनिस्टर बनने के लिए उम्मीदवार नहीं हूं लेकिन जब आप मानकर चलते हैं कि इसमें करप्शन है तो पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने क्या किया ? आप करप्शन में नहीं रहे हैं, आप सहयोग दे रहे हैं ..

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप कहिये ना अपनी पार्टी के साथ....

श्री मोहनलाल मोदी : जूते के धागे खुलवाए तो क्या कर दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप गांधीजी का नाम लेते हैं, यदि पानी की टंकी में पानी गंदा है तो नल का क्या दोष ? यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जनता का विभाग है, देश की इकोनॉमी के साथ इसका ताल्लुक है, राजस्थान के पिछड़ेपन से ताल्लुक है इसलिए मैंने कुछ बातें रखी हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस बात की कोशिश करे कि ईमानदारी के साथ जिस तरह का क्राइटेरिया हो उसके अनुसार कार्य करे तो इसके अंदर सबके फायदे की बात है। राजस्थान में नयी बिजली आने वाली है। यह सबसे अच्छी बात है।

श्री हीराभाई : उन मंत्रीजी का नाम बताया जाय।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी !

श्री हीराभाई : गांधीजी की दुहाई देने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि अपने जूतों का इस प्रकार सफाई कराने वालों का नाम तो आ जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : सभापति महोदय, मनुष्य को जिन्दा रखने के लिये अनाज, वायु और पानी इन तीनों की आवश्यकता रहती है। अनाज और पानी के लिये बिजली की भी बड़ी आवश्यकता रहती है। वह अन्न की पैदावार और पानी के काम को पूरा करती है। बिजली

Page No 77

(श्री मोहनलाल मोदी)

की राजस्थान में आज इतनी आवश्यकता है कि इसका सही रूप से उपयोग किया जाय तो राजस्थान की तरक्की हो सकती है और राजस्थान जो पिछड़ा हुआ कहलाता है वह आगे बढ़ सकता है। हम विदेशों से अन्न मंगाते हैं, विदेशी मुद्रा खर्च करते है। करोड़ों और अरबों रुपया खर्च होता है। सबसे ज्यादा कमी इस विद्युत् विभाग की है। मैं यह मान कर चलता हूं।

इस विभाग का क्या तरीका है समझ में नहीं आता है। बीस-बीस माइल तक लाइन बिजली की चली जाती है लेकिन वहां एक भी कनेक्शन लेने वाला नहीं है और जहां एक-एक दो-दो माइल पर सैंकड़ों कनेक्शन्स लेने वाले हैं, वहां लाइन नहीं है। करोड़ों रुपया इस विभाग पर खर्च करते हैं, इनका यह क्या तरीका है? कोई पूछने वाला भी नहीं है। इतना खर्च कर दिया लेकिन एक कनेक्शन बीस-बीस माइल में लेने वाला नहीं है, फिर लाइन क्यों ले जाई गई है?

मैं आप से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बात आ रही है। यह सही है, और यह मानना पड़ेगा कि विद्युत् विभाग में इतना करप्शन है कि उसको रोकने में बोर्ड असमर्थ है। मंत्री महोदय के आदेश को कोई मानने को तैयार नहीं। मैंने एक शिकायत लिख कर दी थी। गांवड़ी विलेज विद्युतिकरण में नहीं है वहां दो-दो हजार रुपया लेकर चार कुओं को बिजली दे दी गयी जबकि जो विद्युतिकरण में गांव थे उनको नहीं दी। डाइरेक्टर विजिलेन्स चेयरमैन महोदय के पास बैठे हुए थे उनके सामने यह बात आयी, लेकिन डाइरेक्टर विजिलेन्स ने आज तक कुछ नहीं किया। क्या डाइरेक्टर विजिलेन्स इसीलिये रखे गये हैं कि करप्शन की शिकायत आये और वे कोई एक्शन न लें? दो महीने हो गये उस बात को। इससे ज्यादा रिश्वतखोरी की और क्या बात हो सकती है? डाइरेक्टर विजिलेन्स जांच भी न करे। उनको पर्सनली कहा गया इससे अधिक और घोर अन्धेर की बात क्या हो सकती है? यदि विद्युत् विभाग में अच्छी तरह से ईमानदारी से काम हो तो बहुत अन्न पैदा हो सकता है, काफी वस्तुयें पैदा हो सकती हैं।

नीम के थाने में २१ गांवों का ऐसा ब्लॉक है, जहां पर काफी अच्छी जमीन है और इतना पानी है कुओं के अन्दर कि हो इन्जिन भी लगा दें तो पानी टूट नहीं सकता है। इतनी अच्छी जमीन है और इतनी मात्रा में पानी व काफी कुए होते हुए भी आज आठ साल हो गये कहते हुए, लेकिन बिजली पहुँचाने की व्यवस्था नहीं की। क्या कभी आपने सोचा है, और एक गांव में भी बिजली दी है? यदि २१ गांवों को बिजली दे दी जाय तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान भर के लिये हम अनाज दे सकते हैं। जो हम कहते हैं उसको विद्युत् विभाग वाले सुनते नहीं। उनके कानों में मेल भर गया है जो निकलता नहीं है। मेरे क्षेत्र नीम के थाने के पास दो-दो मील पर झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट में बिजली है। ऊपर चले जाइये हरियाणा के एक एक गांव में बिजली है। कोटपूतली में चले जाइये और शाहपुरा में चले जाइये, वहां पर बिजली है। लेकिन पता नहीं उस क्षेत्र को क्यों छोड़ दिया गया, बावजूद कोशिश करने के? क्या उन गांवों को बिजली देने से अनाज पैदा नहीं होगा? पानी नहीं आवेगा? क्या कारण है? एक लम्बी लाइन चीफ व्हिप कांग्रेस पार्टी

(श्री मोहनलाल मोदी)

के क्षेत्र में खींची है। बीस-तीस लाख का खर्चा करके बीस-बीस माइल लाइन खींच कर ले गये लेकिन एक गांव को भी इधर बिजली नहीं दी; कुओं में कनेक्शन्स नहीं दिये। एक तरफ चीफ मिनिस्टर, हरियाणा यह कहते हैं कि एक-एक गांव को बिजली दे दी जायगी और दूसरी तरफ आपकी यह दुर्दशा है! कई बार कहा कि रुपयों की कमी नहीं है। पचास प्रतिशत तक लोग कर्जा दे सकते हैं। आप गांवों में बिजली तो दीजिये। मेरे क्षेत्र में घूंधोली गांव है वहां तीन साल से ट्रान्सफार्मर रखा हुवा है लेकिन एक कनेक्शन भी नहीं दिया गया है। क्यों लगायी लाइन जबकि एक कुएं को भी बिजली नहीं देते हैं? दस काश्तकारों ने तीन-तीन हजार रुपये जमा करा रखे हैं।

प्रॉयोरिटी का भी अजीब तरीका है। पहले जिनकी प्रॉयोरिटी है वे तीन-तीन साल से चिल्ला रहे हैं, जिनका रुपया जमा है फिर भी उनको बिजली नहीं दी; लेकिन जिनको छः महीने दरख्वास्त दिये हुए नहीं हुए उनको बिजली मिल गयी। पहले उन गांवों को बिजली देनी चाहिये जो कि पुराने हैं और काफी समय से रकम जिनकी जमा है। एक-एक मील के एरिया में आपने बिजली पहुंचाने की योजना बनाई है, इसका मतलब तो यह है कि आप धनवानों को अधिक धनवान बनाना चाहते हैं। इसलिये प्रॉयोरिटी सिस्टम को चेन्ज करना पड़ेगा। जो अधिकारी करप्ट हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा।

मैंने एस० ई० एन० का उदाहरण दिया। उसकी ओर ध्यान दें। मैं यह बात विधान सभा में भी लाने के लिये तैयार हूं यदि उसको साबित न कर सकूं तो आप चाहो जो सजा दो द। महीने हो गये विजिलेन्स कमिश्नर क्यों नहीं उसकी जांच करता है? फिर उसको क्या जरूरत है?

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा के सारे गांवों में बिजली देने के लिये टाइम मुकर्रर किया गया है। क्या आप भी टाइम मुकर्रर कर सकते हैं? दो, चार, दस बीस वर्ष में तो बिजली दे सकते हैं? कोई गांव आप राजस्थान का बाकी नहीं छोड़ेंगे जहां कि बिजली न पहुंची हो। राजस्थान किस प्रकार आगे बढ़ेगा यदि आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है तो? एक तरफ यहां पानी की समस्या है, पीने को पानी नहीं मिलता, करोड़ों रुपया अकाल पर खर्च कर देते हैं। दूसरी तरफ अन्न बढ़ाने की बात आती है तो उस ओर ध्यान नहीं देते हैं।

मैं आपको दोराला (तहसील श्री माधोपुर) गांव की बात कहता हूं। वहां पर ९ वर्षों में ९ कुओं को बिजली दी गयी जब कि वहां पर दो सौ कुए हैं। चार मील के एरिया में दो सौ कुए हैं। लेकिन ९ वर्ष में ९ कुओं को बिजली दी है। करोड़ों रुपया आप खर्च करके कहां ले जाना चाहते हैं इस राजस्थान को? तीन-तीन हजार रुपया बीस किसानों ने कन्ट्रीब्यूट्री स्कीम में जमा कराये हैं फिर भी उनको बिजली नहीं मिलती। आखिर हम किसानों को जाकर क्या कहेंगे? किसानों से हम वायदा करते हैं, विधान सभा में जब चुनकर आ जाते हैं उसके बाद किसानों की तकलीफ की ओर ध्यान भी नहीं देते। आज उनको न बिजली की सुविधा है और न सड़कों की सुविधा है। सड़क और बिजली के नाम से बिल्कुल सफाया है।

(श्री मोहनलाल मोदी)

सभापति महोदय, मेरा जो एरिया है वह हरियाणा से लगता हुआ है। उस एरिया के लोग जब हरियाणा के गांवों में बिजली देखते हैं तो यह महसूस करते हैं कि हम भी हरियाणा में होते तो ज्यादा अच्छा रहता। इस तरह से क्या हम उन लोगों का मनोबल बढ़ायेंगे ? माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इस बिजली की जो स्कीम एक-एक दो-दो मील की बना रखी है उस पर आप फिर से विचार करें।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि आप के बड़े-बड़े अधिकारी गांवों में जायें और पब्लिक की मीटिंग करके उनसे पूछें कि उनको बिजली विभाग के कर्मचारियों से क्या-क्या तकलीफें हैं, कितना आपके विभाग में भ्रष्टाचार है ? दस-दस साल से लोगों के पैसे रिफण्ड के लिये पड़े हुए हैं। किसी का पैसा किसी की गलती से रिफण्ड कर दिया गया है। कन्जूमर का ख्याल नहीं। आपके बड़े अधिकारी गांवों में जायें, मीटिंग करें उनसे सुनें कि आपके विभाग के खिलाफ उनको किस-किस प्रकार की शिकायतें हैं।

सभापति महोदय, सरकार का विद्युत मंडल पर पूरा कन्ट्रोल होना चाहिये। इसमें जो गलत लोग भर गये हैं उनको निकालिये। जो काम करने वाले हैं उनको तरक्की दीजिये। आपके विभाग में डिप्लोमा और डिग्री होल्डर में कोई भेदभाव नहीं है। डिप्लोमा होल्डर को प्रोमोशन मिल जाता है, डिग्री होल्डर को नहीं मिलता। अच्छा काम करने वाले को प्रोत्साहन दें। विद्युत बोर्ड की इन्कम बढ़े इस तरह कि कार्य करिये। इससे राजस्थान की उन्नति होगी, राजस्थान की उन्नति के साथ-साथ हिन्दुस्तान की भी उन्नति होगी। इतना ही मुझे इस बारे में निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सभापति महोदय, अब तक जिन माननीय सदस्यों ने इस बारे में विचार प्रगट किये उन सब ने यह कहा कि बोर्ड का चेयरमैन दूसरा होना चाहिये लेकिन किसी ने भी नाम सजेस्ट नहीं किया। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं, कि हम सारे सदन के सदस्यों को मिल कर मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया से निवेदन करना चाहिये कि आपको मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए १७ साल हो गये हम लोग आपसे तंग आ गये हैं, इसलिये आप इस पद को छोड़ दीजिये। विद्युत विभाग को संभाल कर इसके चेयरमैन बन जाइये। इसका कारण यह है कि जब आप पहले मिनिस्टर नहीं थे बिजली की एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे, दो ढाई रुपया रोज कमा लेते थे। आज उस बिजली की दुकान से बढ़ते-बढ़ते चीफ मिनिस्टर हो गये और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति इकट्ठी कर ली। इसी तरह से विद्युत मंडल का चेयरमैन रहते हुए आप इसकी आमदनी करोड़ों रुपया कर सकते हैं। इसी वजह से मैं इनका नाम सजेस्ट करता हूं।

एक माननीय सदस्य : आपने कभी चलाई है बिजली की दुकान ?

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, हम सभी लोग भ्रष्टाचार के बारे में केवल अधिकारियों को ही दोष देते रहते हैं। वे यहां आकर बोल नहीं सकते इसलिये सारा दोष उन्हीं पर डाल दिया जाता है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि

(श्री विजयसिंह)

मैं पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज कमेटी का मेम्बर रहा हूं इसलिये मुझे अच्छी तरह से याद है, अधिकारी कुछ नहीं कर सकते उसके लिये खास दोष तो उधर बैठने वालों का है जो मंत्रियों पर कन्ट्रोल नहीं रखते। मंत्री लोग अपने विभागों में नोज पोक किया करते हैं यह कहूं तो कोई बेजा बात नहीं होगी।

एक दफा जब पंचायत चुनावों की चर्चा चल गई थी उस समय हमारे भीखाभाई उदयपुर पधार रहे थे। वे और हम एक ही हवाई जहाज में जा रहे थे। उनके साथ में श्री खुराना साहब को ले गये। उनसे पूछा गया इनको आप किस लिये ले जा रहे हो तो वे कहने लगे कि उनको वह एरिया बताना है जहां बिजली लगानी है, इसलिये खुराना साहब को ले जा रहा हूं। हमारे पास मकराना में एयरोड्राम कहां जो उनको ले जावें और उनकी खातिरदारी करें। मंत्री लोग उनको उठा उठाकर लेजाते हैं और अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में काम करवा लेते हैं। बेचारे अधिकारी क्या करें? अगर वे कुछ करना भी चाहते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। बेईमानी तो दूसरे लोग करते हैं और आरोप उन पर लगा दिया जाता है। यह सब मंत्रियों के इशारों पर होता है।

सभापति महोदय, थोड़े दिन पहले मैंने एक कमेटी के साथ टूर किया था हरियाणा का। वहां पर हरियाणा के मुख्य मंत्री भी हमसे मिले थे उन्होंने कहा कि हम हरियाणा का इस प्रकार से विद्युतिकरण करने जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि राजस्थान के मुकाबले हरियाणा क्या है? राजस्थान के सामने यह हरियाणा कुछ भी नहीं है। आप एक छोटे से हरियाणा का विद्युतिकरण कर लेंगे तो क्या बड़ी बात है। इस तरह से राजस्थान का विद्युतिकरण करना आसान नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : सारा विद्युतिकरण हो जायगा तो आपका पत्ता साफ हो जायगा।

श्री विजयसिंह : यह कोशिश तो करें।

श्री मोहनलाल मोदी : म्युनिसिपल चुनावों ने यह बता दिया है। सारे राजस्थान का विद्युतिकरण हो जायगा तो आपकी जो रही सही स्थिति है वह भी साफ हो जायगी।

श्री विजयसिंह : इलेक्शन के समय सभी आश्वासन दे जाते हैं। जब इलेक्शन जीत लेते हैं उसके बाद न जाने किस दड़बे में घुस जाते है उसका पता ही नहीं चलता। मैं उदाहरण की तौर पर बता देना चाहता हूं सन् ६७ के जब चुनाव हो रहे थे मेरे क्षेत्र में अरनीसर गांव में खम्भे लगा दिये गये और उस पर गांव वालों को कहा गया कि अब तो बिजली आने वाली है। लेकिन गांव वालों ने जब देखा बिजली नहीं आयी तो वे भी गालियां देने लगे। केवल खम्भा वहां लगा दिया गया। बिजली क्या जमीन से पैदा होगी? लेकिन इतना कौन जाने लोगों को भ्रम में डालने के लिये वहां एक खम्भा गाड़ दिया गया। इसी तरह से बोरावड़ से रतनपुर तक लाइन खींच दी गई बिजली की लेकिन उसके बीच में जो गांव पड़ते हैं उनमें और इस लाइन में बिजली का करेण्ट नहीं छोड़ा गया। इस प्रकार को जो आपकी नीति है वह जनता को

(श्री विजय सिंह)
गुमराह करने वाली है, आप इसको बदलिये। मकराना के आसपास २०० कुए ऐसे हैं जिनको बिजली मिलनी चाहिये। यदि वहां बिजली मिल जाय तो कुओं से अच्छी सिंचाई हो सकती है, लेकिन आप किसानों को बिजली नहीं देंगे। आप साहू-जैन की सीमेण्ट फेक्टरी तक बिजली पहुंचा देंगे, आप करोड़पति को पनपायेंगे ताकि वे कांग्रेस को चुनावों के समय जीपें दे सकें, कांग्रेस को जिन्दा रखने के लिये चन्दा दे सकें। ऐसे चोट्टे लोगों को तो बिजली दे सकते हैं लेकिन गरीब किसान के लिये आप बिजली नहीं दे सकते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह उचित नहीं है।

श्री विजयसिंह : चोट्टा शब्द संसदीय है आप डाइरेक्टरी बता दीजिये जिसमें इसको असंसदीय माना हो।

श्री सभापति : यह आपका कहना उचित नहीं है।

श्री विजयसिंह : इसके साथ-साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। मकराना में आपने ए० ईएन० का दफ्तर खोल दिया। ए० इएन० का पोस्टिंग भी हो गया है लेकिन उसको यह हिदायत दी गई है कि चार्ज मत लो। आखिर तनख्वाह कहां से आती है इस तरह से रुपया वेस्ट क्यों किया जा रहा है ? वहां के ए० ईएन० को चार्ज क्यों नहीं दिया गया ? यह किसकी गलती है ? एक तरफ नागौर वाले अधिकारी कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ अजमेर वाले कुछ और ही कहते हैं आखिर इसमें क्या गड़बड़ घोटाला है ? आखिर इसमें क्या असुविधायें हैं ? आज हालत यह है कि गरीब जनता की कोई सुनता ही नहीं है। अगर आपको वहां चार्ज नहीं देना है तो पोस्टिंग की क्या आवश्यकता थी ?

इसी तरह से हम देखते हैं कि जगह-जगह थम्भे तो गाड़ दिये जाते हैं जूनियर इन्जीनियर जब जाते हैं उन खम्भों को उठा उठाकर दूसरी जगह चेप देते हैं। एक और बात है इसके लिये खम्भों में सीमेण्ट लगाने के लिये मिलता है लेकिन आप जयपुर से मकराना तक देख लीजिये किसी खम्भे में सीमेन्ट नहीं लगा हुआ है। आखिर वह सीमेन्ट जाता कहां है ? वह सीमेन्ट वापस साहू-जैन की फैक्टरी में चला जाता है। सीमेन्ट बराबर लगे ताकि वह थम्भों में मजबूती लावे। सीमेन्ट नहीं लगती है तो थम्भों में मजबूती नहीं आती है और जब वर्षा आ जाती है तो १५-२० थम्भे टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं और २०-२० दिन तक लाइन बंद रहती है। इसलिये आपको जो विद्युतिकरण करना है तो ठीक ढंग से करें।

मकराना को आपने बिजली दी है। परन्तु केवल मकराना को देने से ही क्या फायदा ? छोटे-मोटे वहां पर कई कारखाने हैं उनको बिजली दीजिये, खानें हैं उनको बिजली दीजिये इससे आपको काफी फायदा होगा। बिजली विभाग को फायदा ही होगा नुकसान कुछ भी नहीं होगा। वहां पर २०० कनेक्शन्स दिये हैं तो ५० कनेक्शन्स और दीजिये, आपको फायदा होगा।

इस विभाग में भ्रष्टाचार सबने बताया और मैं भी कहता हूं कि भ्रष्टाचार है। कारखानों को बिजली तभी मिलती है जब वे एक हजार रुपया दे देते हैं और जो पैसा नहीं देता है उसको बिजली नहीं

Page No 82

(श्री विजयसिंह)

मिलती है। गांव गांव में किस किस अधिकारी को कहते फिरें। यह तो आप जानते हैं कि यह एक साधारण सी बात नहीं है। यह सच्ची बात है। लेकिन अगर आप इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो भ्रष्टाचार फिर कैसे खत्म होगा ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : चोर चोर मोसेरे भाई हैं और लड्ढाजी तो टेम्परेरी हैं, डिप्टी मिनिस्टर की चलती नहीं है। आप किस के सामने गाथा गाते हैं ?

श्री विजयसिंह : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक बिजली पहुंच गई है और उसके आसपास कुए हैं उनको आप अवश्य ही बिजली दें ताकि अधिक से अधिक किसान फायदा उठा सकें और गांवों के अन्दर बिजली पहुंचे और उनका विद्युतिकरण हो। शहरों में भी जो स्माल इन्डस्ट्रीज हैं उनको भी बिजली विभाग पनपाने की चेष्टा करे और गांधी-सागर में जो बिजली सरप्लस है उसको उपयोग में लावें ताकि राजस्थान के किसानों को फायदा हो। लेकिन यह तब तक नहीं होगा, सभापति महोदय, जब तक कि अधिकारी टेलीफोन पर काम करना बंद न कर दें। वे सच्चाई और ईमानदारी से काम करें और फिर भी टेलीफोन आते हैं तो इस्तीफा दे दें। आप लोगों में काबलियत है और हजार रुपया कहीं से भी कमा सकते हैं। इसलिए आपको डरना नहीं चाहिये। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री सांवरमल बासोतिया !

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) : सभापति महोदय, इस बात के लिये मुझे खुशी है कि राज्य सरकार हमारी विधान सभा से ५० करोड़ का लोन लेने के लिये अनुमति लेने जा रही है। किन्तु इसके पहले मैं कुछ मेरी शिकायतों को राज्य सरकार के सामने और बिजली विभाग के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। आये दिन बिजली विभाग में भ्रष्टाचार की बातें होती हैं और आये दिन भ्रष्टाचार की बातें सुनते हैं। लेकिन मैं यहां पर अपने क्षेत्र का एक ज्वलंत उदाहरण पेश करना चाहता हूं।

अभी लगभग ६-७ महीने पहले मेरे क्षेत्र मुकुन्दगढ़ में एक बालूराम नानूराम नाम का किसान है। उसने अपने कुए पर कनेक्शन लिया/कनेक्शन हो गया था और उसके बाद मैं जो नीचे के कर्मचारी हैं ओवरसीयर टाइप, लाइन मेन टाइप, उन्होंने उस आदमी से ५० रुपयों की मांग की कि हमको ५० रुपये दिलाओ तब आपका काम आगे बढ़ेगा। उस बेचारे ने कहा कि जो कुछ ठेकेदार से बात हुई थी वह बिजली के ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया है और अब जो कुछ भी करना है उसके लिये ठेकेदार को कह देता हूं। ठेकेदार से बातचीत की उसने भी इन्कार कर दिया। अब उस बेचारे किसान के साथ अन्याय होता है। उसके मीटर को दो-तीन बार छेड़ा गया, खोला गया। किसान ने ऑब्जेक्शन किया। वह बेचारा अनपढ़ था उससे कहा एक बार हमने इसको ठीक कर दिया है दस्तखत कर दो उसने दस्तखत कर दिये और बाद में उस किसान को १६५१ रुपये और कुछ पैसों का एक बिल मिलता है। वह घबरा गया। इस बीच जो लोकल कार्यकर्ता थे वह उनके पास गया लेकिन वहां पर भी यही बात सामने

Page No 83

(श्री सांवरमल बासोतिया)

माई और उन्होंने उससे ५०० रुपये मांगे। ५०० रुपये देने की स्थिति में हो तो तुम्हारा मामला निपटाया जा सकता है। उसने कहा कि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। वह मेरे पास में आया और उसको लेकर मैं एडीशनल इंजीनियर श्री भट्ट से मिला। उन्होंने उसकी इन्क्वायरी के आर्डर्स दिये और जहां तक मेरी जानकारी है उसकी इन्क्वायरी भी हुई लेकिन इन बातों को ५-६ महीने हो गये। उन्होंने इतनी मेहरबानी जरूर की कि स्टे आर्डर दे दिया कि इसका कनेक्शन फिलहाल नहीं काटा जावे अन्यथा विभाग की ओर से उसको दो दो नोटिस मिल गये थे। लेकिन अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है। इससे इस बात को बल मिलता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट के आदमी ने या उसके सुपीरियर ऑफिसर ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है और इसीलिए इसमें देरी हो रही है। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मैंने जानकारी कर के शिकायत की थी और ५-६ महीने से इसमें ढील चल रही है। यह वास्तव में खेदजनक बात है। यह बात जरूर है कि उसको डिसकनेक्ट नहीं किया है फिर भी उसकी शिकायत का निपटारा होना चाहिये।

इसी तरह की शिकायत मेरे क्षेत्र के पास बड़ासी एक गांव है वहां की थी। उनको खुराना साहब के पास ले गया। उसकी भी इन्क्वायरी हुई लेकिन कोई डिसीजन नहीं हुआ। आये दिन इसकी शिकायत की जाती है। जब तक कड़ाई से, सख्ती से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तब तक यह भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है। इस पर तुरंत ध्यान देकर किसानों को किस प्रकार से राहत मिले यह कार्यवाही की जानी चाहिये क्योंकि किसानों के बात बात में कनेक्शन्स काट दिये जाते हैं वे कनेक्शन्स नहीं कटें। इस तरफ आशा है मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

मेरे क्षेत्र में लो टेन्शन की बहुत शिकायतें थी उसके लिये मैं विभाग को बधाई देता हूं कि पिछले १२ महीनों से विभाग की ओर से इसको सुधारने की काफी चेष्टा की गई है और लो वोल्टेज की शिकायत जो आये दिन होती थी और उससे किसानों की मोटरें जल जाती थीं उससे किसानों को राहत मिली है और उनकी फसलें नष्ट होने से बच गई हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बिजली प्रसार का काम हो रहा है उससे मुझे सन्तोष है। लेकिन फिर भी कई गांव ऐसे हैं कि उनके पास से लाइनें गई हैं और कुछ गांव तो एक-दो फर्लांग पर हैं उनको भी कनेक्शन्स दिये जाने चाहियें और उनका भी विद्युतिकरण किया जाना चाहिये ताकि किसानों को अपनी फसलें अच्छी करने का मौका मिले।

एक लाइन सीकर से नवलगढ़ गई है। वहां पहले ११ के० वी० की थी उसको ३३ के० वी० कर दिया गया है। उस लाइन पर खम्भे खड़े हो गये हैं और तारें भी बिछ गये हैं परन्तु इससे आगे अभी प्रगति नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी और अविलम्ब इस ओर ध्यान दिया जाकर कार्यवाही की जाये ताकि सैकड़ों-हजारों किसानों का संकट दूर होकर उनको राहत मिल सके और कुओं को अधिक से अधिक कनेक्शन्स दिये जा सकें।

इसके अतिरिक्त अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जिला स्तर पर

(श्री सांवरमल वासोतिया)

प्रोडक्शन कमेटी है उसमें कुछ डिफेक्ट हैं इसलिये उसको और अधिक ताकतवर बनाने के लिये कानून के अन्तर्गत और अधिकार दिये जाने चाहियें अन्यथा मैं यह महसूस करता हूं इसे काम कराने में देर होती है। इसलिए या तो अधिकार देकर इसको शक्तिशाली बनाया जाये या इसकी जरूरत नहीं समझी जाये तो इसको हटा दिया जाये, लेकिन प्रोडक्शन कमेटी के मार्फत बिजली की जो बात तय होती है उसमें काफी देरी हो जाती है। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(३ म. प.)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : सभापति महोदय, इस विद्युत् के विषय में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

इस विभाग में जो गड़बड़ियां हैं, और इस बारे में सरकार की जो पक्षपातपूर्ण नीति है उसके दो-तीन उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। समय नहीं है, नहीं तो मैं विस्तार से निवेदन करता।

कोटा जिला अन्न उत्पादन में किसी अन्य जिले से पीछे नहीं है। इसमें दीगोद, सुलतानपुरा, बड़ोद आदि तहसीलें हैं जो इस जिले की ग्रैनरी कही जाती हैं। आजादी के २३ साल बाद भी ऐसे जिले की तहसीलों तक में बिजली नहीं आ पाई है। आज भी इनकी वही हालत है जो आजादी से पहले थी।

छबड़ा तहसील का भी यही हाल है। इस जिले में पानी बहुत है, कुए हैं, पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। कोई नहर नहीं आ सकती, क्योंकि यह पहाड़ी एरिया है। अगर सिंचाई के लिये कुओं पर बिजली यहां दे दी जाय तो अन्न उत्पादन बहुतायत से हो सकता है। खेद तो इसलिये और भी अधिक होता है कि कम से कम नाममात्र के लिये पांच गांवों में भी इस तहसील में बिजली नहीं दी गई है। वहां पानी की अधिकता है, कुओं में बहुत कम दूरी पर ही काफी पानी है। अगर उनको बिजली दे दी जावे तो किसान खुशहाल हो जावेंगे और राज्य की अन्न की समस्या भी हल हो जावेगी। काफी अन्न यह तहसील दे सकती है।

साथ ही छीपाबड़ौद की तहसील का हाल यह है कि इसके गांव बांबोली के लिये विभाग ने लिख कर दिया कि डिमाण्ड नोट का पैसा वे जमा करा दें, कनेक्शन्स दे दिये जावेंगे। निश्चित अवधि में सब ने पैसा जमा करा दिया पर इसके बावजूद भी वहां के स्थानीय और जिला अधिकारी और इन्जीनियर कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। खेती के लिये यह समय बड़ा कीमती है, अगर काश्तकारों को इस समय भी बिजली नहीं दी तो वे पिछड़ जावेंगे और उनके खेत बिना जोते ही रह जावेंगे। आशा है सरकार इस ओर ध्यान देगी।

श्री सभापति : श्री लाभचन्द बैद।

श्री लाभचन्द बैद (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, चूरू जिला एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अन्य जगह नहरों का आप जाल बिछा सकते हैं, पर निकट भविष्य में भी वहां पर नहर आने की आशा नहीं है। वहां पर पानी का लेवल भी १५० फीट तक नीचे है इसलिये बैलों से सिंचाई भी नहीं हो सकती।

(श्री लाभचन्द बैद)
ऐसी स्थिति में बिजली ही एक आशा का केन्द्र रह गई है। पर सरकार इस मामले में वहां के लोगों के साथ उपेक्षा बरत रही है। बार-बार मांग करने पर अधिकारियों से मिलने पर, मेरे चार साल तक लगातार इस बारे में प्रयत्न करने पर भी वहां बिजली की लाइन नहीं गई।

मैं आपके सामने कई ऐसे गांवों की सूची रखता हूं जहां लोगों ने कर्जा ले लेकर कुए बनाए हैं, इस आशा से कि बिजली मिल जावेगी तो वे अपना कर्जा भी चुका देंगे और स्वयं भी खुशहाल होंगे। पर आश्वासनों के बावजूद भी आज तक वहां बिजली नहीं आने के कारण आज उनकी हालत यह हो गई कि कर्जा जो उन्होंने कुओं के लिये लिया था नहीं चुका पा रहे हैं और अपनी जमीन तक गंवाने की हालत में आ गये हैं। खारिया कनीराम, स्यान्दरा, न्यामा, गोरीसर, लछासर, जालेड आदि अनेकों गांव ऐसे हैं जहां पर काफी लोगों ने कुए बना लिये हैं। दाऊदसर में २१ कुए बने हैं। आज से दो साल पहले मैं खुराणा साहब से मिला था इन गांवों को बिजली देने के बारे में। उन्होंने मौखिक आश्वासन जरूर दिये पर आज तक बिजली नहीं पहुँच सकी है इन गांवों में।

आप देखिये बागसरा तक लाइन है, उससे एक मील पर नियामा है, उससे एक मील पर खारिया कनीराम है और एक ही मील आगे स्यांदरा है। एक-एक मील के हिसाब से भी दे दें तो दे सकते हैं। पर काफी प्रयत्न करने पर भी विद्युत् विभाग इधर ध्यान नहीं देता और इस तरह चलता है जैसे चींटी चलती है। चींटी की तरह यह विभाग रेंगता है। अन्न उत्पादन की इतनी महत्त्वपूर्ण समस्या की तरफ भी उपेक्षा बरत रहा है। इस तरह से चूरू जिले का कल्याण नहीं हो सकेगा। सभापति महोदय, आप वहां के पड़ौसी हैं, चूरू जिले को आप समझ सकते हैं कि वहां की क्या स्थिति है। गरम-गरम लूएं चलती रहती हैं। अगर नजदीक-नजदीक खेतों में सिंचाई के साधन हो जावें तो काफी उत्पादन भी हो सकता है और लूओं से भी उनको कुछ राहत मिल सकती है। इस दृष्टि से भी उस जिले में ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुँचाने पर ध्यान देवें।

इन बातों को कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापतिजी, भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां अकाल नहीं पड़ा। हमारे यहां काफी नदियां बहती हैं। कुओं में काफी सेजा है और पानी है। बार-बार हमने निवेदन किया है सरकार से कि आप हमारे इन गांवों में बिजली दे दें हम आपको सारे राजस्थान के लिये अन्न की समस्या से मुक्त कर देंगे। आप हमारे काछोला, मानपुर, बीगोद, महुआ, धामनियां, आकोला, गेगांका खेड़ा, अमरगया, बरूंदनी, जोजवा, धाकड़खेड़ी, सींगोली, होड़ा, जाल्या, खाचरोल, नन्दराय, रानीखेड़ा, माताजी का खेड़ा, सुरास, बड़ल्यास, जीत्यां, गेंदलिया इन गांवों में जिनके पास होकर नदी बहती है बिजली दीजिये। लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई। आप पचास करोड़ का कर्ज ले रहे हैं और हम लोग स्वीकृति भी देना चाहते हैं कि हमारे इस निर्माण के काम में यह रुपया लगे। पर ऐसा न होवे कि आधे में देवी

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
देवता और आधे में खेतरपाल । कहीं भ्रष्टाचार में यह रुपया न बह जावे । शिकायतें की हैं भ्रष्टाचार की लोगों ने । मैं इसकी क्या शिकायत करूं । यह तो आज हमारे खून में रम गया है और हालत इसकी तो आज यह हो गई है कि मेरे मित्र का एक दोहा किस तरह चरितार्थ होता है वह मैं अर्ज कर देता हूं ।

काम सरे नी बात सूं,
सरे न करियां रीस,
काम सरे थें दो जदी,
बिना रसीदी फीस ।

बिना रसीदी फीस दो तो काम हो जावे । पर मेरा विश्वास है कि इस विभाग में ऐसा नहीं होगा । और इन पचास करोड़ रुपयों का पूरा-पूरा सदुपयोग होगा ।

आप ऐसा करिये कि जहां-जहां भी पानी आसानी से उपलब्ध हो सकता हो, कुए भरे हों, वहां बिजली लगाकर तो देखिये । कभी भी अकाल राजस्थान में नहीं पड़ने वाला है ।

माननीय सभापतिजी, आपकी मार्फत बिजली मन्त्रीजी को एक बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि सांगानेर (भीलवाड़ा) में आपने बिजली लगाई । उसका आज परिणाम यह हुआ है कि जिन खेतों में एक समय गधे लौटते थे वहां आज बिजली के कारण प्रदर्शन के योग्य फार्म बन गये हैं । लोग उन फार्मों को देखने को वहां आते हैं दूर-दूर से । हजारों मरण अन्न का उत्पादन एक गांव में बढ़ गया पर इससे ही सन्तोष मत करिये । आप इस बिजली विस्तार के काम को इस तरह करिये जैसे युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी जाती है । अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई कारण नहीं कि राजस्थान में अकाल रह जावे ।

मैं फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि इन गांवों के आसपास में काफी नदियां बहती हैं, बड़े-बड़े द्रह हैं । उनमें पानी भरा रहता है । अगर उस पानी की एक-एक बूंद का सदुपयोग किया गया तो लाखों मन अनाज पैदा हो सकता है । मेरे एक-क्षेत्र मांडलगढ़ में इतनी क्षमता है कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में, भविष्य में, भगवान न करे कि कहीं अकाल पड़े, पर अगर कहीं कभी ऐसा संकट आ भी जावे तो अकेले मांडलगढ़ में यह क्षमता हो सकती है कि अकेला हजारों लाखों मन अनाज दे सकता है और यह भी एक सौभाग्य की बात है । मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने अभी-अभी अस्थाई तौर पर, अस्थाई तौर पर ही सही बिजली का विभाग सिंचाई मंत्रीजी को दिया है । सिंचाई और बिजली का अटूट सम्बन्ध है इसलिये मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया बिजली का बहुत तेजी से विस्तार करिये । मैं छोटी-छोटी शिकायतें नहीं करना चाहता हूं । अभी बीगोद में बिजली के खंभों की सैंक्शन की है । एक हजार रुपये खंभों के लिये सैंक्शन किये हैं लेकिन एक हजार में कितने खंभे आयेंगे । ऐसी बात कभी-कभी करते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है । मेरा निवेदन है कि इस तरफ भी ध्यान दीजियेगा । मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि उस तहसील में जिसमें क्षमता है नदियों के कारण कुये बहुत ऊपर आ गये हैं अधिक से अधिक पैसा लगायें तो भीलवाड़ा कभी अकाल नहीं पड़ने देगा ।

Page No 87

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बबेड़ा) : सभापति महोदय, सेक्शन ६१ ऑफ दी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के तहत केवल हमें यह अधिकार दिया गया है कि बजट पर डिसकस करें। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के बारे में उनका कॉन्स्टीट्यूशन बना हुआ है। मैं उन सब बातों को दोहराने नहीं जाऊंगा कि कहां चोरी होती है, कहां रिश्वत ली जाती है। अधिकार जब हाथ में होंगे तो ऐसा सुनने को मिलता है। उनके कॉन्स्टीट्यूशन में प्रोवीजन है कि किसी भी कर्मचारी को एक पैसा देना अपराध है, उनके कानून में लिखा है। रात-दिन हम देखते हैं बिना पैसे काम होता नहीं है। यह चर्चा का विषय नहीं है, यह तो इतनी गहराई का विषय हो गया है जिस पर चर्चा नहीं करूंगा लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बजट के उन आइटमों पर। मैं उन बातों की तरफ भी ध्यान नहीं दिलाऊंगा कि कितना बजट है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूम हुई, कितने आपके कर्मचारी हैं। यह सब आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है लेकिन फिर भी ऐसी बातें हैं जो रूल्स बनाये हैं इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स बने हैं उनमें मुझे कुछ आपत्तियां हैं जिनको दूर किया जाय तो शायद सम्भावना है बोर्ड का कार्य ठीक हो जाय। बोर्ड का गठन इसलिये किया गया कि राज्य सरकार के द्वारा जिस तरीके से उसका विस्तार होना चाहिये वह नहीं होता इसलिये इनकॉरपोरेट बोड़ी बनाई। उसके सेक्शन फाइव में जो दिया गया है वह कॉन्स्टीट्यूशन इस बात का है कि मैं सोचता हूं इन बजट के आंकड़ों से देखा जाय तो समाजवाद की तरफ जा रहे हैं या नये पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं लगता। सबसे पहले पैरा एक में लिखा है हरित क्रांति इस देश में लाई जाय और हरित क्रांति को लाना है इसलिये कि सरकार चाहती है और उसमें इस विद्युत बोर्ड को बहुत घाटा हुआ। घाटा हुआ उन सब चीजों को छोड़ दिया, उनके कई कारण हैं लेकिन ग्रामीण विद्युत योजना इनके विभाग में भटकी, हरित क्रांति आई और गरीबों की हालत सुधरी। देश के ९० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। उनकी हालत सुधारने को गांव-गांव में बिजली चाहिये। बिजली पहुंचाने से हरित क्रांति आ जायगी इसलिये मैं विद्युत बोर्ड को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उसने इस हरित क्रांति को लाने में योग दिया और उनका यह बजट सदन में पेश है इसलिये कि आपकी और हमारी आंखें खुल जायं कि यह सरकार क्या करने जा रही है—हरित क्रांति लाने जा रही है। इस बोर्ड को साढ़े सात करोड़ का घाटा है। कहां जायगा यह देश ? लेकिन इसका एक स्वरूप है। हम व्यापार करना चाहते हैं। बोर्ड का एक टेरिफ है बनाने का अधिकार है। दफा एक पेज एक पर दिया गया है थोड़ा सा मैं दिग्दर्शन सदन के सामने रख देना चाहता हूं।

(विराम)

ग्रामीण विद्युत मण्डल को जो आर्थिक हानि उठानी पड़ी उसकी विस्तृत जानकारी ६८-६९ के बजट में प्रस्तुत की गई है। ग्रामीण क्षेत्र अधिक विस्तृत और बिखरा हुआ होने के कारण और शहरी क्षेत्रों के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान को होने वाली अनुमानित हानि निम्न प्रकार है:—

१९६३-६४ से लगाकर ६८-६९ तक पांच करोड़ से ऊपर विद्युत बोर्ड को हानि

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

हुई है। इस बजट को आप देखना पसन्द करें तो टोटल हानि हुई है और उसका निष्कर्ष निकाला जाय तो १७६० लाख की टोटल हानि हुई है इस पांच करोड़ के अलावा १७६० लाख की अतिरिक्त हानि है। उसका विवरण पहले कहीं दिया हुआ होगा, इस बजट में नहीं है। देखा जाय तो राजस्थान में बहुत बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं जो राजस्थान का कल्याण नहीं होने देते हैं, इसलिये मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह टेरिफ हाई इन्डस्ट्रियल लोड के बारे में कहता है। अगर बोर्ड को हाई-टेन्शन देना पड़ता है तो उसमें एक लाख से ऊपर का खर्चा नहीं आयेगा और टोटल डिस्ट्रिब्यूशन करेंगे तो एक यूनिट पर एक पैसे से अधिक खर्चा नहीं पड़ेगा। उस इन्डस्ट्रियल लोड में फर्स्ट सिक्स हण्ड्रेड में ६.५ किलोवाट यानी ५.६८ पैसा पर किलोवाट का खर्चा यह उनसे चार्ज करने का रहता है इसलिये ८ पैसे से ज्यादा नहीं आता है और छोटी इन्डस्ट्री लगाई जाय तो साल भर तो वे रोते रहें–१०-१५ उद्योग खोले जायं तो ठीक रहे। खेती के ऊपर फाइव हार्स पावर या थ्री हार्स पावर का इन्जिन लगाते हैं तो ८ घन्टे से ज्यादा काश्तकार खेती का काम नहीं करता है। अब फाइव हार्स पावर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। कुट्टी की मशीन है, छोटे-छोटे जिन्स हैं, छोटा आयल प्रेसर है। अब फाइव हार्स पावर की मशीन गरीब आदमी नहीं ले सकता है वह १० जगह से लोन लेता है। क्यों साहब अब आप फाइव हार्स पावर का ज्यादा से ज्यादा मेक्सिमम लाभ क्यों नहीं उठाने देते हैं। उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने देना चाहिये। लेकिन कहते हैं कि नहीं अगर तुम्हारा स्वयं का खेत है तो लाभ उठा सकते हैं। दूसरों पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते हो।

मैंने जानकारी की, मेरा दुर्भाग्य है जानकारी अधिक नहीं मिल पाई लेकिन जितनी मिल पाई वह यह है कि फाइव हार्स पावर की मशीन से एक कुट्टी की मशीन और छोटा सा आयल प्रेसर लगा लें। हमने बड़ी कोशिश के बाद यह कहा कि कुट्टी की मशीन लगा लें तो पावर की अड़चन डाल दी और कहा कि अपनी गाय, भैंस के लिये कुट्टी काट सकते हो दूसरों के लिये नहीं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम कहां जा रहे हैं ? समाजवाद नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है। बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट को कम पैसे में बिजली देते हैं और अगर टेरिफ के अनुसार ज्यादा जगह बिजली का उपयोग किया तो ८ पैसे की जगह १३ पैसे वसूल होंगे और गांव में अगर दूसरी जगह मशीन का उपयोग देख लिया दूसरी जगह मशीन को चलते हुये देख लिया तो १८ पैसे वसूल होंगे और उसका कनेक्शन बन्द कर देंगे। अगर यही रवैया रहा तो इसमें हरित क्रान्ति नहीं आयेगी और इस बिजली के द्वारा जो क्रांति पैदा होगी उसको प्राप्त करने में हम अयोग्य साबित होंगे।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जब बिजली के कनेक्शन के लिए मैं जाऊं तो एप्लाई करूं और इस लॉ में नहीं दिया हुआ है कि एप्लाई करने के साथ ही कनेक्शन दे दिया जाये। वन मन्थ इसेन्शल है वह सर्वे करने के लिए जायेंगे उसके बाद ही कुछ होगा। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस बजट में एक प्रावधान दिया गया है कि हमने प्रशासनिक बजट को बहुत कड़ा कर दिया है ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव

Page No 89

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

एक्सपेन्स कम हो। सभापति महोदय, मैं भीलवाड़ा का उदाहरण देना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में २० मेगावाट बिजली अवेलेबल है और हम उसमें से केवल ६ मेगावाट बिजली ही उपयोग कर रहे हैं यानी १४ मेगावाट बिजली हमारी चली जा रही है और इस ६ मेगावाट बिजली का भी उपयोग कब कर रहे हैं कि २४ आवर्स में से ८ आवर्स। अगर आपने ८ घण्टे खेत में पम्पिंग सेट लगा लिया, और ४-५ घण्टे के लिए कुट्टी की मशीन लगा ली और फिर दो-तीन घण्टे के लिए आइल क्रशर लगा लिया तो उसमें आपका क्या नुकसान है। उससे तो मेरे परिवार की हालत सुधरेगी ही। मैं यह बताना चाहता हूं कि चाहे यह असेम्बली, चाहे मंत्रिमण्डल यह सोचे कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं लेकिन यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जिन लोगों के हाथों में दिया गया है उससे विश्वास मानिये कि राजस्थान में समाजवाद आये इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहां तो पूंजीवाद ही रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसे ही चलता रहेगा।

सभापति महोदय, मैं इससे आगे निवेदन करना चाहता हूं कि चार कुओं के पश्चात् ५वें, छठे, सातवें कुए पर बिजली ले लेते हैं तो पांच वर्ष के बाद डिमाण्ड मेरे से होती है कि जितने खम्भे लगे तो हमारा खर्चा ज्यादा बैठता है। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों से माननीय मंत्री महोदय की मार्फत कहना चाहता हूं कि मेरा जितना अनुभव है भीलवाड़ा में छः महीने से पहले कोई बिजली नहीं दी जाती है। कुछ रूल्स में कमी है और कुछ स्टाफ की कमी है। सन् ६४ में एक पैटर्न तै किया था और कुछ जूनियर इन्जीनियर्स रखे थे, जिनको अधिकार दिया गया था कि ५ मील के अन्दर ६०० कनेक्शन्स वे देंगे। बाद में माइलेज को सीमा को काट दिया कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब वह १५०० कनेक्शन्स २५ मील के एरिया में कर दिया है। तो वह न तो अटेण्ड ही कर पाता है और न चोरियों को ही पकड़ पाता है और न कनेक्शन्स ही दे पाता है इसलिए नार्मल कोर्स में न तो कनेक्शन्स मिल पाते हैं और जब कनेक्शन्स नहीं मिल पाते हैं तो उससे प्रोडक्शन रुक जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी चीजों के बावजूद भी पांच वर्षों की सिक्योरिटी ले ली और उसके बाद बीच में कुए आ गये और उनकी पूर्ति हो गयी तो वे कहेंगे कि पांच साल तक एग्रीमेन्ट में बंध गये। मैं कहता हूं अरे अमीरों को पकड़ो। उनके ऊपर तो आपकी निगाह नहीं जाती और सिर्फ ये ही गरीब काश्तकार दीखते हैं। इन नियमों को बदलो भगवान के नाम पर और यह आपके ही हाथ में है। इस असेम्बली के हाथ में होता तो हमने इसको फाड़कर फेंक दिया होता। लेकिन यह समाजवाद और लोकतंत्र ऐसी चीजें नहीं हैं जो कि ऊपर से थोपी जा सकें। ये हमारे जीवन के जीने की क्रियायें हैं और इनमें समन्वय होना चाहिये। इनमें समन्वय नहीं होगा तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करके, दया करके आप इस कानून को बदलो। जहां लोग हरित क्रांति करने जा रहे हैं वहां हम यह कहने जा रहे हैं कि बैंकों का नेशनेलाईजेशन करके हम लोन दिला देंगे, हम यह कहने जा रहे हैं कि गांव गांव में कनेक्शन्स दे देंगे।

अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता ने हरियाणा का नाम लिया और फिर उसके साथ

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

में बंशीलाल का नाम लिया। हमारे यहां पर जब पूछो तभी स्टोर्स में सामान नहीं है और रईसजादे हम इतने बने कि लकड़ी के डंडों के ऊपर कनेक्शन्स नहीं देंगे। मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं कि पेड़ों के ऊपर कनेक्शन्स दिये गये थे और वहां से कुर्सी को कनेक्शन दिया जाता है। बहुत ठीक है, सिक्योरिटी पॉइन्ट अवश्य लेना चाहिए लेकिन जब कि हमारे यहां अभाव है, बोर्ड की स्थिति नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सके जहां अनापशनाप खर्चा होता है वहां गरीबों के लिए रूल्स में परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी इन्डस्ट्रीज हैं एग्रीकल्चर पर बेस्ड उनको आप पांच हॉर्स-पावर वाला कनेक्शन दीजिए।

भीलवाड़ा में हमारे पास ३ लाख रुपया महीने की इनकम है ६ मेगावाट की बिजली पर। बिजली जब अवेलेबल है तो ये इन्जीनियर्स यहां डिपार्टमेन्ट में बैठे-बैठे गांवों में कैसे पहुँच सकते हैं। पहले तो एप्लाई करना होगा, फिर साल भर तक डिसकशन होगा कि इन गांवों को कैसे करें और उसके बाद में गांवों में बात पहुँचेगी तो उसमें दो साल लग जायेंगे और तब तक हरित क्रांति खत्म हो जायेगी। तो ये रूल्स हैं इनको आप बदलने की कृपा करें। कोशिश कीजिए और लोगों की डिफिकल्टी को समझें और देश में हरित क्रांति लाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो सही काम है वह उसको करना चाहिए। यह सेन्ट्रल एक्ट है और इसको बदलना हमारे ताकत की बात नहीं, लेकिन मैं सदन की मार्फत कहना चाहूंगा कि आपको इसको बदलना चाहिए। बोर्ड के कॉन्स्टीट्यूशन में कौन बैठे हैं? बैठे वे हैं चीफ इन्जीनियर्स, आई० ए० एस० ऑफिसर्स और बहुत ही हाई ट्रेण्ड पर्सन्स। उनको गोल हॉल में बैठाओगे तो बैठ जायेंगे, पालती मारकर बैठाना चाहें तो पालती मारकर बैठ जायेंगे और खड़ा करना चाहें तो खड़े रह जायेंगे इसलिए उसका जितना स्टाफ पैटर्न है उसके अन्दर से सिलेक्शन करके एकाध आदमी, कन्ज्यूमर्स में से एकाध आदमी आना चाहिए, एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्रियल क्षेत्र से भी आदमी लिया जाना चाहिये। और इस प्रकार जो बोर्ड का नया गठन होगा वह गठन स्टेट के लिए कल्याणकारी होगा, स्टेट के लिये लाभप्रद होगा।

यह विद्युत् का युग है और विद्युत् के द्वारा देश की उन्नति हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती है। इसलिए इन रूल्स पर बहुत कुछ इतना बड़ा प्रकाश डालूं तो बहुत कुछ लम्बा समय लगेगा उतना समय मुझे माननीय सभापति महोदय ने नहीं दिया है। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय की मार्फत कि इन रूल्स में ऐसा एमेंडमेंट करें कि इन रूल्स के मातहत जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोर्ड का जो प्रेजेन्ट कॉन्स्टीट्यूशन है उसके बारे में आपको जानकारी होगी ?

श्री यशवन्तसिंह : है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ हैं अनआफिशियल मेम्बर्स। आपने जो सजेशन दिया है वह बहुत इम्पोर्टेन्ट सजेशन है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : The members constituting the Board are different than the members of the Consultative Committee.

उनका कुछ नहीं। हमें बिठा दो तो डमडमी लेकर पहुंच जायेंगे। जिनके हाथ में

(श्री यशवन्तसिंह नाहर):
अधिकार और सत्ता है और जो कुछ कर सकते हैं उनके अन्दर समाजवाद के प्रति कितनी आस्था है, वे समाजवाद के प्रति कितने जागरूक हैं इस देश के हर प्रान्त के बारे में और देश के उत्पादन के बारे में अपने आपको कितना जागरूक अनुभव करते हैं उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके अन्दर एक समाजवादी मेम्बर हैं श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : किस में ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोर्ड के मेम्बर हैं। ४२० का मुकद्दमा चल रहा है, जिनके ऊपर बड़े क्वालिफाइड हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपको बोलना हो तब कह लेना। मेरे मार्फत क्यों कहलाना चाहते हैं।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मन्डी) : सभापति महोदय, राजस्थान इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में मैं बहुत सूक्ष्म में अपने विचार रखना चाहता हूं। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक कॉर्पोरेशन है और एक कॉर्पोरेशन की हैसियत से उससे यह एक्सपैक्ट किया जाता है कि यह बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट, निष्पक्ष और स्वतन्त्र रूप से राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोग्राम बढायेगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक इन्डिपेन्डेन्ट कॉर्पोरेशन होते हुए भी एक इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी की तरह काम नहीं कर रहा है, और यह हमेशा उसी तरह से काम करता है जिस तरह से किसी एक स्टेट का डिपार्टमेंट हो।

कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि इस कॉरपोरेशन को बनाने में क्या कोई सेन्स भी है या नहीं। जब कहीं इलेक्शन होता है, कहीं इस तरह का इमर्जेन्सी पीरियड आता है तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कॉरपोरेशन के खम्भे कभी पंचायतों के चुनावों में पहुंच जाते हैं और कभी म्युनिसिपल चुनावों में पहुंच जाते हैं और जगह-जगह इसको एक डिपार्टमेंट की एजेंसी की तरह काम में लिया जाता है। इसलिए जनता की जो निष्ठा इस कार्पोरेशन की तरफ होनी चाहिए वह निष्ठा इसमें नहीं पैदा हो सकती है। और इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस कार्पोरेशन को कम से कम अपनी पार्टी की मशीनरी की तरह काम में न ले। इसको स्वतन्त्रता से काम करने दे, और यह जो इकोनोमिक प्रोग्राम को चलाने के लिए बोडी बनाई है उस बोडी को प्योरली इकोनोमिकली रन करने दिया जाय जिससे इस स्टेट का सुचारुरूप से भला हो सके। यह तो मेरा इस बोर्ड के बारे में सूक्ष्मता निवेदन है कि जब तक यह इन्डिपेन्डेन्टली काम नहीं करेगा तब तक कार्पोरेशन के रूप में काम करने से कोई मतलब नहीं है।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी कहूंगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में यह कहा गया है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से स्टेट को यानी बोर्ड को करीब ७५ करोड़ और कुछ लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन १५८ पर्सेन्ट के रिटर्न पर किया जाता है तो फिर जब बिना रिटर्न कोई प्रोग्राम ही नहीं लिया जाता हो तो [रूर]ल इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से नुकसान

Page No 92

(श्री जुझारसिंह)

क्यों हुआ है ? साफ है कि जो प्रोग्राम लिये जाते हैं उसके लिये पेपर पर तो यह बता दिया जाता है कि इससे १५ पर्सेन्ट का रिटर्न होगा, लेकिन वे प्रोग्राम दरअसल में पेपर पर ही १५ पर्सेन्ट का रिटर्न देने वाले होते हैं और एक्चुअली वह किसी आदमी को सैटिसफाई करने के लिए, किसी नेता को सैटिसफाई करने के लिए अनप्रैक्टीकल प्रोग्राम बनाये जाते हैं, और उनको एक मिसाल मैं आपको दूं झालावाड़ जिले में पिछले साल कुछ गांव लिये गये हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। उनमें से एक गांव है जहां से उप-मंत्री यहां पर दलबदल कर मंत्रिमण्डल में बैठे हुए हैं, उनके गांव का प्रोग्राम लिया गया। उनके आसपास के कुओं की संख्या २३० बताई गई और एक्चुअली जब इसके पेपर तैयार किये गये, तो उनमें उपलब्धि की टोटल संख्या जो विलेजेज की आई है वह केवल १३७ है और १३७ विलेजेज के अगेन्स्ट में करीब ३०० कुए बताये हैं जिनकी एग्जिस्टेन्स हो ही नहीं सकती। उनको बताकर उस प्रोग्राम को लिया गया है और रिजल्ट यह है कि यह अनइकोनामिक तो होना ही चाहिए था लेकिन उतने कुए नहीं हैं फिर भी इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है और उनको इस तरह से दिया गया है।

इस तरह से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले ३-४ सालों से कोटा जिले और कोटा डिविजन की उपेक्षा की जाती रही है। सभापति महोदय, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने प्रोग्राम में बताया है, एक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी की रिकमण्डेशन अगर आती है किसी के लिये तो उसको प्रोग्राम में इन्क्लूड किया जायगा। अगर किसी जगह पर अन्डरग्राउन्ड वाटर उपलब्ध है या किसी नदी में, बेड-पूल में सफिशियेन्ट मात्रा में लिफ्ट के लिये पानी उपलब्ध है या ११ के० वी० लाइन नजदीक गांव से जाती हो, इस तरह के ३ क्राइटेरिया बताये हैं, उस तरह का कोई प्रोग्राम उपलब्ध हो तो उन लोकेलिटीज को वे पहले इलेक्ट्रिफाई करेंगे। लेकिन इन सब बातों की उपलब्धि होते हुए भी कोटा डिविजन में बहुत कम मात्रा में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है और उसका खास कारण यही है कि यह पोलिटिकली वह एरिया है जो कि रूलिंग पार्टी के अगेन्स्ट में पड़ता है।

सभापति महोदय, अगर पानी की दृष्टि से देखा जाय तो कोटा, बून्दी और झालावाड़ ये तीनों ऐसे जिले हैं जिनमें हर तीन मील पर, तीन मील से ज्यादा फासला नहीं निकलेगा जिस पर कोई नदी उपलब्ध नहीं हो और उस नदी में प्लेन्टी ऑफ वाटर बेड-पूल में उपलब्ध न हो जिसको कि युटिलाइज करने की आवश्यकता है। वहां आलरेडी बिजली नजदीक में उपलब्ध होती है। बिजली जेनेरेट ही कोटा जिले में हो रही है और तहसील में बिजली आई हुई है। अगर उसका आपके प्रोग्राम के मुताबिक युटिलाइजेशन किया जाय तो बहुत कुछ रिटर्न मिल सकता है। लेकिन यह बात नहीं की जा रही है वहां पर पिछले सालों से बिजली के प्रोग्राम को जानबूझकर रोका गया है और उससे वहां पर प्रोग्रेस काफी रुकी हैं।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो तहसीलें या जो एरिया इन्टेन्सिव

(श्री जुझारसिंह)

एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के लिए लिये गये हैं जिनमें कुए बनाने के लिए जो रिफाइनेन्स कॉर्पोरेशन या दूसरी इन्डिपेन्डेन्ट फाइनेन्शियल एजेन्सीज से लोन मिल रहा है, और जहां पर करोड़ों रुपये कुए बनाने के लिए और इसके लिए खर्च किये जा रहे हैं, ऐसे एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्रायोरिटी के साथ में बिजली देनी चाहिये ।

सभापति महोदय, राजस्थान में ५-७-८-१० ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम चालू हैं और इस तरह का एक एरिया मेरी कान्स्टीटुएन्सी का सांगोद तहसील का भी है। उस सांगोद तहसील में इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर परपज के लिए करीब ६६ लाख ३० हजार रुपये कुए खोदने और पम्पिग सेट लगाने के लिये लोन देने का प्रावधान वहां पर किया हुआ है वह एरिया है। उसमें अभी सांगोद तहसील के हैड-क्वार्टर पर बिजली उपलब्ध है और उसमें ६०० नये कुए और करीब १००० पुराने कुए इस तरह से २००० कुओं को बिजली देने और कुए खोदने का प्रावधान है। अगर उस एरिया में बिजली दे दी जाती है तो वहां के काश्तकारों की ज्यादा प्रास्पेरिटी बढ़ेगी। बिजली के प्रोग्राम में यदि डिले की जाती है तो, सभापति महोदय, एक डीजल का सेट खरीदने में काश्तकार का करीब ५००० रुपया लगता है और यह निश्चित बात है कि डीजल का सेट लगाने के बाद में एक साल में या दो साल में जिस तरह का प्रोग्राम चल रहा है उस क्षेत्र में बिजली नहीं देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह होगा कि जो खर्च काश्तकार को अभी डीजल सेट के खरीदने में होगा वह बेकार चला जाएगा। इसलिए काश्तकार का डबल खर्चा होता है। और इधर राजस्थान सरकार को खर्चा करना पड़ता है। इसलिए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे गोविन्दगढ़ में चल रहा है, हमारी तहसील में भी चल रहा है उसके बारे में कई बार निवेदन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमेन से भी मिल चुके हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में मिल चुके हैं। लेकिन कोई जवाबी काम नहीं हुआ है। कहने के बाद भी काम नहीं हुआ है। किसी इलाके में काम होगा तो पोलिटिकल कन्सिडरेशन की वजह से काम होगा अन्यथा काम नहीं होता है। इसी वजह से उस इलाके की तरक्की नहीं होती है।

इसलिए मैं सभापति महोदय, आपकी मारफत चेयरमेन साहब को, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और दूसरे अधिकारियों को निवेदन करूंगा कि वे इण्डिपेण्डेंट होकर इकॉनामिक प्रोग्राम को आगे बढ़ायें। पोलिटिकल प्रेशर को जहां तक सम्भव हो अवाइड करें। यही इण्टेन्शन प्रोजेक्ट का हो। इस प्रोग्राम को लेकर चलें।

श्री सभापति : श्री रावत !

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदय, जहां तक विद्युत के सम्बन्ध में चर्चा की जा रही है, चाहे वह किसी भी दल का हो, जो चिल्लाहट है वह वास्तव में उचित है। बिजली और बिल्ली की एक ही राशि है। जो कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, उनसे काश्तकार इतना परेशान है कि जो मोटर फिट करते हैं उनको कनेक्शन नहीं देते हैं। कर्ज करके वे किसी प्रकार मोटर फिट करवाते हैं। कई जगह ७-८ साल हो गये और कई जगह ५-७ साल हो गये पानी नहीं बरसा था। काश्तकार के लिए पानी जो बरसता है, वही उसकी

(श्री शंकरसिंह रावत)

वेतन वृद्धि है। आज जब कि कर्मचारी काला झण्डा दिखाकर वेतन वृद्धि करा सकते हैं तो राजस्थान के काश्तकारों की वेतन वृद्धि तो आकाश की तरफ आंख है या बिजली है। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने यह बताया है कि बिजली को भी राजनीतिक अखाड़ा की चीज बनाते हैं। कई लोग इनमें ऐसे मिले रहते हैं जो स्टेट को गिराने की कोशिश करते हैं। सरकार की जो त्रुटियां हैं वे उन्हीं को दिखाते हैं। कई बार वह प्लानिंग के अनुसार नहीं चलते हैं। मैं समझता हूं कि विद्युत मन्त्री जी इस बात के लिए सतर्क रहेंगे क्योंकि कम से कम गान्धी जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान को देखना है तो हिन्दुस्तान का थर्मामीटर गांवों में है। गांवों में जाकर हालत देखो।

तो मैं विद्युत मन्त्री जी को कहूंगा कि काश्तकारों की सही हालत देखनी है तो उनके पास जाकर पूछें। काश्तकार किन परेशानियों में है। एस्टीमेट जो बनाया जाता है, वह सफल नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है सभापति महोदय, जब काश्तकार चिल्लाता है तो सही चिल्लाता है। इस देश में ५०% आय कृषकों से है। काश्तकारों को जहां सुविधा है, वह नये साधनों के जरिये से उपज बढ़ा रहे हैं। आज हम उनके निकट जाकर उनकी व्यथा को देखें।

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके सामने आकर मंत्री महोदय के पास आकर उनको गुमराह करते हैं। यह सही है, अनेक लोगों की ४-५ साल से सिक्युरिटी जमा है। एक ओर उनको नोटिस देते हैं कि तुम्हारी सिक्युरिटी जब्त हो जायगी। दूसरी तरफ उनको कनेक्शन नहीं देते। सभापति महोदय, स्वर्गीयप्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री ने "जय जवान, जय किसान" का नारा लगाया था। मैं उस ओर संकेत करना चाहता हूं। हमको सही हालत में उनके दर्द के साथ जाना पड़ेगा। आपने काश्तकार की हालत क्या कर दी है। एक तरफ तो उस पर बैंक का ब्याज चल रहा है। फसल होने पर पंचायत समिति के लोग ऋण वसूली के लिये आ जाएंगे। बैंक का ब्याज चल रहा है वह आजाएंगे। मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि काश्तकार को समय पर बिजली दी जाये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पहले काश्त-कार रेवेन्यू से घबराते थे। आज बिजली वालों से घबराते हैं।

सभापति जी के आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इसका नाम ही बिजली है। बिजली बुरे आदमियों पर ही गिरती है। इन काले कारनामे करने वालों पर काश्तकार बिजली बनकर टूट पड़ा तो क्या हाल होगा? काश्तकार इतना दुःखी हो गया है कि कई तो विधायकों को ले जाकर कोशिश करते हैं, सिफारिश कराते हैं। कभी काश्तकार में यह शक्ति भी आ जाएगी वह बिजली बनकर टूट पड़ेगा। यह शक्ति पैदा की जायगी। जैसे बिल्ली गुर्राती है (हीयर-हीयर की आवाज) वह उनका कंठ पकड़ लेगा। काश्तकार किसी की परवाह नहीं करता है। विधायक जाता है तो वह सोचता है, ए० ईएन० कि, मैंने उसका काम करा दिया है। पर वह नहीं होता है। यही सरकार की व्यवस्था है। अगर यह व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो काश्तकार उनको उखाड़ फेंकेंगे। इसमें घबराने की बात नहीं है। इस भयंकर अकाल में ऐसे कृषक थे जो अपने घरों से नहीं निकलते थे, चार साल से इस अकाल में देखा वह मिट्टी

Page No 95

(श्री शंकरसिंह रावत)

डाल रहे थे। पहले जो अच्छी पैदावार करते थे। अगर उनके साथ में खिलवाड़ किया गया तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के उत्पादन के साथ खिलवाड़ है।

सभापति महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना है। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। खाली नारों से कुछ नहीं होगा। विद्युत् मन्त्री जी व्यवस्था करें। कम से कम हम एक कस्बा ले लें। यह देख लें कि कब उसके डिमाण्ड नोटिस भरे हैं? किसका दोष है? इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है, सभापति महोदय, जो यह बात पैदा हुई कि काश्तकार मैटिरियल वहां से उठा कर कनेक्शन के स्थान तक ले जाते हैं तो हो सकता है कि इसके अन्दर खर्चा होता है वह लोग अपनी-अपनी जेबों में डाल रहे हों। उस खर्च को बता कर वह लोग लेलें और काश्तकार खुद उठा कर मैटिरियल वहां ले जा रहे हों इस तरह की चर्चा आज चली है।

मेरा निवेदन है कि आप बिजली को बिजली की तरह रखें, जैसे कि बटन दबाने से रोशनी होती है, उसी तरह से आप काश्तकार को बिजली देकर जीवित रखिये, यदि आपको देश का उत्थान करना है और देश को आगे बढ़ाना है। आपको विद्युत के मामले में सजग और सतर्क रह कर काम करना पड़ेगा।

मेरा सुझाव है कि विद्युत् के सम्बन्ध में आज काश्तकारों के साथ खिलवाड़ हो रही है यह वास्तव में सही है, इसलिए काश्तकारों को समय पर बिजली दी जानी चाहिए।

राजस्थान में पांच छः वर्ष से अब अच्छी बारिश हुई है, इस कारण आज कुओं में पानी है, उसका उपयोग वे कर सकते हैं। काश्तकार रबी की फसल के पहले पैसा भर देते हैं तो उनके खेतों की पिलाई होनी चाहिए और अगर पिलाई नहीं होती है तो उसका हर्जाना वसूल होना चाहिए। यह जो प्रावधान है इसके सम्बन्ध में देखना चाहिए कि इसका उपयोग हो रहा है या नहीं। नहीं तो होगा यह कि पुराने साधनों में वह जितना उत्पादन कर रहा था उससे भी वह वंचित रह जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार, विद्युत् मंत्री और चेअरमैन साहब, जब कि हम मानव मानव के लिए सोचते हैं, तो वे काश्तकार के लिए सोचें। अगर हम इस दिशा में नहीं सोचेंगे तो हम जीवित नहीं रहने वाले हैं क्योंकि आज पचास प्रतिशत आय काश्तकारों से होती है।

अगर इस दिशा में सरकार सोचेगी तो लोगों में लोकप्रिय सरकार के प्रति आस्था उत्पन्न होगी और काश्तकारों में अपनी शक्ति और श्रम के प्रति भी आस्था उत्पन्न होगी। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में हम सचेत रहें और सारा सदन एक स्वर में सरकार को इस बात के लिए पाबन्द करे कि विद्युत् विभाग और विद्युत् मंडल इस सम्बन्ध में सजग और जाग्रत रहें। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री विट्ठल भाई!

श्री विट्ठल भाई : सभापति महोदय, विद्युत विभाग का हर साल हमारे सामने बजट पेश होता है। आज भी हमारे सामने पचास करोड़ रुपये का विद्युत् विभाग का बजट आया है पास होने के लिए। यह असेम्बली बजट पास करती है, सब कुछ करती है—वह सब कुछ ठीक है। मेरा यह सुझाव है, जैसे मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने जो शिकायतें की हैं वह

(श्री विट्ठल भाई)

मेरी भी शिकायत है, यह शिकायत हर जिले की है। एक तो भ्रष्टाचार है, लोगों को समय पर बिजली नहीं देना, दूसरे राजनैतिक पक्षपात–इन दो चीजों ने बिजली विभाग को बिल्कुल लूट रखा है। इधर आज सत्तारूढ़ दल की ओर से, कांग्रेस की ओर से यह कहा जाता है कि समाजवाद लाना है तो घर-घर तक पहुँचानी है बिजली, खेत-खेत तक पानी पहुँचाना है। लेकिन यह केवल जबानी कहा जाता है। कथनी और करनी में फर्क है। इस चीज को मिटाना चाहें तो आप मिटा सकते हैं, लेकिन मंत्री महोदय ध्यान देते नहीं, कर्मचारी मनमानी करते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि बांसवाड़ा जिला है, वह एक आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर ९० प्रतिशत आदिवासी रहते हैं, हर साल वहां पर अकाल पड़ता रहता है, कभी पानी वहां कम पड़ता है, कभी ज्यादा पड़ता है, वह पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहां पर पानी ज्यादा बरसने से फसल बह जाती है, नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर जो नदियां हैं, जैसे माही, उस माही नदी में बिजली लगाई जाय। वह एक बहती हुई नदी है सारे इलाके में। इसी प्रकार बनास नदी है, कुशलगढ़ में यह नदी बहती है। इसी प्रकार चार-पांच छोटी छोटी नदियां हैं, ये सारे इलाके में बहती हुई नदियें हैं। इनके अलावा ऐसे कुए भी हैं। लेकिन उस इलाके में किसी भी कुए में बिजली नहीं लगी है और न माही नदी में बिजली लगी है।

वहां पर सराड़िया का बांध है और कुए हैं, उस बांध पर बिजली लगाने के लिए लोगों ने प्रार्थना की, लेकिन क्या किया। वहां पर लाइन लगा दी, मोटर लगा दी लेकिन दो साल हो गये हैं फिर भी करेन्ट नहीं दिया गया है। वहां के काश्तकार बिजली विभाग के इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजिनियर के पास रोते फिरते हैं। मंत्री महोदय के पास भी आये और इस सम्बन्ध में उनका ध्यान भी आकर्षित किया, लेकिन हमारे मंत्रीजी तो पक्षपात करते हैं, इसलिए आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जैसा अभी कहा कि एक दिन वह आयेगा जब किसान बिजली अपने आप ले लेंगे और किसी से डरेंगे नहीं। यह समय आने वाला है।

घाटोल तहसील है वहां के थोड़े गांव हैं, उस क्षेत्र में बिजली दे दी। लेकिन खमेरा मेरा क्षेत्र है, जो वहां से केवल चार मील है, उस खमेरा में बिजली की मांग है, वहां पर कुए हैं, बंधे हैं लेकिन वहां पर बिजली नहीं दी जाती है क्योंकि यह समाजवादियों का क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है। जोशीजी का क्षेत्र घाटोल है, वहां पर बिजली दे दी गई। यह मैं आपको पक्षपात का नमूना बता रहा हूं। बागीडोरा में बिजली दे रहे हैं, लेकिन कुशलगढ़ के हिस्से में बिजली नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह हीराभाई का इलाका है, समाजवादी इलाका है। तो यह पक्षपात बुरी चीज है, लेकिन पक्षपात किया जा रहा है।

मेरा निवेदन है कि बिजली के मामले में जो आदिवासियों के साथ आदिवासियों विकास के मामले में पक्षपात कर रहे हैं—यह अन्यायपूर्ण है। इसके खिलाफ आदिवासी लड़ेंगे और आपके लिए इसका नतीजा बुरा होगा। मैं निवेदन करूंगा कि जहां-जहां के लिए आपका प्लान है, मैं यह नहीं कहता कि सारे जिलों में एक साथ बिजली लगा दी जाय, कोई भी क्षेत्र हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी हो, किसी का भी हो–उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए और उसके अन्दर आपको बिजली

(श्री विट्ठल भाई)

देनी चाहिये और वहां के विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम कहेंगे कि आपने कुछ किया, लेकिन पक्षपात चलता रहे तो ठीक है, दो साल चलायेंगे, तीन साल चलायेंगे, मतलब कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं जैसे कि अभी म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए बांसवाड़ा में तो बांसवाड़ा में हरिदेव जोशीजी की धूल उड़ायी, वहां पर हरिदेव जोशी मुर्दाबाद के नारे लगाये और शहर के लोगों ने कांग्रेस को हराया और जितने भी विरोधी थे वे आज जीत कर वहां बैठे हुए हैं। आज शहर में यह हालत हो रही है तो गांवों में पंचायतों के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो आप यह मत समझिये कि गांवों में यह कहोगे कि हमें वोट दोगे तब ही बिजली देंगे। ठीक है, आज सब लोग समझ चुके हैं, शहर के लोग समझ चुके हैं और गांव के लोग भी समझ चुके हैं। यह मत समझिये कि पक्षपात करके जीत जायेंगे। जो भी क्षेत्र गिरे हुए हैं उनको आप विकसित क्षेत्रों के बराबर लायें, फिर भले ही कांग्रेस रहे। सबको आप बराबर लायें अगर आपको समाजवाद लाना है। आज जो आप और इन्दिरा गांधी नारा लगा रही हैं, वह नारा अगर नारा ही रहा तो इसका मतलब यह होगा कि आप इस तरह से खोटा नारा लगाते हैं, इससे न इन्दिरा गांधी का राज चलेगा और न राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया का राज्य रहेगा। मैं आज कह रहा हूं कि आप खोटा नारा नहीं लगायें। मैं तो कहूंगा कि जितना भी पक्षपात है उसको आप मिटायें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बांसवाड़ा में तो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में हम जीते हैं।

श्री विट्ठल भाई : बांसवाड़ा में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में कांग्रेस हार गई, मुर्दाबाद के नारे लगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जीत गई।

श्री विट्ठल भाई : मैं कह रहा हूं, कांग्रेस हार गई, जिनके लिए भी कांग्रेस ने एलान किया वह हार गये और वह लोग जीत गये जो कांग्रेसी नहीं थे और जब चेयरमेन चुन कर बैठेगा वह भी कांग्रेसी नहीं होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारा चेयरमेन बनेगा।

श्री विट्ठल भाई : नई कांग्रेस का चेयरमेन नहीं होगा। इन्दिरा गांधी के मुर्दाबाद के नारे लगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

(श्री नाथूराम के खड़े होने पर) देखो नाथूभाई क्या कर रहे हैं।

श्री विट्ठल भाई : यह क्या कहेंगे। जो कहते हैं ठीक है, लेकिन स्थिति जानते जरूर हैं।

श्री नाथूराम : बिल्कुल गलत बात है। आपका कहना बिल्कुल गलत है। चेयरमेन कांग्रेस का बनेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत बात है।

श्री विट्ठल भाई : जोशीजी भाग आये, रातों रात यहां आये। नहीं करने दिया भाषण। आज करते हैं भाषण। ठीक है, लेकिन गांवों में नहीं आपको पूछने वाले हैं। आपकी कांग्रेस शहर में हार गई,

(श्री विट्ठल भाई)
बांसवाड़ा इलाके के गांवों के लिए कहता हूं दावे के साथ कि पंचायतों के चुनाव में देख लेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : विट्ठल भाई की राजनीति यह ही रह गई है कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में कांग्रेस जीती, उसको हारा हुआ कह रहे हैं।

श्री विट्ठल भाई : राजनीति क्या, कांग्रेस हार गई।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जीत गई। चैयरमेन बनेगा तब और मालूम हो जायगा।

श्री विट्ठल भाई : जोशीजी ने जिनको डिक्लेग्रर किया वे हार गये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : चैयरमेन कौन बनेगा ?

श्री नाथूराम : कुशलगढ़ में हारे नहीं। तुम केन्डीडेट खड़े नहीं कर सके।

श्री विट्ठल भाई : केन्डीडेट का सवाल नहीं है। केन्डीडेट कोई कांग्रेस के नाम से खड़ा हुआ, वह नहीं जीता। विरोधी जीता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कांग्रेस के नाम से नहीं, जीते हम। कांग्रेस के नाम से खड़े नहीं हुए।

श्री विट्ठल भाई : विरोधी जीते हैं। कांग्रेस के नाम से जिन्होंने डिक्लेग्रर किया वे नहीं जीते हैं।

(४ म. प.)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री विट्ठल भाई : मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन मुझे छेड़ा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जल्दी करें।

श्री विट्ठल भाई : इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में माही नदी है। वहां ज्यादा से ज्यादा बिजली की जरूरत है। मध्यप्रदेश से लेकर बिजली आ गई है। बॉर्डर पर बांसवाड़ा आ गया, ज्यादा फासला नहीं है। इसलिये वहां बिजली लाकर बांसवाड़ा क्षेत्र में दें तो अच्छा है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा एक आदिवासी क्षेत्र है, वहां बिजली जरूर आ गई है लेकिन सिंचाई के लिये जहां बिजली की मांग है, वहां पर व्यवस्था नहीं हुई है। जैसे बांसवाड़ा जिले में जगह-जगह लोगों ने कुए खोद रखे हैं, वहां पर वर्षा नहीं होती है तो नदी नाले बहते रहते हैं। बिजली की लाइन जरूर गई है लेकिन उत्पादन के लिये बिजली की उचित व्यवस्था नहीं हुई है जैसे—सागवाड़ा से बांसवाड़ा बिजली पहुंची है और पास में माही नदी बहती है लेकिन जगह-जगह लिफ्ट के लिये बिजली मांगी है और अकाल के समय जहां लिफ्ट लगी थी उस समय भी गेहूं वगैरह की काफी पैदावार की थी और जहां पर बिजली पहुंची है जैसे—बागीडोरा और गढ़ी क्षेत्र है, वहां पैदावार बढ़ी है। बागीडोरा से बिजली की लाइन जरूर पहुंची है, कुओं के के लिये बिजली की मांग की है और कई गांवों के लोगों ने बिजली के पैसे भर दिये हैं, मोटरें लगा दी हैं लेकिन करेंट नहीं मिला। लोगों

(श्री नाथूराम)

वे दो-दो तीन-तीन हजार रुपये खर्च किये लेकिन बिजली न मिलने से लोगों को निराशा हो रही है। इसलिये बागीडोरा व गढ़ी में लोगों की काफी मांग है। नदी-नाले बहुत बह रहे हैं इसलिये कृषि उत्पादन के लिये ज्यादा से ज्यादा बिजली की व्यवस्था करनी चाहिये। वैसे बांसवाड़ा जिले में कुछ जगह बिजली की व्यवस्था है पर वहां पर समय पर करेंट नहीं मिलता है। ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट के लिये और कुओं पर बिजली लगनी चाहिये ताकि उत्पादन ज्यादा बढ़े। वैसे पिछले साल लोगों ने मांग की थी और जिला परिषद ने प्रस्ताव भेजा था जो लगान का पैसा था वह भी लोगों ने दे दिया। कई बार प्रस्ताव भेजा है गढ़ा से बोरी और बोरी से दूसरी जगह के लिये मांग है, वहां ज्यादा से ज्यादा छोटे मोटे गांव पड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा कुओं और लिफ्ट से अनाज के उत्पादन की मांग है। इसलिये भूंगिया क्षेत्र बिल्कुल बिजली से वंचित है। वहां पर व्यवस्था होनी चाहिये।

गढ़ी तहसील में जहां नदी के किनारे लिफ्ट लगी है, अभी गेहूं के लिये लोगों की काफी मांग है, वहां लिफ्ट के लिए व्यवस्था करदी है लेकिन बिजली की व्यवस्था न होने से कृषि उत्पादन में काफी नुकसान होगा। जहां लिफ्ट है लिफ्ट के लिये करेंट न मिलने से गढ़ी तहसील में नुकसान होगा। वहां जमीन पड़ी हुई है। अगर इस महीने जहां-जहां लिफ्ट है बिजली का करेंट नहीं पहुंचा तो लोगों की खेती को काफी नुकसान होगा। इसलिये बांसवाड़ा जिले में माही में पानी बहता रहता है। कई छोटे-मोटे नाले व नदियां ऐसी हैं कि सारे जिले में सिंचाई हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट से सिंचाई हो सकती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर तीनों आदिवासी क्षेत्र हैं, उनके लिये ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंचानी चाहिये ताकि जो प्रकृति की देन है, जो पानी वहां बहता रहता है, उससे ज्यादा से ज्यादा बिजली के द्वारा सिंचाई हो सके। जंगल खत्म होने से वहां कभी-कभी वर्षा कम होती है। इस साल तो करीब-करीब पानी बरसा लेकिन बांसवाड़ा में भूंगिया और गढ़ी में पानी नहीं बरसा, जहां अमूमन पानी बरसता रहता है। बिजली पहुंच गई है लेकिन बिजली के लिये विशेष व्यवस्था न होने से किसान तरसता रहता है कि हमको बिजली कब मिलेगी। किसान लोन लेने के लिये कोशिश कर रहा है, सरकार ने व्यवस्था अच्छी की लेकिन बांसवाड़ा जिले में जितने विकास अधिकारी आए हैं निकम्मे रहे हैं, हर पंचायत समिति से ५०-५० फॉर्म भराए, बैंकों से ऋण दिलाने के लिये लेकिन किसी किसान को लोन नहीं मिला। यह पंचायत समिति की तरफ से अव्यवस्था रही। एक तरफ सरकार ने आदेश कर दिया कि बैंकों से ऋण मिलेगा पंपिंग सेट्स के लिए, बिजली के लिए लेकिन किसी किसान को लोन नहीं मिला। मेरा निवेदन है कि जैसे आदेश हुए हैं वैसे किसानों को पंपिंग सेट्स के लिये, मोटर लगाने के लिये, बिजली के लिये ज्यादा से ज्यादा बैंकों से ऋण दिलाना चाहिये। अगर यह व्यवस्था होगी तो अकाल में कभी लोगों को तकलीफ नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा होगा।

सरकार से आदेश हो जाते हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता है। रबी की फसल का समय आ रहा है। वहां लोगों ने जहां मोटरें लगा रखी हैं, अगर वहां करेंट

Page No 100

(श्री नाथूराम)

नहीं मिलेगा तो उनको नुकसान होगा। इसलिये बांसवाड़ा जिले में जहां-जहां लोगों की मांग है वहां ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : सभापति महोदय, अजमेर जिले में केकड़ी पंचायत समिति ऐसी पंचायत समिति है जहां पर ग्रामीण विद्युतिकरण अभी तक नहीं हुआ है। उसमें सिर्फ इतने सालों के बाद एक गांव में विद्युतिकरण हुआ है, वह है लसाड़िया जबकि उप पंचायत समिति क्षेत्र में दो बड़ी-बड़ी नदियां पड़ती हैं। केकड़ी पंचायत समिति में सन् १९६० से बिजली की मांग है। सन् १९६० से कई गांवों को जैसे चोसला, चनथली, बास्टा, सुन्दरपुरा, वगैरा आदि के प्रार्थना-पत्र बिजली हेतु विचाराधीन है जबकि इन गांवों में २५० कुएं हैं। सर्वे किया जा चुका है लेकिन अभी तक बिजली नहीं दी गई है। देवली से अजमेर तक लाइन है जिसके नीचे कम से कम २० गांव आते हैं, उनके ऊपर से बिजली जा रही है लेकिन नीचे के गांवों को बिजली नहीं दी गई है। यह बड़े अफसोस की और खेदजनक बात है कि ट्रान्सफोर्मर उपलब्ध नहीं हो रहें है कह कर टाला जाता है। खारी नदी पर खादेडा, पीपलाज, मेहरू, सहारा, सावर, भान्डावास, उन्दरी, धुन्धरी, टांकरवास, बास्टा, सुन्दरपुरा, चनथली, चोसला आदि गांव हैं जहां से बिजली आयी हुई है। खादेड़ा दो मील पर पड़ता है। दो-दो तीन-तीन मील पर बहुत सारे गांव खारी नदी पर पड़ते हैं जहां पर बिजली नहीं गई हुई है। फूलिया गांव में बिजली गयी हुई है। भासू बघेरा तीन मील की दूरी पर है। वहां की आबादी चार-पांच हजार की है। देवगांव बघेरा अन्न की दृष्टि से काफी अच्छे गांव हैं जहां की जमीन अच्छी होने से काफी अन्न की पैदावार हो सकती है लेकिन बिजली वहां नहीं दी गयी है। केकड़ी सरकल में चारों ओर बिजली आयी हुई है लेकिन वहां के पास के गांवों को बिजली नहीं दी गयी है। केकड़ी तहसील को सांवरा में बिजली नहीं दी है जब कि जहाजपुर तहसील के ग्राम पण्डेर में बिजली है जो सांवर से करीब चार मील पर है। [illegible]

मीटर को भी कोई देखने वाला नहीं है। एक दफा लगा दिया। ४७° पर मीटर लगा हुआ है ४७ पोइन्ट पर लेकिन हर महीने नौ दस रुपये का बिल आ जाता है। कभी दस बारह रुपये का बिल आ जाता है। कोई देखने वाला नहीं।

माननीय सभापतिजी, केकड़ी, देवली और अजमेर लाइन पर कई गबन हुए हैं। उसका विधान सभा में बार-बार जिक्र किया है। लेकिन एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सस्पेन्ड कर दिया है। राज्य सरकार खुद १६ हजार का गबन मानती है लेकिन मेरी नालेज से तो लगभग १॥ लाख रु० से कम का गबन नहीं है। बेचारे गरीब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सस्पेन्ड कर दिया है जब कि उसका कोई कसूर नहीं और दूसरे ही लोग रुपया खा गये और मामले को दबा दिया है। उस कर्मचारी का नाम हरिराम है।

सभापति महोदय, २२ तारीख को हर महीने कन्ज्यूमर को बिल मिलता है। २३ तारीख २४ तारीख को बिल का पेमेन्ट कर दिया जाता है फिर भी कनेक्शन काट दिया जाता है। उसको वापस लगाने के लिए

Page No 101

(श्री देवीलाल बुरासियां)

वहां केकड़ी में फीस नहीं ली जाती है जब कि जूनियर इन्जीनियर का वहां दफ्तर है। कहा यह जाता है कि नसीराबाद जाकर असिस्टेन्ट इन्जीनियर के यहां जाकर जमा कराओ। जिन गांवों में लाइन निकाली है वहां भी किसी को कनेक्शन नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डाई नदी और खारी नदी के इन गांवों को बिजली दी जाय। फूलिया से तीन मील पर पीपलाज गांव है, वहां पर बिजली दी जाय।

इतना ही कह कर स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा-सु.) : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय बिजली मंत्री का ध्यान उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। उस क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर आदिवासी लोग हैं और वे आदिवासियों की आबादी के गांव हैं, और भी काश्तकार हैं। ये लोग काफी पिछड़े हुए हैं और उस वर्ग में आते हैं। मेरा क्षेत्र सराड़ा क्षेत्र है। उदयपुर से सलूम्बर तक बिजली की लाइन उस क्षेत्र में से होकर निकाली गयी है। उदयपुर के आठवें मील से लेकर सलूम्बर तक बिजली की लाइन आती है। सराड़ा तहसील के गांवों में से होकर बिजली की लाइन गयी है लेकिन उसके आसपास जो काफी अच्छे गांव हैं, काफी मात्रा में जहां कुए हैं, उन गांवों को भी बिजली नहीं दी गयी है। जब सलूम्बर को बिजली पहुँचायी जाती है और सराड़ा तहसील के गांवों से होकर बिजली जाती है तो क्या सराड़ा तहसील के गरीब आदिवासी, गरीब जनता बिजली की हकदार नहीं है? उनके कुओं में पानी न हो ऐसी स्थिति भी नहीं है। काफी कुए खुदे हुए हैं, उनमें काफी मात्रा में पानी भी है लेकिन राज्य सरकार ने उन कुओं पर बिजली देने का कोई प्रावधान नहीं रखा है। जयसमुद से लेकर चिहाड़ा होकर बिजली दी गयी है। रिखबदेवजी के लिये भी दी जा चुकी है। खेरवाड़ा के लिये जावर माइन्स से दी जाती है जो गिरवा तहसील के काफी गांवों में से होकर परसाद से कनेक्शन करके आगे निकल गयी है। ८-९ मील की दूरी पर जाकर सराड़ा हैडक्वार्टर पर बिजली मिल सकती है। झाड़ोल, पलोदरा, इन गांवों को भी बिजली मिल सकती है। हर गांव में पचास, साठ, सत्तर कुए हैं। पंचायत समिति की ओर से विभाग को लिखकर दिया गया है, नक्शे बना कर भेजे गये हैं। गांव वालों ने भी लिखित रूप में विभाग को भेजा है लेकिन बिजली विभाग ने अब तक कोई तवज्जह नहीं दी है। हमारी सरकार काफी बिजली देने की आवाज उठाती है और प्रयत्नशील है यह कहती है लेकिन उस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जावर माइन्स से बिजली की लाइन खींच कर झाड़ोल होकर ताना होकर मिलाई जा सकती है। माइन्स वालों को भी बिजली पहुँचे तो सोपस्टोन के लिये कारखाने लगाने को तैयार हैं। राज्य सरकार इस ओर सर्वे नहीं करती है या बिजली विभाग नहीं करता है, इसका मुझे पता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इसमें देरी क्यों होती है। आज तक सर्वे नहीं हुई है।

मुझे इस बात की खुशी है कि गांवों को बिजली देने के लिये राज्य सरकार काफी

Page No 102

(श्री देवीलाल मीणा)

रकम मंजूर करना चाहती है तो उस आदिवासी क्षेत्र को भी सरकार भूल न जाय और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन गांवों को भी बिजली दिलावें।

जयसमन्द से भी मैंने लिखकर मंगाया है। वहां भी बिजली की लाइन निकल चुकी है। परसाद से भी नजदीक पड़ती है। बीच में सराड़ा तहसील रह गयी है जहां बिजली नहीं दी गई है। इससे काश्तकारों को बड़ा दुःख होता है कि सरकार की ओर से हमारी देखभाल नहीं होती है।

सलूम्बर से खेला, ईटाली होकर ऊरोई तक बिजली की लाइन निकल जाय तो ईटाली खेड़ा के पास होकर सोम नदी बहती है, पहले भी जहां पर सिचाई विभाग की ओर से लिफ्ट ईरिगेशन के लिये वाटर पंप लगाये गये उससे भी खर्चा अधिक आने से काश्तकार महरूम रह गये, काफी रुपया आने से वे दे नहीं पाते हैं। सलूम्बर से जो लाइन घोड़ाई तक गई है इसके बीच में सोम नदी पड़ती है वहां पर बिजली देकर उस नदी से पानी सिचाई के लिये दिया जाय। उसमें इतना पानी है कि चाहे कितने ही पम्प आप लगा लों वह पानी खूटता नहीं है। उससे काफी तादाद में पानी काश्तकारों को मिल सकता है। आरोड़ा और मोराई बान्ध में अच्छा पानी है वहां इन्जिन लगाया जाय। ईटालीपाल आदि पर कुए खोदे जा सकते हैं। इस स्थान से लिफ्ट ईरिगेशन के जरिये पानी लिया जा सकता है और इससे अच्छी पैदावार हो सकती है। इसका पानी कभी टूटता नहीं। वहां इतना अच्छा पानी है कि वह सारा इलाका उसमे सर-सब्ज हो सकता है।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डाकन कोटड़ा आदि गांव हैं जो उदयपुर के साथ में लगे हुए हैं इन गांवों में भी बिजली पहुँचायी जानी चाहिये। यह मैं बिजली मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। वहां के काश्तकारों को बिजली दी जाय वहां, पर काफी कुए खुदे हुए हैं। उदयपुर से वे नजदीक भी हैं। उधर से बिजली की लाइन भी निकली हुई है लेकिन उनको बिजली नहीं दी गई है। उदयपुर के आसपास आदिवासी इलाका है लेकिन उस इलाके में बिजली नहीं दी गई है। दूसरे वर्ग के लोगों को बिजली मिलती है लेकिन गरीब और आदिवासी लोगों को बिजली नहीं मिलती है अतः उनको बिजली दी जाय। बिजली मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब जो इलाके हैं जिनमें बिजली नहीं पहुँच पायी है उनको बिजली देने में प्राथमिकता दी जाय। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री केसरीसिंह हाड़ा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : सभापति महोदय, आज जिस विषय पर डिबेट चल रही है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। इस बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि माननीय मंत्री महोदय ने भी उन सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना होगा। मैं भी अपने बून्दी के इलाके की कुछ समस्याओं की ओर प्रकाश डालना चाहता हूं।

सभापति महोदय, विद्युत के मुख्य काम दो होते हैं एक तो उद्योगों को चलाना और दूसरा है कृषि को बढ़ाना। राजस्थान में ऐसे-ऐसे भी जिले हैं जहां पर बान्ध भी बन सकते हैं वहां पर बान्ध भी बने हैं। वहां से

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

नहरें निकाली गई हैं और फसलें भी वहां अच्छी होने लगी हैं इससे वहां के लोगों को राहत मिली है। लेकिन बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां से नहर नहीं निकल सकती, ऐसी जगहों पर विद्युत् जा सकती है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने ऐसे स्थानों के लिये विद्युत् सप्लाई करने की ओर ध्यान नहीं दिया। अब तक जो भी नीति रही है वह सरकार की पक्षपात पूर्ण रही है! बून्दी जिले के हिन्डोली क्षेत्र में नैनवा तहसील का विद्युतिकरण किया। इसके लिये जो विद्युत् लाइन गई है वह उनियारा से होकर, नगर होकर गई है जो लाखेरी से होकर इन्द्रगढ़ होकर लाई जा सकती थी। उधर समाजवादियों का बोलबाला है इसलिये कांग्रेस के लोग चिन्तित हैं। उनके ग्रामों को बिजली नहीं मिलनी चाहिये उन ग्रामवासियों को नुकसान पहुँचाने के लिये उनके लिये विद्युत् का कोई प्रबन्ध नहीं किया है। नैनवा से बून्दी के बीच जो लाइन गई है उसमें कुओं से बहुत सिंचाई होती है। विद्युत् इन्द्रगढ़ होकर आती है तो इस बीच में जितने भी कुए पड़ते हैं उनको बिजली मिल सकती है और पम्पों से सिंचाई हो सकती है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार केवल नारा समाजवाद का लगाती है लेकिन इसका आचरण बिल्कुल समाजवाद से विपरीत है। इनकी ओर से समाजवाद के लिये कोई कार्य नहीं किया जाता। आज विद्युत् जो भी दी जा रही है, बड़े-बड़े लोगों को दी जा रही है जे० के० इन्डस्ट्रीज कोटा, डी० सी० एम० कोटा, राम रैयन्स कोटा इन उद्योगों को तीन पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है। आप यह सुनकर आश्चर्य करेंगे कि इन सेठों को तीन पैसा प्रति यूनिट के हिसाब में जहां बिजली मिलती है वहां वे बिजली की चोरी भी करते हैं, इसकी चोरी करने से भी बाज नहीं आते। समाचार-पत्रों में आज से दो साल पहले आप सबने पढ़ा होगा कि डी० सी० एम० उद्योग द्वारा की गई बिजली की चोरी पकड़ी गई थी। एक तरफ काश्तकार जो अपनी पैदावार बढ़ाना चाहता है, देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहता है उस काश्तकार को तो आप विद्युत् महंगी देते हैं और ऐसे सेठ जो चोरी से बिजली को खपत करते हैं उनको तीन पैसा प्रति यूनिट देते हैं यह बड़े आश्चर्य की बात है। काश्तकारों को आप १३ पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से देते है जो बहुत महंगा पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इस ओर विद्युत् मंत्री ध्यान दें। कम से कम जिस हिसाब से उद्योगपतियों को बिजली दी जाती है या तो उस हिसाब से काश्तकारों को भी दें या उन उद्योगपतियों को दी जाने वाली बिजली की रेट भी काश्तकारों को दी जाने वाली बिजली के समान कर दें।

सभापति महोदय, बून्दी के पास ठापड़िया फार्म है जिसके लिये पिकअप वेयर बना दिया गया जिसको लड्ढा जी अच्छी तरह से जानते हैं इनके यहां टेलीफोन की व्यवस्था कर दी, नहर पर सड़क बनादी अब उनको चाहिये क्या? अब तो वे सरकारी पैसे से ये सब बनवाकर निहाल हो गये। इसका असर यह होगा कि कांग्रेस को चुनाव के दिनों में उनकी जीपें मिल जायेंगी, सेठों से पैसा मिल जायगा। मगर मैं आपसे निवेदन करूं, टिकड़दा के अन्दर तीन चार साल से रुपया जमा हो चुका है वहां पर किसी तरह से सिंचाई के साधन नहीं हैं और विद्युत् भी नहीं है इससे उनको बड़ी असुविधा है। सारी

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

स्कीम तैयार है लेकिन उधर से विरोधी पक्ष के सदस्य हैं इसलिये उनको बिजली नहीं दी जाती। हमारे जिले में भैरोंप्रकाशजी प्रमुख हैं उन्होंने किसी भी तरह से कांग्रेस का साथ नहीं दिया वहां के लोगों को साफ कहा जाता है आप कांग्रेस का साथ नहीं दोगे तो आपके यहां विद्युत् नहीं लायी जायगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत् देने में जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, उसको छोड़ना चाहिये। विद्युत् उन स्थानों पर दी जानी चाहिये जहां नहरें आदि सिंचाई का साधन नहीं है वहां पहले विद्युत् दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय, इसके अलावा बहुत सी जगहों से जहां विद्युत् लाइन निकली है वहां अच्छे उद्योग लग सकते हैं। बून्दी से जो देवली लाइन गई है उधर होकर गई है वहां पर पत्थर ऐसे किस्म के हैं जो कई रंगों में मिलते हैं। वे पत्थर मकराना के पत्थर के मुकाबले किसी कदर कम नहीं हैं। वहां रंग-बिरंगे पत्थर निकलते हैं जिनके नमूने मैंने सदन में भी पेश किये है वहां अगर विद्युत् दी जाय तो वहां पर मकराना की तरह पत्थरों की सफाई हो सकती है। आजकल वहां से पत्थर निकाल कर मकराना भेजना पड़ता है। अगर विद्युत् वहीं मिल जाय तो इसका कारखाना वहां लग सकता है। इससे उद्योग का विकास होगा और वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और राहत भी मिलेगी। तो ऐसा पत्थर है···

श्री विजयसिंह (मकराना) : मकराना आने से थोड़ी जान पहचान बढ़ेगी।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मुझे थोड़े ही आना है। पत्थर को आना है।

सभापति महोदय, जो जिला उत्पादन समिति जिलों में कायम की गई है उसमें जिले का विधायक भी एक सदस्य रखा गया है। यह निर्णय श्री बरकततुल्ला साहब, जो उस समय के विद्युत् मन्त्री थे, उनसे बात होने पर मालूम हुआ था पर खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से विधायकों को उनमें सदस्य बनाया गया है एक बार भी उसकी मीटिंग नहीं हुई। इसके लिये मैंने विद्युत् मन्त्रीजी को भी लिखा, जिलाधीश को भी लिखा। जिलाधीश ने उत्तर दिया कि मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और विद्युत् मन्त्री ने कहा कि मैं उनको लिख दूंगा कि कलेक्टर उत्पादन समिति की बैठक बुलाए।

मगर हमारे यहां बूंदी में जो कुछ भी होता है वह तभी होता है जब बृजसुन्दरजी कह दें या भैरवप्रकाशजी कह दें। इनके सिवाय किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। जिलाधीश भी वहां इन दोनों की कृपा से ही रह सकता है। एस० पी० भी इनकी कृपा से तहसीलदार, एस० डी० ओ० इत्यादि सारे सरकारी अधिकारी, इरिगेशन के इन्जीनियर, बिजली के इन्जीनियर सभी इन दोनों की कृपा से ही वहां ठहर सकते हैं। जिनको ये चाहें वे रह सकते हैं, जिनको नहीं चाहें उनको उठाकर फेंक सकते हैं।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ये दोनों मन्त्री और जिला प्रमुख इस माफिक बूंदी में धींगामस्ती चला रहे हैं कि जो वे चाहें वही हो, न कोई दूसरी मीटिंग होने देते हैं न बुलाई ही जा सकती है। जिला प्रमुख और ये मन्त्री जो चाहते हैं वह कलेक्टर

(श्री केसरीसिंह हाडा) :
ऊपर लिखकर भेज देता है उसी को मान लेते हैं। तो यह भठियारे की दुकान कहां तक चलेगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि विद्युत् के अन्दर सरकार को पक्षपात नहीं करके जहां जरूरत हो वहां पर देनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त जहां पर तीन हार्स पावर, चार हार्स पावर की मोटरें लगी हैं उन पर कुट्टी की मशीनें भी लगाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वे किसान अपने मवेशियों को वह कुट्टी आसानी से खिला सकें। मेरे से पूर्व वक्ता जो कांग्रेस पक्ष से बोले थे, उन्होंने भी इसका सुझाव दिया था।

अन्त में मैं विद्युत् मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इसमें पक्षपात न करें। जहां जरूरत हो वहां विद्युत् दें ताकि सही माने में उत्पादन में वृद्धि हो सके।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडा रायसिंह) : सभापतिजी, आज विद्युत् विभाग की काफी माननीय सदस्यों ने चर्चा की। काफी इस विभाग की बुराइयां भी सामने आईं। इस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। मैं यही आशा करूंगा कि विद्युत् विभाग आगे इस तरह की गलतियां नहीं करेगा।

मेरे क्षेत्र में टोडा रायसिंह में बहुत कम बिजली आई है। मन्त्री महोदय नाराज होंगे अगर मैं बार बार इसके लिये कहूंगा तो। वे क्षेत्रीयता में पड़कर विधायकों का भी काम नहीं करते। वे कहते हैं कि वहां के स्थानीय मिनिस्टर जब उनसे कहेंगे तब वे कुछ करेंगे वहां पर क्योंकि अगर सदस्य के कहने से ही काम हो जाता है तो मन्त्रीजी की फिर क्या वकत रहे। इससे मन्त्री महोदय नाराज होंगे।

सभापति महोदय, मैं यह बात कहूंगा कि मन्त्री महोदय पक्षपात न करें। मन्त्रियों को मन्त्री की नहीं सुन कर विधायकों के कहने पर भी गौर करना चाहिये और उस उस क्षेत्र का विद्युतिकरण करना चाहिये।

सभापति महोदय, तारीख १५ सितम्बर को देवली क्षेत्र में पंचायत समिति की बैठक हुई। उसमें प्रधान पंचायत समिति ने वहां के विद्युत् इन्जीनियर से पूछा कि वहां पर जो दो जगह से दो विद्युत् इन्जीनियर आते हैं एक टौंक से और एक बूंदी से वे बतावें कि उनके क्षेत्र के कौन-कौन से गांव में बिजली दी गई और अब कहां-कहां बिजली देंगे? बड़े खेद की बात है कि टौंक के इन्जीनियर ने तो यह जवाब दिया कि मेरे पास कोई सैंक्शन नहीं आयी और जो इन्जीनियर बूंदी का था उससे पूछा तो कहा कि मेरे पास तो काशिर तथा गांव देवपुरा का ही नाम है जो टोडा रायसिंह क्षेत्र में पड़ता है।

अब मेरा यह निवेदन है कि टोडा रायसिंह क्षेत्र में बिजली की काफी मांग हुई है। पंचायत समिति से लिखकर भी विद्युत् विभाग में चला गया है। मैंने भी प्रार्थना-पत्र विद्युत् विभाग के मन्त्री महोदय को दे दिया है और अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट भी पानी के बारे में बहुत अच्छी सरकार के पास पहुंच गई है। वह रिपोर्ट टौंक से २९-१-७० को भेज दी गई, पर खेद है कि वह आगे चल कर गुम हो गई। पता ही नहीं लगता है।

अब मेरी अर्ज है कि अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट पर भी गौर किया जावे।

Page No 106

(श्री जगन्नाथ)

(श्री विजयसिंह मकराना के कुछ कहने पर)

अभी तो आप सभापति नहीं हैं। तो मैंने टोडा रायसिंह तहसील का जिक्र किया है। आप भी अपने क्षेत्र की मांग करते हैं। लोन भी ले रहे हैं। वहां ट्रान्सफोर्मर भी लगा रहे हैं। एक ट्रान्सफोर्मर आपने उधर भी लगाया है। ग्राम पंचायत के सुमारिया और उवांलिया ये दो गांव हैं। वहां के आसपास के काफी खेतों की और आसपास के कुओं की दरख्वास्त है काफी मांग हैं वहां बिजली की। विद्युत् विभाग वहां कनेक्शन दे। साथ-साथ माननीय सदस्य टौंक के भी होंगे। वे तो कहेंगे शायद उनका क्षेत्र है। वहां टौंक तहसील में मदवास गांव में काफी कुए हैं, वहां से आगे चार मील अरणिया छाछ महुवा में करीबन ५०० कुए हैं। पानी १८ फीट ऊपर ही है। तो वहां विद्युत लाइन आप ले जावें। पर वहां आप लाइन नहीं ले जाते तो मालूम नहीं कहां का दबाव है।

इसलिये मेरी अर्ज है विद्युत मन्त्रीजी से कि उस लाइन को पूरा करावें और उन कुओं में किसानों को बिजली दें और उन कारखानों को ज्यादा न दें जब तक कृषि के अन्दर बिजली ज्यादा दी जावेगी। तब ही हमारे राजस्थान की तरक्की होगी। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री देवीलाल !

श्री मनोहरसिंह मेहता: श्री देवीदत्त।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय सभापति महोदय, विद्युत विभाग ने एक कर्जे के रूप में जो ५० करोड़ की मांग की है उस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरी जानकारी के अनुसार आज विद्युत विभाग के अन्दर जो करोड़ों रुपयों का नुकसान है वह नुकसान किन कारणों से है उसके ऊपर यदि विभाग ने कोई कार्यवाही की होती तो मैं समझता हूं विद्युत् मण्डल को करोड़ो रुपयों की बचत हो सकती थी। माननीय सभापति महोदय, यह विद्युत् मण्डल यदि वास्तविक रूप से देखा जाय तो आज राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। आज इसमें भयंकर फूट है, भयंकर दलबन्दी बनी हुई है।

मैं नहीं समझता राजस्थान के मुख्य अभियन्ता और राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता इन दोनों के बीच में एक ऐसी दरार पड़ी हुई है वह दरार उन दोनों के मध्य में न होकर आज तक सत्ता में बैठे हुये लोगों के बीच में है और उसी कारण से यह विद्युत् मण्डल रसातल में जा रहा है। उस दरार के अन्दर चेयरमेन की भी बहुत बड़ी फूट है और उसी कारण से आज राजस्थान का गरीब व्यक्ति चाहे किसी जिले से बिजली की मांग को लेकर जाता है तो यदि मुख्य अभियन्ता ने उसको मन्जूर कर लिया तो दूसरे अभियन्ता ने उसको काट दिया। अगर उसने लिख दिया तो तीसरे अभियन्ता ने उसको अपनी कलम से काट दिया यह भयंकर दरार उनमें चले और राजस्थान का मन्त्रि-मण्डल मौन धारण करके बैठा रहे। आज जो करोड़ों रुपयों का नुकसान है उस पर ध्यान नहीं देते हैं।

मैं माननीय मन्त्री महोदय को एक बात पूछना चाहता हूं कि इस विद्युत् विभाग में करोड़ों की खरीद प्रति वर्ष होती है। जो

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मशीनें लाखों रुपयों की लागत की हैं वे काम में नहीं आ रही हैं। क्या आप उनकी जांच करवायेंगे ? जो टेन्डर जिस सामान के मांगे जाते हैं उसके अनुकूल सामान क्यों नहीं लिया जाता है ? सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं इस विभाग ने बिल्स की मशीन खरीद की। आज बिल्स की दो मशीनें वैसी की वैसी रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई हैं एक कमरे में बन्द पड़ी हुई हैं। कोटा में जाकर आप देखें तो आपको पता लग जायगा। इस प्रकार बिल्स बनाने की मशीन की खरीद करने की क्या आवश्यकता थी ? किसी व्यक्ति को खुश किया गया है। लाखों रुपये की मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं क्या किसी अधिकारी का जवाब तलब किया गया ? आज तक नहीं किया गया। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय, आज से करीब दो-तीन साल पहले सीमेन्ट के पोल्स बनाये जाते थे उससे बेरोजगारों को रोजगार मिलता था और सीमेन्ट के पोल्स थे उसकी कीमत भी अधिक से अधिक १०० रुपये या उससे कम आती थी लेकिन विभाग के अधिकारियों ने उसका निर्माण बन्द कर दिया और बाहर से इम्पोर्ट जारी कर दिया और जब उसकी मांग करते थे तो विभाग यह कहता था कि हमारे पास सामान नहीं है। इस प्रकार की बातें कहकर गरीब लोगों को बिजली नहीं दी जाती है। मैंने बार-बार राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया। कोटा में सीमेन्ट बहुत है, कोटा के पास सारे साधन हैं सीमेन्ट के पोल्स बनाने के लिये फिर क्या कारण है पोल्स का काम बन्द किया गया ? इतना ही नहीं सभापति महोदय, इस विभाग में भयंकर घोटाला है। कोटा में एक गेस टरबाइन है जिसकी कीमत ५० लाख है जो विदेश से इम्पोर्ट की गई है। भारत सरकार का कहना था कि दूसरी सरकार को यदि दिया जाय तो इम्पोर्ट लाइसेन्स नहीं देंगे यह सप्लाई किया जाय लेकिन गेस टरबाइन क्यों खराब हुआ ? जो उस समय के सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर थे उन्होंने उसको स्टार्ट किया। उसमें पानी है या नहीं यह नहीं देखा। उसको टेस्ट नहीं किया गया। जान बूझकर इतने बड़े अधिकारी ने गेस टरबाइन को खराब करके रख दिया। जब गुजरात सरकार ने मांग की तो कहा गया कि खराब पड़ा हुआ है। ५० लाख की लागत का गेस टरबाइन क्यों खराब हुआ ? यह अधिकारियों की लापरवाही से खराब हुआ। मैं पूछता हूं यह खराब क्यों पड़ा है ? लेकिन यहां तो कहावत है 'आन्धी पीसे कुत्ता खाये' इस हिसाब से काम चल रहा है। इतना ही नहीं इस विभाग के अन्दर मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं हमारे यहां पर जो ट्रान्सफार्मर्स लगाये जाते हैं उसमें एक एक जूनियर इन्जीनियर की गलती के कारण, सुपरवाइजर की गलती के कारण, ए. ई. एन. की गलती के कारण आज जो जगह-जगह ट्रान्सफार्मर्स लगे हुये हैं वे जल जाते हैं। मेरे क्षेत्र में अन्ता, बारां, मांगरोल में करीब १० ट्रान्सफार्मर्स हैं जो करीब करीब सब जल चुके हैं। रद्दी की टोकरी में पड़े हुये हैं और उस पर विभाग ध्यान नहीं दे रहा है कि ये क्यों जलते हैं ? क्या आपने कभी इसकी जांच की ? हल्के ट्रान्सफार्मर्स लगा देने के कारण ये जल जाते हैं। और इसका दूसरी ओर नतीजा यह होता है कि उत्पादन बन्द हो जाता

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

है। जो बिजली काश्तकार को मिलनी चाहिये वह बिजली उसको नहीं मिल पाती है और जो बिजली से आय होती है वह भी बन्द हो जाती है। इतना ही नहीं सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस विभाग ने करीब ८० लाख के ट्रान्सफार्मर्स खरीदे थे। ये किस कम्पनी से खरीद किये गये, किस फर्म से खरीद किये गये और उसको सप्लाई का काम किन-किन कम्पनियों को दिया गया? उनके टेन्डर्स कितने थे, किस रेट्स के टेन्डर थे, किस किस फर्म ने टेन्डर दिये थे? लेकिन यहां तो सभापति महोदय, इस विभाग में सामान खरीदने में हर अधिकारी के बीच में होड़ लगी हुई है कि यह ऑर्डर्स मेरे द्वारा दिये जाने चाहियें। एक रिप्रजेन्टेटिव आता है और आकर वह उनसे मिलता है और अपना काम बना लेता है। सभापति महोदय, विद्युत् विभाग में भयंकर घोटाला है, विद्युत विभाग को लाभ हो, इसकी किसी को चिन्ता नहीं है।

इसी प्रकार मोटर की खरीद हुई। कितने मोटर परचेज किये गये, कितने टेन्डर थे, कितना समय दिया गया इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया। टेन्डर की अवधि लम्बी दी जाती है। अमूमन तीन महीने में सामान दे दिया जाय लेकिन इसकी भी कोई परवाह नहीं है। जो सामान मीटर का खरीदा गया है वह टेन्डर के अनुकूल नहीं है। जिस हिसाब से टेन्डर द्वारा खरीद की जाती है, उस हिसाब से सामान नहीं आता है। सभापति महोदय, जिस तरह इस विभाग में खरीद चल रही है उसमें भयंकर घोटाले हैं क्योंकि इस विभाग में करोड़ों की खरीद होती है और करोड़ों की खरीद में भयंकर घोटाले होते हैं। आयरन की खरीद, केबुल्स की खरीद और इनसूलेटेड स्विचेज की खरीद—इस प्रकार के सैकड़ों सामान लाखों रुपयों की लागत के खरीद किये जाते हैं जिनमें भयंकर घोटाले हैं।

हल्के दर्जे का सामान कन्जूमर को सप्लाई किया जाता है और उसका नतीजा यह होता है कि उसको बिजली की सप्लाई बन्द हो जाती है और वह हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाता है और उसको बिजली समय पर नहीं मिलती है। इसी प्रकार मीटरों का हाल है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर पर चले जाइये, हजारों की संख्या में मीटर टेस्ट के लिये पड़े हुये हैं लेकिन टेस्ट नहीं होते हैं। लोग चिल्लाते हैं, बिजली नहीं मिलती है तो कहते हैं मीटर नहीं हैं। मीटर क्यों नहीं हैं और इस तरह से हैडक्वार्टर्स के ऊपर ये मीटर्स क्यों पड़े रहते हैं? एक, दो महीने नहीं बल्कि ६-६ महीने तक सैकड़ों की तादाद में मीटर्स इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन टेस्ट नहीं होते। टेस्ट कब होते हैं जब कि कन्ज्यूमर और ठेकेदार जो टेस्ट करने वाले हैं उनको पैसा नहीं दे दें। जब पैसा मिल जाता है तो मीटर टेस्ट भी हो जाते हैं और मिल भी जाते हैं। इतना ही नहीं सभापति महोदय, आज हमारे राजस्थान के अन्दर बेकारी बढ़ रही है। इस विभाग के अन्दर असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स और जूनियर इन्जीनियर्स की नियुक्तियों के अन्दर बड़ा भयंकर पक्षपात चल रहा है। राजस्थान के बाहर के व्यक्तियों की नियुक्ति करना और राजस्थान का नवयुवक जिसने आज पोलीटेक्निक की परीक्षा पास कर ली है और आई. टी. आई. पास कर लिया है उनको कहीं काम नहीं

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मिलता है। आई. टी. आई. पास करने वाले व्यक्ति को राजस्थान का विद्युत् मण्डल आज सुपरवाइजरी का लाइसेन्स नहीं देता और वे दरदर की ठोकरें खाते हैं और मांग करते हैं कि हमको नौकरी दो। आप उनको नौकरी नहीं देते हैं तो कम से कम सुपरवाइजरी का लाइसेन्स तो दो लेकिन वह भी आप नहीं देते हैं। आप उसको वायरिंग का लाइसेन्स देते हैं लेकिन उस वायरिंग के लाइसेन्स से उस आई. टी. आई. पास करने वाले की समस्या हल नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि सुपरवाइजरी का लाइसेन्स देने में आपको क्या दिक्कत है? आज जो भ्रष्टाचार है उसका मुख्य कारण यह है कि दो-तीन ठेकेदार हैं जिनकी मानोपाली बनी हुई है और उनकी जूनियर इन्जीनियर्स और असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स से सांठगांठ होने के कारण आज उपभोक्ताओं को कनेक्शन्स नहीं मिलते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने सदन में जिस समय विद्युत् मण्डल मुख्य मंत्री जी के पास था उस समय मुख्य मंत्रीजी ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि इस प्रकार से ठेकेदारी के लाइसेन्स देने को और सुपरवाइजरी लाइसेन्स देने की समस्या हम जल्दी हल करेंगे लेकिन इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, यह जो बिजली प्रोडक्शन कमेटी बनी हुई है यह एक मखौल है। मैंने एक लेटर लिखा था कोटा के जिलाधीश को कि आप एक मीटिंग बुलाओ और जो बिजली की समस्यायें हैं उसमें उनका निराकरण किया जाये लेकिन आज तक एक भी बैठक बिजली के संबंध में कोटा जिला हेडक्वार्टर के ऊपर नहीं बुलाई गई। आज कोटा के अन्दर बिजली पैदा होती है लेकिन कोटा के गांवों को जो कि राजस्थान को ग्रेनरी है आज वहां के किसानों को बिजली नहीं है और इसके कारण विद्युत् मण्डल को आज करोड़ों रुपयों का नुकसान है। यदि राजस्थान के गरीब किसानों को सस्ती बिजली देने में नुकसान होता तो यह सदन स्वीकार करता लेकिन सस्ती बिजली किसको मिलती है बड़े-बड़े पूंजीपतियों को, जिनके कि कारखाने चल रहे हैं और जिसमें करोड़ों रुपये लगे हुए हैं और करोड़ों रुपयों का जिनको मुनाफा होता है। इनको तो राजस्थान की सरकार और विद्युत् मण्डल सस्ती बिजली देता है लेकिन राजस्थान का गरीब किसान जो कि देश को और राजस्थान की अन्न-समस्या को हल करता है, अन्न का उत्पादन करना चाहता है वह मांग करता है सस्ती बिजली के लिए लेकिन उसको सस्ती बिजली नहीं दी जाती है। अगर गरीब किसानों को सरकार को बिजली देने में नुकसान होता तो यह राजस्थान की सरकार इसको स्वीकार करती लेकिन सरकार तो उल्टी चल रही है। पूंजीपतियों को सस्ती बिजली और गरीब किसानों को सस्ती बिजली नहीं। सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा राज्य सरकार से और विद्युत् मण्डल से कि राजस्थान सरकार अपनी बिजली के संबंध में जो नीति है उसमें परिवर्तन लाये और जल्दी से जल्दी गरीब किसानों को बिजली दे। लेकिन आज बिजली मिलती नहीं है। जिस गांव में होकर बिजली की लाइन गयी है उस गांव के किसानों को बिजली नहीं मिलती है। यह क्या आपकी नीति है? आप कहते हैं कि ११ के. वी. की लाइन

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

नहीं है और एल. टी. लाइन नहीं गयी है। इस प्रकार की बातें कह कर गरीब किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मेरे इलाके में अन्ता, मांगरोल गांवों मे से होकर बिजली की लाइन गयी हैं मैंने विद्युत् मण्डल के मुख्य अभियन्ता को और चेयरमेन को बराबर पत्र लिखे कि इन गांवों में होकर बिजली गयी है और हर गांव में किसानों के १५० कुए हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिल रही है तो वे कहते हैं कि नम्बर आयेगा।

दूसरी नीति है इस विभाग के अन्दर कनेक्शन्स दिये जाने के बारे में प्रायोरिटी का नाम लिया जाता है कि एक रजिस्टर मेन्टेन करते हैं और पूछते हैं तो कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन है लेकिन नम्बर बाद में आयेगा। आज ६-६ महीने तक कनेक्शन्स नहीं मिलते। कारण क्या है? एक ओर तो बिजली हमारे पास में सरप्लस में है और दूसरी ओर बिजली नहीं दी जाती है। इसका क्या कारण है? इसकी जांच की जानी चाहिए। ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बारां के अन्दर बिजली का सब-डिविजन है लेकिन आज तक वहां पर असिस्टेन्ट इन्जीनियर क्यों नहीं है? जूनियर इन्जीनियर ही वहां पर काम कर रहा है। छबड़ा है, छीपाबड़ोद है, अन्ता है, मांगरोल है आप ही सोचें इतने बड़े इलाके के अन्दर क्या एक जूनियर इन्जीनियर काम कर सकता है? इतना ही नहीं सभापति महोदय, जिला झुंझुनूं हैडक्वार्टर है और मुझे बड़ा ताज्जुब है सभापति महोदय और आपको भी अनुभव है कि झुंझुनूं नगर के अन्दर जो कि जिले का हैडक्वार्टर है वहां पर असिस्टेन्ट इन्जीनियर नहीं है और एक जूनियर इन्जीनियर बूढ़ा डोकरा है जो कि कुछ नहीं समझता वह काम कर रहा है। और उसका हैडक्वार्टर चिड़ावा है जब कि वहां पर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर होना चाहिये वहां पर जूनियर इन्जीनियर काम कर रहा है। इसी प्रकार से झुंझुनूं जिले की इतनी भयंकर समस्या है लेकिन लोगों को कनेक्शन्स नहीं मिलते हैं। वहां के लोगों को पैसा जमा कराने के लिए चिड़ावा जाना पड़ता है, क्या यही व्यवस्था है विद्युत् मण्डल की कि झुंझुनूं के लोगों को चिड़ावा जाना पड़े? झुंझुनूं प्रोपर के अन्दर पैसा वे लोग नहीं जमा करा सकें।

इतना ही नहीं एक बात और कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कि लोसल के अन्दर तीन साल से बिजली के खम्भे हैं लेकिन ४९ खम्भों के अन्दर वायरिंग नहीं है और वहां के एक साबू सेठ जिनका कि वहां पर वाटर वर्क्स चल रहा है उसको कनेक्शन मिल गया लेकिन ग्राम पंचायत ने बराबर लिख कर दिया, मैं स्वयं एडीशनल चीफ इन्जीनियर के पास सरपंच को लेकर गया। उसने दरख्वास्त दी लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि सरपंच को लिख दे कि आपको ग्राम पंचायत के नागरिकों को कनेक्शन मिल जायेगा। ४९ खम्भे गड़े हैं जिनके ऊपर वायरिंग नहीं है। अगर वायरिंग हो जायगा तो भी कनेक्शन नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि उस साबू सेठ को कनेक्शन कैसे मिल गया? क्या आप पूंजी-पतियों के लिए ही व्यवस्था करना चाहते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए और गरीब किसानों के लिए आप व्यवस्था नहीं करना चाहते?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

दो मिनिट में समाप्त करता हूं। इतना ही नहीं सभापति महोदय, ये जो बिजली के कनेक्शन्स हैं वे राजनैतिक ग्राधार पर दिये जा सकते हैं। मैं बता सकता हूं मेरे पास लिस्ट नहीं है, लाकर दे सकता हूं कि एक व्यक्ति को कनेक्शन देने के लिए ३-३ मील की लाइन खींची गयी है और जब कि कोटा जिले के किसान बारां के किसान अपनी बिजली की लाइन मांगते हैं तो आप कहते हैं कि तुम्हें नहीं मिल सकती, जरा इन्तजार करो और सबसे बड़ी डिफीकल्टी यह है माननीय सभापति महोदय कि यदि किसी गांव में किसान को बिजली मिल गयी और उस गांव के किसान के पास दूसरा भी खेत है और जिसको दूरी ५० फीट पर है वह बिजली मांगता है तो कहते हैं तुम्हें बिजली नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी कि वे कहते हैं कि तुम्हारा खेत दूसरे गांव की ग्राम पंचायत में है। सिर्फ दूसरे ग्राम पंचायत में आ जाने के कारण बिजली नहीं मिलेगी। लेकिन दूरी पचास फीट की है लेकिन क्षेत्रफल दूसरी ग्राम पंचायत में होने के कारण कनेक्शन नहीं दें यह विद्युत् मण्डल की क्या नीति है? मैं मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के आदेश निकले हुए हैं जैसे उदाहरण के तौर पर कोयला ग्राम पंचायत है, वहां खेत में बिजली है और उसी के पास मिमांया ग्राम पंचायत है और वह उस खेत में बिजली मांगता है तो कहते हैं कि तुम्हारा खेत दूसरी ग्राम पंचायत में है इसलिए कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। यह हमारी नीति है तो नीति को बदलना चाहिये। एक किसान के खेत पर यदि कुए पर बिजली है और दूसरे खेत का क्षेत्रफल दूसरी ग्राम पंचायत में है और फासला बिलकुल भी नहीं है तो उसको बिजली जरूर दी जानी चाहिए। इससे किसानों को बिजली मिलेगी और अधिक उत्पादन बढ़ेगा और विद्युत् मण्डल को भी आय होगी। एक बात कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि जो इस विद्युत् मण्डल के अन्दर इस प्रकार की अन्धेरगर्दी चल रही है उसकी सबसे बड़ी खामी यह है मैं पूछना चाहूंगा मंत्रीजी कि क्या आप जवाब देंगे कि कोटा के अन्दर जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं और उनकी इन्डस्ट्रीज हैं जैसे डी० सी० एम०, जे० के० इनमें जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ—मुख्य मंत्रीजी को जनसंघ दल के नेता ने चुनौती दी थी क्या उसकी जांच हुई? उन्होंने चोर बाजारी से कनेक्शन लिया और सइ प्रकार से लाखों रुपयों की आय की और विद्युत् मण्डल को नुकसान हुआ उसका क्या हुआ? आज सभापति महोदय, अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री लड्ढा साहब आपको मालूम है कि जिस समय भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कोटा आने वाली थी उस समय जनसंघ ने चुनौती दी थी और उस समय मुख्य मंत्रीजी ने केबिनेट की मीटिंग बुला कर हमें लिखित रूप में दिया था कि कोटा जिले के हैडक्वार्टर किशनगंज, शाहबाद, इटावा के अन्दर बिजली पहुँचा दी जावेगी शीघ्रातिशीघ्र, क्या हुआ उस आश्वासन का? केबिनेट के निर्णय का क्या हुआ? आज तक राजस्थान के अन्दर तहसील हैडक्वार्टर के ऊपर बिजली नहीं दे सके क्या विद्युत् मण्डल की यही उपयोगिता है? और इतना ही नहीं मुझे बड़ा अफसोस है मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्रीजी मुझे विश्वास दिलायेंगे कि तहसील हैडक्वार्टर्स पर...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

Page No 112

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

किशनगंज, शाहबाद जो अन्न-उत्पादन के केन्द्र हैं, दीगोद, पीपलदा जहां इतना अधिक अन्न उत्पन्न होता है कि सारे राजस्थान को सप्लाई कर सकते हैं वहां बिजली सप्लाई कर देंगे। क्या वे इस प्रकार का आश्वासन देंगे ?

पंचायत समितियों की मीटिंग्स में विद्युत्मण्डल के जूनियर इन्जीनियर्स नहीं जाते हैं। बार-बार बुलाने पर भी नहीं जाते हैं। क्या यही विद्युत् मण्डल की व्यवस्था है ?

इतना ही नहीं, इस विद्युत् मण्डल में आज जितने घोटाले हैं आज यदि उसकी जांच कमेटी नियुक्त कर दी जाय तो मैं निश्चित विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसके अन्दर करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग हुआ है और लाखों रुपयों के घोटाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि राजमहल के अन्दर जो बड़े-बड़े स्कैण्डल हुए हैं जिनके अन्दर जूनियर इन्जीनियर्स और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को पुलिस गिरफ्तार करने वाली थी लेकिन राजनैतिक आधार पर मंत्रीमण्डल के एक सदस्य ने गृह मंत्रीजी के पास जाकर दबाव डाला और इस मामले की जो उस समय के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस मि० रस्तोगी जांच कर रहे थे, उनसे इसकी फाइल गृह मंत्रीजी ने मंगवा ली और आज तक इस मामले को दबाकर बैठे हैं। वह सामान चाहे खम्भे हों, चाहे तार हों मध्य प्रदेश में जाकर बिके हैं, पंजाब में जाकर बिके हैं....

एक माननीय सदस्य : टाइम हो गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसका क्या हुआ? आज तक उसकी जांच नहीं हुई, और जो उसकी एन्क्वायरी चल रही थी मंत्रिमण्डल के एक सदस्य के रिश्तेदार होने के नाते उसको बचा गये।

अन्त में मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि अब मेरे इलाके के अन्दर बड़वाह, मिर्जापुर, हुसैना, तसिया इन गांवों के अन्दर जिनके पास बिजली होकर गई है इनको बिजली नहीं देना इस बात का द्योतक है कि राजस्थान की सरकार को अन्न-उत्पादन की अधिक चिन्ता नहीं है, और ये लाखों रुपयों के घोटाले इस विभाग के अन्दर चल रहे हैं और जूनियर इन्जीनियर्स को और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स को प्रोमोशन दिया जाता है राजनैतिक आधार पर तो मन्त्रिमण्डल के इस पक्षपात के कारण जूनियर इन्जीनियर्स और एक्स० ईएन० के अन्दर असन्तोष है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी एसोसिएशन ने इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया है उसका क्या किया ? आप इस प्रकार से उन लोगों को....

श्री गिरधारीलाल व्यास : अगर इनको बोलाना है तो टाइम तो एक्सटेण्ड कर दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो, सभापति महोदय, अन्त में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान विद्युत् मण्डल ने इस साल मुनाफे का बजट बनाने की कोशिश की है यह एक धोखा है। राजस्थान सरकार को धोखा दे सकते हैं उसके चेयरमेन लेकिन वे राजस्थान की जनता को धोखा नहीं दे सकते हैं। यह मुनाफा कैसे दिखाया है। इस विभाग के अन्दर जो पूंजी लगी हुई है उसका ब्याज छोड़ा है कुछ भी चार्ज नहीं है और जो लेबर कोर्ट के अन्दर उनकी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

बोनस की मांग है और जो प्रोमोशन की मांग है जिसके लिए विद्युत मण्डल पर डिग्री हो गई है उसके खर्चे को छोड़ दिया है, जो मशीनरी खराब हो गई है उसको छोड़ा है। उन्होंने खर्चे में और भी कई चीजें नहीं जोड़ी हैं लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को चकमा देने के लिए, यह दिखाने के लिए कि वे कितने इन्टेलिजेन्ट हैं और किस प्रकार से उनकी होशियारी के कारण जो राजस्थान के विद्युत मण्डल के अन्दर करोड़ों रुपयों का नुकसान चल रहा था इस एक साल के अन्दर प्रगति करके उन्होंने इतना मुनाफा उठा लिया है। वास्तव में इसकी जांच कराई जाय तो कुछ भी मुनाफा नहीं होने वाला है और लाखों रुपयों के घोटाले इस विभाग के अन्दर है। जो इस साल के अन्दर उन्होंने मुनाफा दिखाने की कोशिश की है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यह जो मांग आई है कर्जे की वह वास्तव में सभी सैंक्शन करना चाहिए जब कि राजस्थान सरकार और विद्युत मण्डल यह आश्वासन दे कि जो बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्टों को सस्ती बिजली दी जाती है उसी अनुपात में गरीब किसानों को भी खेती के काम के लिए, अन्न उत्पादन के लिए सस्ती बिजली दी जा सकती है, तब तो हमें विश्वास होगा।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बज कर ५ मिनिट पर दिनांक ४ नवम्बर, १९७० के प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—१

प्रश्न एक के संदर्भ की सूची

(तारांकित प्रश्न सं. ७ की सूची)

क्र. सं.	तहसील	नाम पंचायत समिति	वर्ष ६५-६६	६६-६७	६७-६८	६८-६९	६९-७०
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	जमवारामगढ़	जमवारामगढ़	८ एकड़	—	—	१७६३	—
२.	बस्सी	बस्सी	३०० एकड़	—	३२१	१२२६	—
३.	दौसा	दौसा	—	—	—	६०२	—
		योग:....	३०८	—	३२१	३६४१	—

—— ——

परिशिष्ट—२

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

वन भूमि पर नाजायज कब्जा

८. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के जंगलात की भूमि गुजरात प्रांत से मिली हुई है ? यदि हां, तो किस-किस जगह कहां से कहां तक ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि तहसील कोटड़ा व फलासिया, जिला उदयपुर के वन विभाग की भूमि पर गुजराती पट्टेदारों ने नाजायज कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर कितने समय से किन-किन व्यक्तियों द्वारा किस जगह पर ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि ग्राम डेमा, अम्बासा, तहसील फलासिया, जिला उदयपुर राजस्थान की वन विभाग की भूमि पर श्री लालसिंह (गुजरात से) ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर व किस-किस खसरा नम्बर पर ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें

(४) उपरोक्त भूमि पर कब्जा किये जाने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को कब प्राप्त हुई और अब तक कब्जा हटाये जाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) जी हां। राजस्थान वन विभाग की भूमि गुजरात प्रान्त से निम्न स्थानों पर मिलती है: –

(१) सिरोही जिला—पाडर से भाखर वन-खण्ड तक।

(२) उदयपुर जिला—कूकावास से झंवभरी तक के वन-खण्ड।

(३) बांसवाड़ा जिला—मानगढ़ से भोराज वन-खण्ड तक।

(४) डूंगरपुर जिला—मकरेड़ा से चाखाड़ा वन-खण्ड तक।
विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(वन मन्त्री)

राजस्थान राज्य के गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित वन खण्डों की सूची

वन-मण्डल	गुजरात सीमा पर स्थित वन-खण्डों के नाम
(१) सिरोही वन-मण्डल	पादर, चोटीला, भैसासिह, भाखर।
(२) उदयपुर वन-मण्डल	कूकावास, कागवास, ढेवभारिया, माहड़ी, भूरी, ढेबर, आड़ा हल्दू, अम्बासा, ढैया, सोमपाई, कांतरवास, पहाड़ा, भामरी।
(३) बांसवाड़ा वन-मण्डल	माकोड़ा, चूलाबेमा, रतनपुर, कपलापीपल, बांकाखेड़ा, रानीभूला, राताग़ानी, चारबाड़ा, कालियादरा, गराड़ा, डूगरसारण, खीशोर, बागवां पिपोला की मोलो, मानगढ़, बरेठ, फूलपुरी, तरकनो, छापरा, औराज।

गंग कैनाल, भाखरा और राजस्थान नहर पर धूलभरी आंधी के कारण व्यय

९. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पिछले अगस्त में धूलभरी लगातार बीस रोज तक आंधी चलने के कारण गंग कैनाल, भाखरा और राजस्थान कैनाल की नहरों में मिट्टी भर गई थी जिसके कारण पानी की गति अवरुद्ध हो गई थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त नहरों की मिट्टी निकलवाने व उनके अधिक रेतीले हिस्से को पक्का करवाने के लिये सरकार ने ३३ लाख ३०. हजार रुपये की धनराशि स्वीकार की थी ?

(३) इस धनराशि को किस-किस नहर पर और नहरों की किन-किन शाखाओं को डिविज़नवाइज पक्का कराने के लिये कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित की है ?

(४) क्या यह कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) आंधियों द्वारा प्रभावित गंग नहर व भाखरा नहरों को ठीक करने हेतु राज्य सरकार ने २६.३० लाख रुपये की अलग से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन फिलहाल व्यय को १० लाख रुपये तक सीमित करने के आदेश किए हैं। इस कार्य में मिट्टी निकालने के अतिरिक्त नहरों पर पक्की पीचिंग व लाईनिंग इत्यादि करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने साधारण बजट १९७०-७१ में सीमान्त

(सिंचाई मन्त्री)

क्षेत्र में गंग कैनाल की नहरों को पक्का करने हेतु ५ लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

(३) सूची संलग्न है।

(४) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय माध्यमिक पाठशाला रतनगढ़ का हायर सैकन्डरी में परिवर्तन

१०. श्री लाभचंद वैद (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रतनगढ़ राजकीय माध्यमिक पाठशाला में कितने छात्र किस-किस कक्षा में पढ़ रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस शाला में भवनों (क्लास रूम्स) की कमी की वजह से छात्रों को तीन पारियों में पढ़ना पड़ता है ? यदि हां, तो पारियों का समय कब से कब तक का रखा हुआ है ? यह स्थिति कब से है ?

(३) क्या सरकार इस शाला में क्लास रूम्स को बढ़ाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(४) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि इस शाला के अलावा रतनगढ़ कस्बे में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है ?

(५) क्या सरकार माध्यमिक शाला के छात्रों की संख्या को देखते हुए इस शाला को हायर सैकेन्डरी स्कूल में अपग्रेड करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) राजकीय माध्यमिक पाठशाला, रतनगढ़ में पढ़ रहे छात्रों की संख्या कक्षा-नुसार इस प्रकार है:—

कक्षा–८	....	१९९
कक्षा–७	....	१५२
कक्षा–६	....	२१२
कक्षा–५	....	५४
	योग...	६१७

(शिक्षा मन्त्री)

(२) शाला का संचालन दो पारियों में होता है। प्रथम पारी का समय ७ से १२-३० है तथा दूसरी का १२-३० से ५-०० तक है। यह स्थिति १९५७-५८ से है।

(३) भवन अपर्याप्त होने के कारण शाला दो पारियों में चलाई जा रही है इसके लिये अर्थाभाव ही कारण है।

(४) रतनगढ़ में इस शाला के अलावा एक उच्च प्राथमिक शाला (सहायता प्राप्त) एवं ८ राजकीय प्राथमिक शालाएं हैं।

(५) गुणावगुण एवं आर्थिक साधन को दृष्टिगत रखते हुये अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार किया गया था।

सींदरू बांध (जिला पाली) से सिंचाई हेतु पानी

११. फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) सींदरू बांध (जिला पाली) से जिला पाली में ग्राम चाणोंद व उसके आसपास के क्षेत्र में कृषि में सिंचाई हेतु पानी दिया जाने की सम्भावना पर सरकार ने सोचा है ?

(२) क्या यह सही है कि चाणोंद व उसके आसपास के क्षेत्र वर्षों से अकाल पीड़ित रहते आये हैं और उनकी पीड़ा सींदरू बांध से सिंचाई हेतु पानी देकर दूर की जा सकती है ? यदि हां, तो क्या इस योजना को कार्यान्वित करने की कोई योजना बनाने का विचार सरकार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत ठिकोलिया का मुख्यालय

१२. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ठिकोलिया, पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक का मुख्यालय इस समय ग्राम ठिकोलिया में ही है ? यदि नहीं, तो कहां है ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(२) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ने अभी कुछ दिनों पूर्व पंचायत भवन का निर्माण ग्राम खेलनिया में करवा लिया है ? यदि हां, तो किस की स्वीकृति से और यह कहां तक उचित था जब कि मुख्यालय अभी ठिकोलिया ही है ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार इसका मुख्यालय बदलने का विचार कर रही है क्योंकि पंचायत भवन खेलनिया में बनवाया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत को बैठकें भी मुख्यालय ठिकोलिया पर न होकर ग्राम खेलनिया में ही होती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या यह सत्य है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, उनियारा द्वारा सरपंच को पंचायत भवन न बनाने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो कब और क्या लिखा था ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(६) क्या यह सत्य है कि सरपंच व पंचायत द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और भवन का निर्माण कर लिया गया जो अवैधानिक है ? यदि हां, तो इस अनियमितता पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

(७) क्या यह सत्य है कि ग्राम ठिकोलिया के निवासियों ने इस स्थानान्तरण का विरोध किया है और राज्य सरकार को लिख कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, ग्राम पंचायत का मुख्यालय ग्राम खेलनिया में है।

(२) जी हां, भवन का निर्माण गांव खेलनिया में करवा दिया था। ग्राम पंचायत ठिकोलिया का नाम ग्राम पंचायत खेलनिया में परिवर्तित किया जा चुका है।

(३) पंचायत का नाम ग्राम पंचायत खेलनिया में परिवर्तित किया जा चुका है।

(४) जी हां, राजस्थान पंचायत एक्ट, १९५३ की धारा २१ (२) के अनुसार सरपंच पंचायत क्षेत्र में किसी स्थान पर बैठक कर सकता है।

(५) जी नहीं। प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(६) पंचायत समिति द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया अतः सरपंच द्वारा आदेशों पर ध्यान नहीं देने का प्रश्न नहीं उठता।

(७) जी हां। ग्राम ठिकोलिया के निवासियों ने पंचायत का नाम परिवर्तन न करने हेतु आवेदन किया था, परन्तु जन सुविधा को ध्यान में रख कर पुनर्सीमा निर्धारण समिति ने पंचायत ठिकोलिया का नाम खेलनिया परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।

मेड़ता के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर तथा लेडी डॉक्टर की नियुक्ति

१३. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मेड़ता शहर के सरकारी अस्पताल में प्रसूतिगृह बन चुका है जिसे लगभग ३ वर्ष हो चुके हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इतने अर्से बाद भी वहां लेडी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई जिससे कि प्रसूतिगृह निर्माण का पूरा लाभ जनता को नहीं मिल सका ?

(३) क्या यह सही है कि मेड़ता शहर के महत्व को देखते हुए, वहां बीमारों की संख्या को देखते हुए, वहां एक और डॉक्टर एवं १ लेडी डॉक्टर की शीघ्र नियुक्ति आवश्यक है ?

(४) कृपया लाडनूं के अस्पताल में सन् १९६९-७० के रोगियों की संख्या बतावें एवं वहां अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) लेडी डॉक्टर का पद स्वीकृत नहीं है। लेकिन लेडी हैल्थ विजीटर एवं दाई उपलब्ध है।

(३) एक लेडी डॉक्टर की और नियुक्ति करने का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है।

(४) लाडनूं अस्पताल में रोगियों की औसत संख्या आउटडोर ८१ व इनडोर २२ प्रतिदिन तथा मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में रोगियों की संख्या आउटडोर ३५ एवं इनडोर १४ प्रतिदिन है। यहां पर २ पुरुष डॉक्टर एवं २ महिला डॉक्टर कार्यरत हैं।

क्रूड आइल पर बिक्री–कर में छूट

१४. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उद्योग में काम आने वाले क्रूड आइल (लाइट डीजल) पर बिक्री-कर में छूट दी जाती है ? यदि हां, तो कृषि कार्य में काम आने वाले क्रूड आयल के मुकाबले में कितनी छूट है ?

(२) कृषि कार्य पर छूट नहीं देने का क्या कारण है ?

(श्री वित्त मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां। धारा ५ "ग" के अन्तर्गत क्रूड आइल पंजीकृत विनिर्माता १ प्रतिशत की रियायती दर पर कुछ शर्तों पर खरीद सकता है। कृषि कार्य में काम आने वाले क्रूड आइल पर कोई छूट नहीं दी जाती।

(२) विनिर्माता को दर की छूट इसी कारण से दी जाती है कि उनके द्वारा निर्मित माल (फिनिश्ड प्रोडक्ट) पर राज्य में अथवा अन्तर्राज्यीय विक्री के क्रम में पूरी २ दर से कर मिल जाता है। कृषि कार्य में काम लाने पर निर्मित माल पर कृषक के हाथों विक्रय कर वसूल नहीं किया जाता।

जिला चित्तौड़गढ़ में बाढ़ सहायता के लिये आवन्टित धनराशि

१५. श्री रामकुमार नंदवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ के लिए वर्ष १९६९–७० में बाढ़ सहायता के नाम से कोई धनराशि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि आवन्टित की गई है ?

(२) यह धनराशि जो आवंटित की गई है वह किस-किस काम के लिए आवंटित की गई है और क्या जिन कार्यों के लिए आवन्टित की गई है वह उन कार्यों पर खर्च की गई है ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें और यदि खर्च नहीं की गई है तो क्या कारण है ?

(३) क्या यह भी सही है कि बाढ़ सहायता के नाम से आवन्टित राशि का सिर्फ समायोजन किया गया है, बाढ़ से क्षतिग्रस्त तालाबों पर खर्च नहीं की जा सकी है ?

(४) क्या सरकार इन टूटे हुए तालाबों की मरम्मत विभागीय तौर पर कराने का विचार रखती है ? ऐसे कितने तालाब हैं जिन पर उक्त बाढ़ सहायता के अन्तर्गत काम नहीं हो सके ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) जी हां, १५ लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(२) जी हां, सूची संलग्न है।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न नहीं उठता। १९६९–७० की बाढ़ से टूटे हुए किसी भी तालाब की मरम्मत बाकी नहीं है।

परिशिष्ट–३ नवम्बर, १९७० –परिशिष्ट

बाढ़ सहायता के अन्तर्गत वर्ष ६९–७० में चितौड़गढ़ जिले में मरम्मत हेतु लिये गये कार्यों की सूची

क्रम सं०	कार्य का नाम	बजट प्रावधान (लाखों में)	वास्तविक व्यय (लाखों में)
१	२	३	४
१.	गम्भीरी बांध	५.००	७.०८
२.	मुरलिया बांध	१.५०	२.००
३.	ओराई (पालका)	१.००	०.५०
४.	डी. के. फीडर	०.५०	०.०२
५.	डीडोली फीडर	०.५०	०.२२
६.	कपासन तालाब व नहर	०.५०	०.६६
७.	बनाकिया टैंक	०.४०	०.२५
८.	बोरडा तालाब	०.३०	०.३६
९.	बनीया	०.२०	०.१२
१०.	सोनियाना तालाब	०.३०	०.१०
११.	राजगढ़ नहर एवं एप्रोच रोड एवं फीडर एवं ओब्जरवेशन हट	०.५०	०.२१
१२.	कालादेह तालाब एवं नहर	०.४०	०.२३
१३.	ऊचा तालाब एवं नहर	०.५०	०.२२
१४.	बसेड़ा तालाब	०.३०	०.१०
१५.	गोदाला तालाब	०.३५	०.४०
१६.	कदूला	०.२०	०.१०
१७.	पारसोली	०.२५	०.१८
१८.	केसून्डा	०.२०	०.२०
१९.	जाखम लब	०.२०	—
२०.	श्रीपुरा तालाब	०.३०	०.०५
२१.	उमेरचा	०.४०	०.०५
२२.	जाखम नहर	०.२५	—
२३.	सल्पा	०.१०	०.०६
२४.	बेरच लेब	०.१०	०.१७

१	२	३	४
२५.	काचोलिया	०.०५	०.१४
२६.	रुडरी फीडर एवं अरनिया	०.०५	०.२४
२७.	कल्याणपुरा	०.०५	०.१०
२८.	राशमी टैंक (मातृकुण्डिया)	०.१०	०.२८
२६.	भदेसर (हमीरसागर)	०.२५	०.२५
३०.	आवरीमाता (पालोद एवं मण्डपिया)	०.२५	०.३३
	कुल योग....	१५.००	१४.२०

हाई स्कूल, लालसोट का हायर सेकेन्डरी में परिवर्तन

१६. श्री शम्भूराम (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) लालसोट हाई स्कूल को हायर सैकेन्डरी स्कूल में क्यों नहीं बदला गया जबकि इस समय जनता द्वारा बनाये गये कमरे खाली पड़े हैं और वहां के छात्रों की संख्या १३०० है ?

(२) क्या यह सही है कि लालसोट हाई स्कूल में बायोलोजी विषय रखे जाने के आदेश गत साल जारी हो गये थे परन्तु उनको आज तक अमल में नहीं लाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) विद्यालय भवन अपूर्ण होने की स्थिति में ही इस विद्यालय की क्रमोन्नति के बारे में कोई विचार सम्भव नहीं हुआ तथा अब भी कमरे अपूर्ण ही हैं।

(२) यह सही है कि गत वर्ष हाई स्कूल लालसोट में बायोलोजी विषय प्रारम्भ करने के आदेश प्रसारित हुये थे, किन्तु आदेश में वर्णित भवन सम्बन्धी शर्तों की पूर्ति के अभाव में उक्त विषय आज तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

जैसलमेर जिले में ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र

१७. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में आज तक एक भी रूरल फेमिली प्लानिंग सेन्टर नहीं खोला गया है और क्या यह भी सही है कि एक भी केन्द्र के लिए भवन निर्माण की राशि स्वीकृत नहीं की गई है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समिति व जिला प्रशासन ने ग्राम खुडी में केन्द्र व भवन निर्माण के लिए सिफारिश की है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इस वर्ष कार्य प्रारंभ करेगी ?

(३) क्या यह भी सही है कि सब-सेन्टर रामगढ़ व जिझनियाली में खोले जाने की भी अपनी राय राज्य सरकार को भेजी है, और सांगड केन्द्र को वहां से दूसरी जगह किया जाने की मांग की है ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है। जैसलमेर जिले में तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–पोकरन, नाचना व सागड़ में स्थित हैं, जो ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र भी हैं।

यह भी सही नहीं है कि एक भी केन्द्र के लिए भवन निर्माण की राशि स्वीकृत नहीं की गई है। सन् १९६९–७० में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोकरन में ग्रामीण परिवार नियोजन भवन एवं कर्मचारी निवास निर्माण हेतु ७५,०००) स्वीकृत किये जा चुके हैं।

(२) जी नहीं। पंचायत समिति व जिला प्रशासन द्वारा ग्राम खुडी में केन्द्र व भवन निर्माण के लिए कोई सिफारिश पत्र राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) जी नहीं, रामगढ़ व जिझानियाली में सब-सेन्टर खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं प्राप्त हुआ है।

झालावाड़ जिले में अकाल राहत कार्यों पर किया गया व्यय

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झालावाड़ जिले में सन् ६९ व ७० में अकाल राहत कार्यों पर कितना-कितना खर्चा कहां-कहां किस-किस योजना पर किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत सड़क, तालाब आदि का कार्य पूरा नहीं हो सका है ? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य अधूरे हैं ?

(३) क्या इन अधूरे कार्यों को राज्य सरकार पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ये कार्य कब शुरू होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या इस प्रकार के अधूरे कार्यों पर राज्य सरकार के धन का अपव्यय नहीं हुआ ? क्या पानी से सभी सड़कों की मिट्टी आदि बह गई ?

(स्थगित किया गया)

बसों में सवारियों की अधिकता

१९. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा से जहाजपुर वाया कोटड़ी और जहाजपुर से भीलवाड़ा वाया मांडलगढ़, काछोला बसों में अत्यधिक भीड़ रहती है ?

(२) क्या यह सही है कि छत पर भी कई बार उतनी ही सवारियां बैठती हैं जितनी अन्दर बैठी हुई होती हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था किस प्रकार करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) कभी-कभी ऐसा होना सम्भव है।

(२) जी नहीं। जनता को अतिरिक्त यातायात के साधन उपलब्ध हो सकें इस हेतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, उदयपुर ने इस मार्ग पर पांच बसों एवं तीन रिटर्न ट्रिप्स का स्कोप निर्धारित कर दिया है।

इसी प्रकार भीलवाड़ा से जहाजपुर वाया कोटड़ी मार्ग पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, उदयपुर ने एक अतिरिक्त बस सेवा और चालू की है।

ग्राम बेनपुरा, जिला पाली में कूबड़ निकलने की बीमारी

२०. श्री फूलचंद बाफना (सुमेरपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ग्राम बेनपुरा, जिला पाली, चुनाव क्षेत्र सुमेरपुर में प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश करने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के पीठ मे कूबडसी निकल जाती है और व्यक्ति पीठ में से झुक जाता है ?

(२) यदि हां, तो ऐसा कितने वर्षों से चला आ रहा है और सरकार का ध्यान इस ओर कब से गया ?

(३) क्या सरकार यह विचार रखती है कि पीने के पानी आदि का विश्लेषण कर पता लगाया जाय कि कूबड़ निकलने के कारण क्या हैं ? यदि हां, तो क्या कदम कब से उठाने का विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(चिकित्सा मन्त्री)

(२) जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को उक्त विषय में जिलाधीश पाली के द्वारा रिपोर्ट इसी वर्ष सितम्बर माह में प्राप्त हुई है।

(३) जी हां। पानी का सेम्पल विश्लेषण के लिये भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर ही उपचार के साधनों पर विचार किया जा सकेगा।

बाड़मेर जिले में बाहर से मंगवाया गया अनाज

२१. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६८-६९ एवं ६९-७० में कितना अनाज राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में बाहर से कब-कब (निश्चित् तारीखें बताते हुए) मंगवाया गया, उसमें से कितना वितरित हुआ, कितना खराब हुआ, कितना घटा और अभी कितना स्टॉक में है, का विस्तृत विवरण जुदा-जुदा अनाज (गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा) का दें ?

(२) (क) क्या यह सही है कि उक्त जिले में जो अनाज बाहर से मंगवाया गया उनकी खाली बोरियां ८५ नये पैसे प्रति बोरी (अच्छी) एवं तीस रुपये प्रति क्विंटल फटी बोरी बेची गयी थी ?

(ख) क्या यह सही है कि जब कि उक्त अच्छी बोरियों का बाजार भाव प्रति बोरी दो रुपये का था ?

(३) उक्त अनाज के हिसाब का कब-कब चैकिंग एवं आडिटिंग किया गया ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट—३

(अ० प्र० सं० १० की सूची)

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, जैसलमेर

गत व इस वर्ष खोली गई प्राथमिक शालाओं की सूचीः—

१. हड्ड़ा	२. छत्रेल
३. भागू का गांव	४. चिन्नू
५. टावरीवाला	६. पन्ना
७. बीकासर	८. मारमसर
९. ताड़ाना	१०. बोहा
११. कानोद	१२. दामोदरा
१३. छतागढ़	१४. सीतोड़ाई
१५. हरमा	१६. नीबा
१७. साजीत का पार	१८. बींजराज का तला
१९. दबड़ी	२०. लुणार
२१. फूलिया	२२. बेरीसियाला
२३. मेलाणी	२४. तेजमाला
२५. कोहरा	२६. राघवा
२७. खार्रियां	२८. दव
२९. भोजासर	३०. मेघा
३१. सलखा	

बंद शालाओं की सूचीः—

१. बाहला	२. खारा
३. कित	४. कुछड़ी
५. करड़ा	६. बड्ड़ा

बाबूलाल व्यास,
उप-विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, जैसलमेर।

परिशिष्ट–४

(प्र. प्र. सं. १३ की सूची)

विधान सभा प्रश्न संख्या ८

वर्ष १९६८ के डी स्टेटमेन्ट में निम्नलिखित अस्पतालों में नार्मल डिलीवरी एवं अबनारमल डिलीवरी के लिये भरती एवं मरीजों की संख्या एवं मृत्यु के आंकड़े जो सूचित किये गये हैं वे उनके सामने दिखाये गये हैं।

नाम अस्पताल	नार्मल डिलीवरी		अबनार्मल डिलीवरी	
	संख्या	मृत्यु	संख्या	मृत्यु
१. जनाना अस्पताल, अलवर	२६०७	८	—	—
२. जनाना अस्पताल, प्रतापगढ़	२३३	२	—	—
३. जनाना अस्पताल, रतनगढ़	२२८	—	२१२	४
४. जनाना अस्पताल, जयपुर	४८५७	—	२५५०	२७
५. एच. एच. के वूमन अस्पताल, झालावाड़	४४१	—	१२४	८
६. उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	३६८७	—	४२३	६
७. जनाना अस्पताल, सिरोही	२२२	—	७९	२
८. जनाना अस्पताल, उदयपुर	८७८	—	१०४०	२१

परिशिष्ट–५

(अ. प्र. सं. १५ की सूची)

पाली जिले की पंचायत समितियों को दिनांक १-४-६९ से ३१-३-७० तक अनुदान व ऋण के रूप में दी गई धनराशि

क्रमांक	नाम पंचायत समिति	अनुदान (संस्थापन)	अन्य अनुदान	ऋण
१.	बाली	६,१४,७९०	२७,७८०	४६,७५०
२.	खारची	६,७८,२७७	५,०१२	३३,०००
३.	देसूरी	६,००,९७०	१४,७६४	४२,०००
४.	रानी स्टेशन	५,०७,९५५	१६,५००	—
५.	जैतारण	५,४९,०८०	१५६	८५,५००
६.	रायपुर	५,४६,९६०	३४८	—
७.	सोजत	७,१२,६१२	१०,५४०	९,२००
८.	पाली	४,०३,४३०	६,३६४	३६,८००
९.	रोहट	३,३६,७५५	—	—
१०.	सुमेरपुर	५,८४,७०५	१२०	१२,०००

नोटः—अनुदान (संस्थान) की राशि में मामूली हिस्सा कन्टिन्जेन्सी का भी शामिल है।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक ३ नवम्बर, १९७०)

स्तम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१४	१२	में	—
१८	१६	का	की
२७	६	जिन्होंने	व्यापारी जिन्होंने
६५	शीर्ष	सतीश्चन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
७०	३	में	मैं
७२	अन्तिम से ३	राज्य	राज्य
७५	३	प्रस्तुत	प्रस्तुत
७६	१	देवोत्तद	देवीदत्त
८३	अन्तिम से ५	जपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
८७	अन्तिम से १	क्योंकि	क्योंकि
९४	अन्तिम से ९	निवेदव	निवेदन
९५-९६	शीर्षक	प्र. सं. के उप. हेतु–३ नवम्बर, १९७०. शासकोय सं. पर वि. नियत समय में वृद्धि	प्र. स. के प्र. के उप. हेतु नियत समय में वृद्धि-३ नवम्बर, १९७० शासकोय सं. पर वि.
१०१	अन्तिम से १	दस्य	सदस्य
१०३	अन्तिम से ६	नहार	नाहर
११६	८	आपत्ति	आपत्ति
११८	९	”	“ The board may

१	२	३	४
१७०	१३	में	मैं
१८१	१३ व १४	है, जिनके उपर	है जिनके ऊपर
१८२	अन्तिम से १	ल	हरल
१६४	अन्तिम से १६	भा	भो
१६६	अन्तिम से १	गों	लोगों
१६८	अन्तिम से ६	ज्याद्रा	ज्यादा
१६६	अन्तिम से १२	खदेजनक	खेदजनक
२०३	अन्तिम से १४	नदा	नदी
२१५	४	ज ती	जाती
२२२	१६	सइ	इस

———